संशोधित प्रति
28-7-2001

सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना
(2001–2010)

तथा

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट
(2001–2002)

जनपद - चन्दौली

NIEPA DC
D11497

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-11497
Date ..... 05-02-2002.

चन्दौली

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठभूमि	1–4
2.	शैक्षिक परिदृश्य	5–13
3.	नियोजन प्रक्रिया	14–28
4.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	29–32
5.	समस्याए एवं रणनीतियाँ	33–35
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (नवीन विद्यालय)	36–40
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (ई0जी0एस0 / ए0आई.ई0)	41–80
8.	ठहराव में वृद्धि	82–97
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	98–130
10.	परियोज़ना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	131–154
11.	परियोजना लागत	155 - 168
12.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	169 - 178
	परिशिष्ट	
	महत्वपूर्ण शासनादेश	

अध्याय–1

जिले की पृष्ठभूमि

संक्षिप्त परिचय

पतित पावनी एवं मोक्ष प्रदायिनी गंगा के पूर्वी छोर पर चन्दौली जनपद स्थित है। यह जनपद पश्चिम में गंगा एवं पूरब दिशा में कर्मनाशा नदी से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में जनपद वाराणसी एवं जनपद मीरजापुर, पूरब दिशा में बिहार राज्य एवं उत्तर दिशा में गाजीपुर जनपद तथा दक्षिण दिशा में सोनभद्र जनपद स्थित है। चन्दौली जनपद पर्वतीय तथा मैदानी दोनों ही प्रकार के भू–भागों से सम्पन्न है। वर्ष 1997 के मई माह में उत्तर प्रदेश शासन की एक अधिसूचना के क्रम में इस जनपद का सृजन हुआ तथा जिला स्थापित हुआ। इससे पूर्व यह जनपद वाराणसी जनपद का अंग रहा। पतित पावनी गंगा की गोद में पल्लवित यह जनपद विकास–प्रक्रिया की ओर अग्रसर है। कृषि प्रधान इस जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है जो जनपद की सम्पन्नता का सूचक है। जनपद का क्षेत्रफल 2530.44 वर्ग किमी0 है। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद तीन तहसीलों और नौ विकास खण्डों में विभाजित है। प्रशासनिक इकाइयों का विवरण निम्न सारणी से स्पष्ट होता है :–

सारणी – 1.1

जनपद की प्रशासनिक इकाइयाँ

इकाई का नाम	संख्या
तहसील	03
विकास खण्ड	09
न्याय पंचायत	102
ग्राम सभायें	622
राजस्व ग्राम	1367
बस्तियों की संख्या	1755

नगरीय क्षेत्र	01
नगर निगम	00
नगर महापालिका	00
नगर पालिका	01
टाउन एरिया	03
वार्ड	35

स्रोत – जिला सांख्यकी पत्रिका 1997

चन्दौली जनपद में कुल तीन तहसीलें क्रमशः चन्दौली सदर, सकलडीहा तथा चकिया हैं। इन तहसीलों में कुल नौ विकास खण्ड क्रमशः चन्दौली, बरहनी, नियमताबाद, सकलडीहा, धानापुर, चहनिया, चकिया, शहाबगंज, नौगढ़ है। इसके साथ ही इनमें एक नगर पालिका मुगलसराय, तीन टाउन एरिया क्रमशः चन्दौली, सैययदराजा एवं चकिया स्थित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 102 न्यायपंचायतें, 622 ग्राम पचायते तथा 1635 राजरव ग्राम है, जिनमें से 1367 राजस्व ग्राम आबाद है।

जनपद में पहाड़ी एवं मैदानी दोनो ही प्रकार के क्षेत्र मौजूद है। पहाड़ी क्षेत्र चकिया एवं नौगढ़ में राजदरी एवं देवदरी जलप्रपात जहॉ अपने प्राकृतिक सुषमा और मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है वहीं नौगढ़ एवं विजयगढ़ के भग्नावशेष स्वर्गीय देवकीनन्दन खत्री के उपन्यास 'चन्द्रकान्ता संतति' के तिलस्म को याद दिलाती है।

जनपद के सुदूर उत्तरान्चल में वॉनगंगा के तट पर अघोरेश्वर बाबा किनाराम की जन्म भूमि एवं तपोभूमि है। यह पवित्र स्थल रामगढ़ ग्राम में स्थित है जो सदियों से सांस्कृतिक, अध्यात्मिक एवं सामाजिक तथा राजनैतिक चेतना की संवाहक रही है। यहॉं स्थित महान वट वृक्ष आज भी समता, एकता एवं शांति का संदेश देता है जहॉ अघोरेश्वर बाबा किनाराम 8 वर्ष की आयु में ही बैठ कर तप किया करते थे। इस स्थान के दक्षिण में आज भी 'विराटनगर' (बराउ) नामक स्थान ऐतिहासिक विशिष्टिता के साथ विद्यमान है जहॉ धर्मराज युधिष्ठिर ने पाण्डवों के साथ गुप्तवास किया था। पश्चिम वाहिनी गंगा के तट पर बलुआ नामक स्थान पर महर्षि वाल्मीकि का एक आश्रम भी है जहॉं माघी अमावस्या के अवसर पर स्नानार्थियों का विशाल मेला लगता है।

पूर्वान्चल की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ आधार प्रदान करने वाली एवं उत्तर भारत की सबसे बड़ी कोयला मण्डी 'चन्धासी' एवं व्यापार तथा आवागमन को सुगम बनाने वाला एशिया महाद्वीप का सबसे बडा रेल यार्ड 'मुगलसराय' इसी जनपद में स्थित है जहाँ से भारतवर्ष के किसी भी कोने के लिए रेलयात्रा सुगमता पूर्वक की जा सकती है। यहीं पर कलकत्ता से पेशावर तक जानेवाली इतिहास प्रसिद्ध 'शेरशाह सूरी' द्वारा बनवाई गई ग्रैन्ड–ट्रंक रोड (जी0टी0 रोड) भी स्थित है जो चन्दौली जनपद को उत्तरी भारत के लगभग सभी नगरों से जोडती है। इस जनपद में कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु चातुर्दिक नहरों का जाल बिछा हुआ है। इससे कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जनपद के किसान आत्मनिर्भर हैं। धान एवं गेहूँ इस जनपद में कृषि सम्बन्धी प्रमुख उत्पाद है।

1991 की जनगणना के अनुसार चन्दौली जनपद की कुल आबादी 1282079 है। जिसमें पुरुष 672587 तथा महिलाओं की संख्या 609492 है। अनुसूचित जाति की आबादी 306973 है। इसमें पुरुष 159626 और 147347 महिलाये हैं। जनपद में महिलाओं की आबादी कुल आबादी का 48 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की आबादी में महिलाओं का प्रतिशत 48 है। जनपद के जनसंख्या सम्बनधी प्रमुख आंकड़े नीचे दिये गये हैं।

जनपद की कुल जनसंख्या	1282079
ग्रामीण जनसंख्या	1157071 90.24%
नगरीय जनसंख्या	125008 9.75%
पुरुष	672587 52.46%
महिला	609522 47.53%
लिंग अनुपात	52.4 : 47.6
अनुसूचित जाति	307904 24%
जनसंख्या का घनत्व	507 प्रति वर्ग किमी
जनसंख्या की वार्षिक वृद्धिदर	2.2%

1981–91 के दशक के आधार पर जनसंख्या की वार्षिक वृद्धिदर राज्य स्तर के अनुसार मानी गयी है। वर्ष 2001 की जनगणना की क्षेत्रवार तथा जातिवार संख्या अभी उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपदीय कुल जनसंख्या 1639777 हो गई है, जिसमें पुरूष 853016 तथा महिलायें 786761 हैं 0–6 वर्ष में बच्चों की संख्या 316592 हैं जो कुल जनसंख्या का 19.3% है। जनसंख्या वार्षिक वृद्धिदर 2.55% है। जनसंख्या का विवरण नीचे सारिणी नं0 1.2 में स्पष्ट की गई है :–

2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या

पुरूष	महिला	योग
853016	786761	1639777

सारिणी संख्या 1.2

विकास खण्डवार / नगर क्षेत्रवार जन संख्या का विवरण

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	1991 की कुल जनसंख्या			1991 की कुल अनु0जाति की जन संख्या			2001 की अनुमानित कुल जनसंख्या			2001 की अनुमानित अनु0जा0 की जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	चन्दौली	69318	62479	131797	18343	16465	34808	84567	76224	160791	22378	20087	42465
2.	नियामताबाद	88939	78206	167145	16018	14010	30028	108506	95411	203917	19542	17092	36634
3.	बरहनी	64859	60209	125068	14464	13061	27525	79128	73455	152583	17647	15934	33581
4.	सकलडीहा	88770	81296	170066	23856	21542	45398	108299	99182	207481	29104	26281	55385
5.	धानापुर	78320	74502	152822	18815	17296	36111	95942	91265	187207	23048	21188	44236
6.	चहनिया	7160	68462	142622	15087	13665	28752	90475	83523	173998	18406	16671	35077
7.	चकिया	61902	55664	117566	16621	14994	31615	75520	67910	143430	20279	18292	38571
8.	शहाबगंज	50263	45583	95846	14873	13805	28708	61320	55612	116932	18145	16341	34486
9.	नौगढ़	23856	213444	45200	10012	9070	19082	31546	28653	60199	15042	14028	29070
10.	बनग्राम	4937	4002	8939	3042	2554	5596	6023	4882	10905	3711	3116	6827
	योग (ग्रामीण)	**505324**	**551747**	**1157071**	**151131**	**136552**	**287683**	**741326**	**676117**	**1417443**	**187302**	**169030**	**356332**
	न0पा0 मुगलसराय	49558	41947	91505	7881	7136	15017	60461	51175	111636	9615	8706	18321
	टा0ए0 चन्दौली	5910	5129	11039	1116	911	2027	7210	6257	13467	1468	1065	2533
	चकिया	5543	5044	10587	701	682	1383	6762	6165	17927	1047	1041	2088
	सैयदराजा	6252	5655	11907	983	811	1794	7627	6899	14526	877	810	1687
	योग (नगर)	**67263**	**57775**	**125038**	**10681**	**9540**	**20221**	**82060**	**70496**	**150556**	**13007**	**11622**	**24629**
	महायोग	**672587**	**609522**	**1282109**	**161812**	**146092**	**307904**	**823386**	**746613**	**1569999**	**200309**	**180652**	**38096**

स्रोत – जनपद सांख्यिकी पत्रिका 1997

नोट : वर्ष 2001 की जनगणना की विकासखण्ड वार, जातिवार सारणी उपलब्ध नहीं है, इसलिये अनुमानित जनसंख्या दी गयी है।

अध्याय–2

शैक्षिक परिदृश्य

जनपद चंदौली वर्ष 1997 तक जनपद वाराणसी का अंग रहा तथा इसका पहचान वाराणसी जनपद से ही होता रहा। इस जनपद का सृजन 27 मई 1997 को हुआ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना वर्ष 93–94 से 97–98 तक वाराणसी जनपद से संचालित रही। जनपद के सृजन के पश्चात वर्ष 98–99 से वर्ष 99–2000 तक इस योजना का संचालन चंदौसी जनपद से हुआ। इस योजना के अन्तर्गत 131 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 35 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, 70 प्राथमिक विद्यालय का पुनर्निर्माण, 5 उच्च प्राथमिक विद्यालय का पुनर्निर्माण, 614 अतिरिक्त कक्षाकक्ष, 120 शौचालय, 102 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा 9 ब्लाक संसाधन केन्द्र की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों व। विभिन्न आयामों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया हैं इस परियोजना के फलस्वरूप विद्यालयी शिक्षा के गुणवत्ता तथा विद्यालयों को आकर्षक बनाने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसके कारण जनपद का ड्राप–आउट दर 30 प्रतिशत से घट कर 21.8 प्रतिशत रह गया है।

साक्षरता दर

चन्दौली जनपद में साक्षरता का कुल प्रतिशत 42 है। इसमें पुरूषों की साक्षरता का प्रतिशत 54 है एवं महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 30 है। 1991 की जनगणना सांख्यिकी के अनुसार चन्दौली जनपद की साक्षरता दर निम्नांकित सारिणी नं0 2.1 में प्रदर्शित है:–

सारिणी न0 2.1

जनपद की साक्षरता दर (1991)		प्रतिशत	
कुल साक्षरता		42	
ग्रामीण साक्षरता		32	
नगरीय साक्षरता		52	
कुल पुरुष साक्षरता		30	
अनुसूचित जाति साक्षरता	पुरुष	महिला	कुल
	25	13	18
ग्रामीण पुरुष साक्षरता		46	
ग्रामीण महिला साक्षरता		18	
नगरीय पुरुष साक्षरता		62	
नगरीय महिला साक्षरता		42	

स्रोत – जनपद सांख्यिकी पत्रिका 1997, जनपद चन्दौली

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 61.11 प्रतिशत हो गई है। पुरूष साक्षरता 75.55 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 45.45 प्रतिशत है विगत दशक में साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी है।

जनपद के विभिन्न खण्डों में साक्षरता दर का विवरण निननलिखित सारणी नं0 2.2 में स्पष्ट परिलक्षित है।

सारणी नं0 2.2

विकास खण्डवार/नगर क्षेत्रवार साक्षरता

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर			साक्षरता दर अनु. जाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	चन्दौली	55%	21%	36%	24%	12%	18%
	नियमताबाद	42%	14%	28%	20%	10%	16%
	बरहनी	52%	23%	38%	23%	11%	17%
	सकलडीहा	49%	18%	34%	26%	14%	20%
	धानापुर	51%	21%	36%	28%	16%	22%
	चहनियॉ	52%	21%	37%	25%	17%	21%
	चकिया	42%	17%	30%	21%	09%	15%
	शहाबगंज	45%	17%	32%	24%	14%	19%
	नौगढ़	28%	06%	17%	16%	08%	12%
	योग :	**46%**	**18%**	**32%**	**45%**	**13%**	**18%**
	न0पालिका मुगलसराय	66%	46%	56%	30%	20%	25%
	टाउन एरिया चन्दौली	60%	40%	50%	24%	12%	18%
	टाउन एरिया सैयदराजा	62%	42%	52%	23%	11%	17%
	टाउन एरिया चकिया	58%	38%	48%	21%	09%	15%
	योग :	**62%**	**42%**	**52%**	**25%**	**13%**	**18%**

स्रोत–सांख्यकी पत्रिका 1997 जनपद चन्दौली।

जनगणना वर्ष 2001 की विकास खण्ड की साक्षरता दर उपलब्ध नही है।

विकासखण्ड वार साक्षरता–दर की तालिका का अवलकोन करने से यह स्थिति सामने उभर कर आती है कि ग्रामीण क्षेत्र के नौगढ़ विकासखण्ड में तथा नियमताबाद विकासखण्ड में साक्षरता दर निम्न तथा महिला साक्षरता विशेष कर अनुसूचित जाति की महिला साक्षरता की दर अति निम्न है अस्तु शैक्षिक विकास के विशेष प्रयास करने होंगे।

जनपद की शैक्षिक संस्थायें:–

चन्दौली जनपद में वर्तमान समय में शिक्षा/शिक्षा कियाकलापों और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के निमित्त निम्नांकित कोटि की शैक्षिक संस्थाएँ उपलब्ध एवं क्रियाशील हैं। इनका विवरण नीचे सारणी 2.3 से स्पष्ट होती है।

सारणी संख्या – 2.3

क्र. स.	विद्यालयों की कोटि	परिषदीय/ शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	प्राथमिक विद्यालय	792	08	800	74	17	91	866	25	891	50	–	50
2.	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	173	01	174	77	13	90	250	14	265	19	–	19
4	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक अनुभाग	–	–	–	13	01	14	13	01	14	–	–	–
5.	केन्द्रीय विद्यालय	01	01	02	–	–	–	01	01	02	–	–	–
6.	नवोदय विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	हाईस्कूल	01	–	01	17	01	18	18	01	19	–	–	–
8.	इण्टरमीडिएट	03	–	03	29	03	32	32	03	35	–	–	–
9.	डिग्री कालेज	02	–	04	01	05	06	01	07	–	–	–	–
10.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	01	–	01	01	01	02	02	01	03	–	–	–
11.	विश्वविद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	तकनीकी संस्थान (आई.टी.आई/पालीटेक्निक)	01	–	01	–	–	–	01	–	01	–	–	–
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	आँगनवाडी केन्द्रों की संख्या	166	–	166	–	–	–	166	–	166	–	–	–
15.	मकतब/मदरसे	–	–	–	05	01	06	05	01	06	05	–	05
16.	संस्कृत पाठशालायें	–	–	–	04	–	04	04	–	04	–	–	–
17.	विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थाए	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	बाल श्रमिक विद्यालय												

श्रोत विभागीय आँकड़े।

शिक्षको की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

चन्दौली जनपद के परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षकों का विवरण निम्न प्रकार से है। नीचे सारणी संख्या 2.4 में दर्शायी गई स्थिति अवलोकनीय है :–

सारणी संख्या–2.4

	सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या
परिषदीय	4479	2755	1499	225
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	1207	711	496	–

श्रोत : विभागीय आकड़े

विद्यालयों की उपलब्धता

चन्दौली जनपद में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने में सहायक परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता की स्थिति नीचे कमशः सरणी संख्या 2.5 एवं सारिणी संख्या 2.6 में प्रदर्शित है :

सारणी संख्या 2.5

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	1 कि0मी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 कि0मी0 से अधिक किन्तु 1.5 कि0मी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	808	202	16
ऐसी बस्तियो की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	845	37	34

सारणी 2.6

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता

	3 कि.मी. से कम दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	3 कि.मी. से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	उच्च प्राथमिक अनुपात 1.2 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी ६०० से अधिक है।	445	30	248
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी ६०० से अधिक है।	485	37	—

नोट : वर्तमान में उपलब्ध प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	792
नये प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता	50
योग	842
1:2 के अनुपात में उच्च प्राथमिक विद्यालय	421
वर्तमान में उपलब्ध प्राथमिक विद्यालय	176
शेष आवश्यकता	248

विद्यालयों में उपलब्ध सुविधायें: –

चन्दौली जनपद के परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं की स्थिति निम्नांकित सारणी संख्या 2.9 में स्पष्ट की गई है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति सारणी में पृथक–पृथक स्पष्ट की गई है।

सारणी संख्या : 2.9

विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं (परिषदीय विद्यालय 1.1.2001 की स्थिति ग्रामीण+नगर)

क्र0स0	प्राथमिक स्तर		ग्रामीण विकास खण्ड क्षेत्र		नगर क्षेत्रवार	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय भवन		792		08	800
2	एक कक्षीय विद्यालयों की सं0		02		–	002
	तीन कक्षीय विद्यालयों की सं0		156		04	160
	चार कक्षीय विद्यालयों की सं0		209		–	209
	पांच कक्षीय विद्यालयों की सं0		81		01	82
	पाँच कक्षा से अधिक वाले विद्यालय		63		–	63
	किराये के भवन में संचालित विद्यालय		–		–	–
3.	मरम्मत योग्य विद्यालय		लघु मरम्मत योग	118		193
			वृहत्त मरम्मत योग	75		
4.	शौचालय युक्त विद्यालय	753	शौचालयों की आवश्यकता			47
	शौचालय विहीन विद्यालय	47				
5.	हैण्ड पम्प युक्त	705	हैण्ड पम्प की आवश्यकता			95
	हैण्ड पम्प विहीन	95				
6.	चहार दिवारी युक्त	142	चहार दिवारी की आवश्यकता			658
	चहार दिवारी विहीन	658				
6–ए	पुनर्निर्माण योग्य – ग्रामीण क्षेत्र		नगर क्षेत्र – योग			029

7. उच्च प्राथमिक स्तर

	उ0प्रा0वि0 भवन	कुल वि0 सं0	भवन युक्त	भवनहीन	जर्जर एवं पुर्ननिर्माण योग्य
ग्राम	173	173	173	0	08
नगर	001	001	001	0	00
योग	**174**	**174**	**174**	**0**	**08**

		ग्रामीण क्षेत्र	नगर क्षेत्र	योग
8.	मरम्मत योग्य			
	लघु मरम्मत योग्य	18	–	18
	वृहद मरम्मत योग्य	25	–	25
9.	एक कक्षीय विद्यालय	–	–	–
	दो कक्षीय विद्यालय	–	–	–
	तीन कक्षीय विद्यालय	56	–	56
	चार कक्षीय विद्यालय	50	–	50
	पॉच कक्षीय विद्यालय	35	01	36
10.	शौचालय			आवश्यकता
	शौचालय युक्त	159	01	–
	शौचालय विहीन	14	–	14
11.	हैण्ड पम्प			आवश्यकता
	हैण्ड पम्प युक्त	150	01	–
	हैण्ड पम्प विहीन	23	–	23
12.	चहार दीवारी			आवश्यकता
	चहार दीवारी युक्त	40	–	–
	चहार दीवारी विहीन	134	–	134

स्रोत : विभागीय आंकड़े

उपर्युक्त के अतिरिक्त दशम वित्त अन्योग के अन्तर्गत जनपद चन्दौली में 07 विद्यालय भवन, 02 शौचालय, 02 हैण्ड पम्प तथा 02 चहार दीवारी का निर्माण कराया गया।

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता

चन्दौली जनपद में वर्तमान समय की मांग के अनुसार निम्नांकित भौतिक सुविधाओं में विस्तार की आवश्यकता है। इन कमी एवं आश्वयकता को निम्न सारिणी संख्या 2.10 में दर्शाया जा रहा है:–

सारणी 2.10

क्र.सं.	सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग	कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग
1.	नवीन विद्यालय	50	—	50	28	—	28
2.	विद्यालय पुर्ननिर्माण	29	—	29	08	—	08
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	608	—	608	121	—	121
4.	पेयजल	95	—	95	23	—	23
5.	शौचालय	53	—	53	14	—	14
6.	चाहारदीवारी	658	—	658	134	—	134

स्रोत– विभागीय आंकड़े

नोट : विद्यालय/भौतिक सुविधाओं की दृष्टि के लिये आगामी वर्षों के लिये केवल 11वें वित्त आयोग में ही लक्ष्य निर्धारित है।

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़ें व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स (चन्दौली)

यह जनपद बेसिक शिक्षा परियोजना का जनपद रहा है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई सक्रिय रूप में कार्य रहती रही है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 से नीपा द्वारा विकसित डायस सॉफ्टवेयर संचालित किया गया तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी तैयार की जाती रही। चन्दौली जनपद वाराणसी का अंग था। शैक्षिक सांख्यिकी संकलित रूप में जनपद वाराणसी के साथ ही तैयार हुई। अतः विभिन्न इण्डीकेटर्स दोनों जनपदों के लिये समान हैं। शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण व बी0ई0पी0 परियोजनाओं से संबंधित निर्णयों में किया गया।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में स्थिति निम्नवत् है –

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
कक्षा 1	100600	91345	100785	102466
कक्षा 2	89566	90850	97019	98044
कक्षा 3	68016	77711	81675	83253
कक्षा 4	52409	58609	66760	71413
कक्षा 5	45135	45197	60128	61253
योग	355726	363712	406367	416429
जी0ई0आर0				
कुल	75.60	75.08	92.62	93.10
बालिका	73.77	74.94	92.6	94.9
एन0ई0आर0				
कुल	75.23	75.02	92.60	92.86
बालिका	73.34	74.95	92.6	94.7

जनपद के नामांकन में औसतन 2.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 में प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं का जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 बालिकाओं के जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 के समतुल्य हो गया है। यह महत्वपूर्ण संकेत परिलक्षित हुआ है कि कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा 5 के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है जिससे यह पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहे है।

बी0ई0पी0 जनपदों में परियोजनाओं के बाद प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है :– (जनपद – चन्दौली)

	परियोजना के पूर्व	2000 की स्थिति	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	550	800	45
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)	3310	4479	35

7 वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसतन रूप से विद्यालयों की संख्या में 6.4 प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में सफल प्रयास हुये है।

ड्राप आउट दर

वर्ष	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कुल	बालिका
1998	9.70	13.31	13.99	0.50	33	34
1999	0.50	0.50	1.24	0.50	27	26.6
2000	4.42	3.82	8.42	7.05	22	21.3

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार कमी आयी है। विगत तीन वर्ष में ड्राप आउट दर 33 प्रतिशत से घटकर 22 प्रतिशत हो गया है, जो महत्वपूर्ण है। यह और भी अधिक उल्लेखनीय है कि बालक व बालिकाओं की ड्राप आउट दर में अन्तर समाप्त हो रहा है।

रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
1998	–	6.01
1999	1.0	5.07
2000	1.48	5.95

रिपीटीशन दर मात्र 1.48 है तथा प्राथमिक स्तर की 5 कक्षाएं पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब 5.95 वर्ष ही लग रहे हैं अर्थात् शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

अध्यापक–छात्र अनुपात वर्ष 2000–01 – 1 : 64

एकल अध्यापिकीय विद्यालयों का प्रतिशत वर्ष 2000–01 – 6.34

छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात (2000–01) – 1:65

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुये है। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्र भी तैनात किये गये। फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों के प्रतिशत में काफी कमी आयी। छात्र अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ। नामांकन में वृद्धि के कारण अभी भी छात्र–अध्यापक 1:64 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा। यद्यपि छात्र कक्ष–कक्ष अनुपात में विगत वर्षों में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1:65 है। इसे निर्धारित मानक 1:40 पर लाने के लिए अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक के आंकड़े व इण्डीकेटर्स (परिषदीय)

जनपद–चन्दौली

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-1999	9743	8803	7912	26458	-
1999-2000	9718	9468	8411	27597	4.30
2000-2001	11335	9476	8905	29716	8.6

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। विद्यालयों की उपलब्धता तथा परियोजना कार्यकमों के सफल संचालन के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी जिससे उच्च प्राथमिक स्तर पर में मांग पैदा हुई है।

ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिशन दर
1998-1999	20508	9743	-
1999-2000	23751	9718	47%
2000-2001	29294	11335	48%

सारिणी से स्पष्ट है कि कक्षा–5 उत्तीर्ण आधे से अधिक बच्चे कक्षा–6 में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। इस स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि प्राथमिक कक्षा पूरी करने के पश्चात निकट दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

	संख्या 1993	संख्या 2000	वृद्धि
उच्च प्राथमिक विद्यालय	147	178	21
उच्च प्राथमिक अध्यापक	1005	1207	20

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	परि0 प्रा0 विद्यालय संस्था	परि0 उच्च प्रा0 विद्यालय संस्था	उच्च प्रा0 विद्यालय सम्बद्ध माध्यमिक वि0	योग (3+4)	प्रा0 विद्यालय उच्च प्रा0 विद्यालय अनुपात
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण क्षेत्र	792	177	50	227	3.5 : 1
नगर क्षेत्र	8	1	5	6	1.3 : 1
योग	800	178	55	233	3.4:1

यद्यपि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक के कार्यक्रम संचालित थे किन्तु मुख्य बल प्राथमिक शिक्षा पर ही दिया गया। यथा संभव उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित भी किये गये।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिक विस्तार होने के फलस्वरूप प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में अभीष्ट सुधार न हो सका फलस्वरूप कक्षा–5 के उत्तीर्ण बच्चों को आगे पढ़ने के पर्याप्त अवसर सुगमता से उपलब्ध नहीं हो सके। जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है, माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध 6–8 अनुभागों को सम्मिलित करने पर भी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 1 :3.4 है।

अध्याय 3

नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान सर्वव्यापी, सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सम्पूर्ण राष्ट्र में एक साथ, एक अभियान के रूप में लिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा स्त्री, पुरुष के असमानता तथा समाजिक विषमता को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गयी है। इसमें केन्द्र एवं राज्य के बीच दीर्घकालीन साझेदारी की परिकल्पना की गयी है। इसके निमित्त नवम् पंचवर्षीय योजना में केन्द्र, राज्य का अंशदान 85:15, दशम पंचवर्षीय योजना में 75:25 तथा इसके पश्चात 50:50 की साझेदारी होगी। सामुदायिक सहभागिता तथा वास्तविक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था पर यह अभियान आधारित है। बस्ती को योजना निर्माण की इकाई मानकर विकास खण्ड स्तर तथा जिला स्तर की योजना तैयार करना इसकी अपनी विशेषता है।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्यों तथा विधियों के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम 1994-95 में तथा दूसरा चरण 1998-2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बंधित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आंकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं/ आवश्यकताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गई

- ग्राम मे 6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं हैं तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं?
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्राम वासियों के क्या सुझाव हैं?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र – अध्यापक अनुपात क्या है ?
- क्या अध्यापक नियमितरूप से विद्यालय आते हैं?.
- शिक्षण कार्य की स्थिति / शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्रण/ शैक्षिक मानचित्र
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक– युवतियों, शिक्षकों/ शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गॉव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गई।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री–पुरूष की जनसंख्या
4. पढने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को रेखांकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष 1998–99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही

विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गांव स्तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998–2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आंकडे एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारवार – बस्तीवार आंकडों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकासखण्डवार संकलित किया गया। 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/ नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6–8 वर्ष तथा 9–14 वर्ष समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी है, पैतृक व्यवसाय में माता–पिता की सहायता करते हैं अथवा सड़क छाप बच्चें (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकडों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते है तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आँकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय–7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजना का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001–2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायगा। इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायगा।

जहां तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आंकड़ों का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजेक्ट एक्टीविटीज़) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का सारिणीयन व संकलन किया जायेगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002–2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायगा। सूक्ष्म नियोजन आंकड़ों को प्रति वर्ष अद्यतन किया जायगा तथा इनका उपयोग आगानी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के निर्माण के समय ई.जी0एस./ए.आई.ई. कार्यक्रम के निर्धारण में किया जायगा।

स्कूल चलो अभियान –

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से जनपद में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। यह अभियान दो चरणों में संचालित किया गया यथा – प्रथम चरण एक जुलाई से 08 जुलाई 2000 तक तथा दूसरा चरण 9 जुलाई से 15 जुलाई 2000 तक संचालित किया गया।

प्रथम चरण –

इस चरण का शुभारम्भ जिलाधिकारी द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया। उन्हें स्कूल चलो अभियान में योगदान देने तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण में सहायता करने हेतु उनका आह्वान किया गया। उसी समय विकास खंड स्तर पर ब्लाक/जिला पंचायत सदस्यों द्वारा तथा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापकों तथा नवनिर्वाचित प्रधानों व सदस्यों के माध्यम से स्कूल चलो अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 जुलाई से 08 जुलाई तक बाल गणना कराई गयी, जिसमें विशेष रूप से उन बच्चों को चिन्हांकित किया गया जो विद्यालय नही जाते हैं।

उक्त अभियान में शासन द्वारा नामित प्रभारी माननीय मंत्री जी द्वारा जनजागरण हेतु निकाली जाने वाली रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पूर्व उन्होंने अपने सम्बोधन में बच्चों के विद्यालय में नामांकन बढ़ाने विशेष रूप से सभी बालिकाओं को विद्यालय लाने तथा उनके स्कूल में ठहराव पर विशेष बल दिया। इस अवसर पर प्रत्येक विकास खण्ड एवं विद्यालय स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरियां निकाल कर जनजागरण का कार्य किया गया ताकि प्रत्येक अभिभावक शिक्षा का महत्व समझ सके और अपने बालक को विशेष रूप से अपनी बालिकाओं को जो विद्यालय के बाहर है स्कूल भेज सके।

इस अभियान के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राम तथा न्याय पंचायत स्तर पर अध्यापकों, आंगनबाडी, कार्यकत्रियों, बहुउद्देश्यीय कर्मचारियों की टीमों का गठन किया गया और उन्हें विभिन्न प्रकार के बच्चों के चिन्हांकन हेतु एक प्रपत्र दिया गया। इस प्रपत्र को ठीक से भरने हेतु यह निर्देश दिये गये कि वे प्रत्येक पंचायत में हर परिवार से सम्पर्क करके बच्चों का चिन्हांकन करें ताकि यह पता चल सके कि वे विद्यालय में नियमित रूप से जा रहे है अथवा स्कूल से बाहर हैं या किसी कारणवश विद्यालय में जाना छोड़ चुके हैं।

उपरोक्त टीमों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिये विकास खण्ड की सहायक विकास अधिकारियों तथा उनके समकक्ष अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया ताकि वे यह सुनिश्चित कर सके कि कोई परिवार स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत आच्छादित

होने से छूट न गया हो। इस प्रकार जनपद के कुल 622 ग्राम सभाओं एवं नगरीय क्षेत्र के कुल 35 वार्डों के कुल 251388 परिवारों में बालगणना का कार्य किया गया। इसमें 6–14 वय वर्ग के कुल 340353 बच्चे चिन्हित किये गये जिसमें से 6–14 वय वर्ग 241648 बच्चे थे।

द्वितीय चरण–

उपरोक्त सभी चिन्हित बच्चों का विद्यालय में नामांकन किया गया और जिन अभिभावकों के बच्चे विद्यालयों में नहीं जा रहे थे उन्हें विद्यालय भेजने हेतु अभिप्रेरित किया गया। इस कार्य में संकुल प्रभारियों द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य किया गया इसी के साथ–साथ समय–समय पर जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा ग्रामों का गहन भ्रमण किया गया। विद्यालयों के बाहर बच्चों को विद्यालय में दाखिल करने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में गोष्ठियाँ की गयीं। ग्राम स्तर पर शिक्षा के प्रति जागरूक व्यक्तियों की टीम तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों ने घर–घर जाकर जनसम्पर्क किया। इसके फलस्वरूप द्वितीय चरण के समाप्त होने तक 6–11 वय वर्गके कुल 215000 बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराया गया। इसी प्रकार 11–14 वय वर्ग के 64593 बच्चों का नामांकन उच्च प्राथमिक स्तर में कराया गया। स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गई है जिनका नामांकन सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

वय वर्ग	कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय में जावे वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6-11 वय वर्ग	110464	98114	208578	115031	99969	215000	29848	11862	41710
11-14 वय वर्ग	65919	54277	120196	39315	25278	64593	14061	20051	34112

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत प्रमुख बल ठहराव में वृद्धि लाने, विशेषकर बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि पर दिया जाता है और तदनुसार अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जाता है जिसके लिए सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। आगे भी स्कूल चलो अभियान में मुख्य बल नामांकन की अपेक्षा बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि पर अधिक रहेगा ताकि नामांकित बालिकायें प्राथमिक शिक्षा प्रगति के उपरान्त ही विद्यालय छोड़ें।

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन की प्रकिया :–

इस जनपद के बी.एस.ए. तथा उनके सहकर्मियों की एक नियोजन टीम गठित की गई इस टीम ने इलाहाबाद के सर्वशिक्षा अभियान की योजना तैयार करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया इसके बाद सर्व प्रथम बस्ती को इकाई मानकर ६ से १४ वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बालक–बालिकाओं को चिन्हित किया गया। इसके लिये ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, अभिभावक एवम् अपवन्चित वर्ग के लोगों की बैठक बुलाकर शिक्षा के महत्व को समझाते हुए इन बच्चों के विद्यालय न जाने के कारण अभितात किये गये। इस अभियान को गतिशीलता प्रदान करने हेतु समयबद्ध समेकित प्रयासों के अन्तर्गत बस्ती ग्राम न्याय पंचायत स्तर पर बैठकें आयोजित कर जनप्रतिनिधियों की सहभागिता प्राप्त की गई। ब्लाक स्तर पर ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लाक स्तरीय अधिकारियों एवम् जनप्रतिनिधियों की वैठक आहूत कर सर्व शिक्षा अभियान का प्रचार–प्रसार किया गया। जनपद स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष एवम् जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सांसद/विधायकों की सहभागिता से अभियान/ आन्दोलन के रूप में चलाने हेतु बैठकें आयोजित की गई। विभिन्न समुदायों विशेषकर महिलाओं तथा नौगढ़ एवं नियामताबाद ब्लाक में अपवंचित वर्ग के लोगों से फोकस ग्रुप डिस्कशन किये गये।

इस अभियान को सफल तथा प्रभावी बनाने हेतु सर्वप्रथम बस्ती को इकाई मानकर विद्यालय न जाने वाले बच्चों को चिन्हित करने के सम्बन्ध में दिनांक 8.2.2001 को सदर विकास क्षेत्र चन्दौली के सुदूर ग्रामीण अन्चल में अवस्थित ग्राम पंचायत विशुनपुरा के ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उस ग्राम पंचायत के सभी सदस्य, नागरिक, अभिभावक, तथा अपवाल्वित वर्ग के लोग सम्मिलित हुए। इस बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के महत्व के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया। बैठक में विशेष रूप से बालिकाओं को शिक्षित करने की समस्या उभरकर सामने आयी। समस्या के समाधान हेतु सभी की भागीदारी एवम् सकिय सहयोग की अपेक्षा की गयी। इसी कम में दिनांक 10.2.2001 को जनपद के सबसे पिछड़े पहाड़ी क्षेत्र नौगढ़ के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय बरवाडीह पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन ।केया गया। यह गॉव तथा क्षेत्र साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है जहॉ महिलाओं की साक्षरता दर 6 प्रतिशत मात्र है जो अत्यन्त दयनीय है। यहाँ की क्षेत्र पंचायत की महिला सदस्य ने यह मांग किया कि महिला साक्षरता बहुत कम है जो शून्य के बराबर है। इसलिए विशेष ध्यान देकर शिक्षा की स्थिति को उन्नत करने के प्रयास जरूरी हैं। दिनांक 8.2.2001 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, संहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा परियोजना अधिकारियों की बैठक कार्यालय में की गयी। अभियान में पारदर्शिता लाने हेतु सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा दिनांक 10.2.2001 को ब्लाक स्तर पर ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में सभी विकासखण्डों पर प्रधानाध्यापकों, शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों की बैठक कर इस अभियान को जन–जन तक पहुँचाने हेतु निर्देशित किया गया।

जनपद स्तर पर दिनांक 13.2.2001 को जिलाधिकारी एवम् मुख्य विकास अधिकारी के साथ समन्वय बैठक की गयी जिसमें जनपद स्तर के प्रशासनिक अधिकारी एवम् शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रतिभाग किये। बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस अभियान के सम्बन्ध में शासन एवम् विभाग द्वारा प्राप्त आदेश एवम् निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गयी।

जिलाधिकारी महोदय ने इस अभियान में पारदर्शिता लाने पर विशेष बल दिया तथा निरक्षरता अभिशाप है कहते हुए सभी उपस्थित अधिकारियों को इस पवित्र कार्य में सक्रिय सहयोग करने हेतु निर्देश दिया ।

उपर्युक्त फोकस डिसकन्स कार्यक्रमों के माध्यम से नियोजन की प्रक्रिया में सामुदायिक सहभागिता सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:-

नियोजन प्रकिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार-विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
08.02.2001	कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	उपबेसिक शिक्षा अधिकारी-1 सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी-07 प्रति उप विद्यालय निरीक्षक-03 परियोजनाधिकारी-05	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवम् उपबेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस योजना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा यह निर्देश दिया गया कि सभी अधिकारी ब्लाक में ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधियों तथा शिक्षकों की बैठक कर योजना के बारे में बताया जाय तथा कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत किया जाय।
08.02.2001	पू0मा0वि0 विशुनपुरा, चन्दौली	ग्राम प्रधान, उपप्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत गणमान्य नागरिक महिला संगठन के सदस्य तथा अभिभावक तथा अपवन्दित वर्ग के सदस्य 35	इस अभियान को सरकारी अभियान न मानकर राष्ट्रीय अभियान के रूप में लिया जाय। यह समस्या आयी कि गरीबी के कारण अभिभावक बच्चों को विद्यालय नही भेज पाता है।
10.02.2001	प्रा.वि. वरवाडीह नौगढ़	ग्राम प्रधान उपप्रधान सभी ग्राम पंचायत सदस्य अभिभावक अनुसूचित जाति एंव अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य-30	महिलाओं को साक्षरता का दर बहुत ही कम है। इसे सुधारा जाय।

13.02.2001	विकास भवन चन्दौली	जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी जि.वि.नि. सूचना अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला विकास अधिकारी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी जिल. अर्थ एवं संख्या अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी–15	इस अभियान में पारदर्शिता लाने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किया जाय। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हेतु स्थल चयन सम्बन्धी बिन्दु उभरकर सामने आये।
17.02.2001	प्रा.वि. सकलडीहा, सकलडीहा	जिला पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य अभिभावक शिक्षक अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के सदस्य–45	1. गुणवत्ता का स्तर अभी भी वांछित स्तर पर नहीं पहुँच पाया है। इस दिशा में सार्थक प्रयास की आवश्यकता है। 2. विकास खण्ड स्तर पर शिक्षकों का दण्ड पुरस्कार एवं व्यवस्था का उत्तरदायित्व ब्लाक स्तर के अधिकारी को होना चाहिए।
20.02.2001	पूर्व माध्यमिक विद्यालय प. धौरहर (सकलडीहा)	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ग्राम प्रधान वी.डी.सी. सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य अभिभावक जागरूक नागरिक महिलायें संख्या–37	1. बच्चों को खेल–खेल में प्रभावी शिक्षा दी जानी चाहिए। 2. प्रारम्भिक शिक्षा में सैद्धान्तिक का प्रतिशत कम व्यावहारिक/प्रायोगिक का प्रतिशत ज्यादा रखा जाय। 3. बच्चों का स्वांस्थ्य परीक्षण विधिवत रूप से कराया जाय तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का निदान भी किया जाय।
22.02.2001	प्राथमिक विद्यालय सैदूपुर–। शहाबगंज	खण्ड विकास अधिकारी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी सहायक विकास अधिकारी सांख्यिकी ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य जागरूक महिलाएँ शिक्षक संख्या–27	1. महिलाओं की सामाजिक स्थिति विशेषकर अनुसूचित तथा कमजोर वर्ग में निम्न स्तर का है जिससे ग्रामीण बालिकाओं के साथ भेदभाव करते हैं महिला जागरूकता के अन्तर्गत उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किये जाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया जाय। 2. बच्चों को निशुल्क गणवेश की व्यवस्था की जानी चाहिए विशेषकर बालिकायें तथा कमजोर वर्ग के बच्चों हेतु।

23.02.2001	पू.मा.वि. सहजौर (नियामतावाद)	खण्ड विकास अधिकारी उप बेसिक शिक्षाधिकारी स.बे. शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापक संकुल प्रभारी ग्राम प्रधान अभिभावक तथा पिछड़े वर्ग के नागरिक संख्या–28	1. अध्यापकों की कमी 2 नीरस शिक्षण विधि 3. आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग अपनी बच्चियों को विद्यालय नही भेज पाते हैं तथा जो अभिभावक अपने बच्चियों को विद्यालय भेजते हैं तो बीच में पढ़ाई छुड़ा देते हैं जिसके फलस्वरूप नामांकन तथा ठहराव दोनो पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
24.02.2001	पू0मा0वि0 वरहनी (बरहनी)	जिला बेसिक शिक्षाधिकारी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी समन्यवक सह समन्वयक प्रधानाध्यापक स.अ. ग्राम प्रधान बी. डी.सी. सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य अभिभावक–संख्या–34	1. अध्यापकों का ठहराव एक विद्यालय में तीन वर्ष से अधिक तथा एक विकास खण्ड में 7 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए। 2. अध्यापकों को शिक्षण कार्य में लापरवाही करने पर जिम्मेवार ठहराना चाहिये। 3. अध्यापकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य नही लेना चाहिए।
26.02.2001	प्राथमिक विद्यालय चहनिया, चहनिया	ब्लाक प्रमुख खण्ड विकास अधिकारी, स.वे. शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य शिक्षक, ग्राम प्रधान सदस्य ग्राम पंचायत, तथा अभिभावक–संख्या–27	1. प्रभावी निरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। 2. भवन निर्माण का कार्य अध्यापकों से न कराया जाय। 3. निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण समय से कराया जाय। 4. पाठ्यक्रम की जानकारी का अभाव।

सोशल एसेसमेन्ट स्टडी :

आरम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में आने वाली सामाजिक बाधायें अभिज्ञात करने के उद्देश्य से भदोही में सोशल एसेसमेन्ट स्टडी सम्पादित की गई थी जिसमें निम्नलिखित निष्कर्ष निकले :

1. **अनाकर्षक विद्यालय वातावरण :** विद्यालयों का वातावरण आकर्षणयुक्त बनाने की आवश्यकता है। चहारदिवारी, पुष्पवाटिका, शौचालय, हैण्डपंप का होना आवश्यक है।

2. **अपर्याप्त एवं योग्य शिक्षकों का अभाव :** अधिकांश विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक कार्यरत नहीं है और जो अध्यापक कार्यरत हैं, वे दूसरे कार्यों में व्यस्त रहने के कारण शैक्षिक विद्या का कक्षा में सही ढग से प्रयोग नहीं कर पाते।

3. **परम्परागत शिक्षण विधियों का प्रयोग :** अध्यापक अब भी नयी विधियों का प्रयोग न करके पुरानी विधियों का प्रयोग कर रहे हैं।

4. **निरीक्षण प्रणाली का असहयोगात्मक रूख :** निरीक्षक वर्ग के अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण विधिवत नहीं किया जाता जिससे गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाता।

5. विद्यालयों में शिक्षण अधिगम सामग्री का अभाव है।

6. समाज में आर्थिक रूप से कमजोर लोग अपने बच्चों को विद्यालय में न भेजकर घर के कार्यों में ही लगाये रखते हैं।

7. जनपद भदोही, कालीन उद्योग का प्रमुख केन्द्र है। अधिकांश बच्चे धनोपार्जन हेतु इस उद्योग में कार्य करते हैं और विद्यालय नहीं जा पाते।

8. **वर्ण एवं जातीयव्यवस्था :** समाज में वर्ण व्यवस्था एवं जातिवाद के कारण कतिपय लोग अपने बच्चे को विद्यालय में भेजना उचित नहीं समझते हैं।

9. **पुरूष सत्तायुक्त समाज :** पुरूष सत्तायुक्त समाज होने के कारण समाज में महिलाओं को शिक्षित होना आवश्यक नहीं समझा जाता। केवल घर के कार्यों में महिलाओं को दक्ष बनाना परम्परा सी बन गयी है।

उपरोक्त स्टडी से निकले निष्कर्षों में से अधिकांश जनपद चन्दौली में भी लागू होती हैं। सर्व शिक्षा अभियान में अपनाई गई रणनीति तथा कार्यक्रम तैयार करते समय उपरोक्त विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यकम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4- केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपालिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु कमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

Co-ordination with various deptt.

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) उ०प्र० जल निगम/ यू.पी. एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की कीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

Co-ordination with various deptt.

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है :–

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना – 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना – 1991 की जनसंख्या के आँकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षो में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 2.55 % है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/ नगरीय, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेंट रेशियो मेथड' से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथनिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेगें।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार् प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामंकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – चन्दौली

वर्ष	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	128271	116056	244327	105182	95166	200348	82
2001-02	131542	119015	250557	121019	109494	230513	92
2002-03	134896	122050	256947	137594	124491	262085	102
2003-04	138336	125163	263499	149403	135176	284579	108
2004-05	141864	128354	270218	158887	143757	302644	112
2005-06	145481	131627	277108	167303	151371	318675	115
2006-07	149191	134984	284175	174553	157931	332484	117
2007-08	152995	138426	291421	182064	164727	346791	119
2008-09	156897	141956	298852	188276	170347	358623	120
2009-10	160898	145576	306473	193077	174691	367768	120

सारिणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – चन्दौली

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	53375	48291	101666	37363	33804	71166	70
2001-02	54736	49522	104258	41599	37637	79236	76
2002-03	56132	50785	106917	46028	41644	87672	82
2003-04	57563	52080	109643	50656	45831	96486	88
2004-05	59031	53408	112439	55489	50204	105693	94
2005-06	60536	54770	115307	60536	54770	115307	100
2006-07	62080	56167	118247	63942	57852	121794	103
2007-08	63663	57599	121262	67483	61055	128538	106
2008-09	65286	59068	124354	70509	63793	134303	108
2009-10	66951	60574	127525	73646	66632	140278	110

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं-

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर	उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर
2000-01	22	10
2001-02	18	9
2002-03	14	8
2003-04	11	7
2004-05	8	6
2005-06	5	5
2006-07	2	4
2007-08	0	3
2008-09	0	2
2009-10	0	0

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी।

अध्याय–5

समस्यायें एवम् रणनीतियाँ

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत रूप में तथा समुदाय की सहभागिता प्राप्त करते हुए अपनायी गयी। शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गों, शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, अभिभावकों आदि में समूह चर्चा की गयी, जिनके आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्यायें एवं मुद्दे निम्नवत् उभरकर सामने आये। इन समस्याओं के समाधान हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपनायी जाने वाली रणनीति भी इंगित की जा रही है।

समस्यायें / मुद्दे	रणनीति
शिक्षा की पहुँच सम्बन्धी	
बस्ती से विद्यालय का दूर होना।	एक कि0मी0 की परिधि से अधिक दूरी के बस्तियों को चिन्हित कर शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र खोले जायेगें।
बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव न रहना।	सामाजिक बन्धन के कारण अभिभावक अपनी बालिकाओं को बालकों के साथ विद्यालय भेजना नहीं चाहते और वे बीच में पढ़ायी छोड़ देती हैं। इसके निमित्त सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत बालिका शिक्षा केन्द्र खोलने की व्यवस्था की जायेगी।
प्राकृतिक बाधाओं जैसे नदी, नाला, रेलवे लाइन के नजदीक होने के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं।	जिन बस्तियों से सटे नदी, नाले एवम् रेलवे लाइन हैं ऐसी प्राकृतिक बाधाओं की भय से अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं। ऐसी बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जायेंगे।

अध्यापक की कमी	इस विद्यालय में छात्र संख्या के अनुपात में अध्यापकों की कमी के कारण बच्चे अपना दाखिला नही ले पाते हैं इसके लिए इस योजना में शिक्षा मित्र देने की व्यवस्था की गयी है।
उपष्कर की कमी	विद्यालयों में प्रायः साज सज्जा की कमी के कारण विद्यालय आकर्षक नही हो पाता हे इस कारण से भी अभिभावक बच्चों का नामांकन नही कराते है। इसके तहत सर्व शिक्षा योजनान्तर्गत पर्याप्त संसाधन मुहैया कराने की व्यवस्था की गयी है।
नामांकन की दृष्टि से बालिकाएं बालकों की तुलना में बहुत पीछे है	किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की बालिका शिक्षा से बहुत प्रभावित होती है। कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामांकन शत् प्रतिशत करने के साथसभी वर्ग की शत प्रतिश बालिकाओं का नामांकन भी करना है। इसलिए बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान की जायगी। इसको दृष्टि गत रखते हुए बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये जायेगें। इनमें शिशु शिक्षा केन्द्र भी खोले जायेगें।
<u>ठहराव सम्बन्धी</u>	
बालिकाओं का ठहराव विद्यालय में कम होना	बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था की जायेगी। शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक प्रा०वि० एवं उच्च प्रा० वि० में कम से कम ५० प्रतिशत महिला शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी।
आर्थिक विपन्नता	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक नही रोक पाते है तथा बीच में विद्यालय छोड़ने को बाध्य हो जाते है। ऐसे बच्चों हेतु वृजकोर्स की व्यवस्था की गयी है। अपने बच्चों को विद्यालय से पूरे समय तक नहीं रोक पाते हैं तथा बीच में विद्यालय छोड़ने को बाध्य हो जाते है। ऐसे बच्चों हेतु बृजकोर्स की व्यवस्था की गयी है।

रूढिवादिता	६-१४ वयवर्ग की बालिकायें जो गाँव की रूढ़िवादी परम्पराओं के कारण बालको के साथ विद्यालयों में नहीं पढना चाहती उनके लिए पृथक नवाचार केन्द्र खोले जायेंगे तथा कार्यानुभव कार्यक्रम चलाये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बालिका शिक्षा हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा।
<u>गुणवत्ता सम्बन्धी</u>	
अध्यापको का पढाने में विशेष रूचि न लेना	अध्यापक प्रशिक्षण तथा अभिप्रेरण के माध्यम से नई शिक्षण विधियों को लागू किया जायेगा।
सतत् मूल्यांकन का एवम् दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली	गुणवत्ता में सुधार हेतु बच्चों द्वारा किया गया पाठ्य कार्य का सतत मुल्यांकन किया जायेगा।
<u>संस्थागत क्षमताओं सम्बन्धी</u>	
ग्राम शिक्षा समितियो का संवेदनशील न होना	समस्त ग्राम शिक्षा समितियो को बालक बालिकाओं की शिक्षा हेतु सम्वेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जायेगें। जनपद के अत्यन्त पिछडे एवम् सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास खण्डों न्याय पंचायतों में प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माडल क्लस्टर विकास कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।
सामुदायिक सहभागिता का अभाव	न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधानों, अभिभावकों महिला मण्डल केसदस्यों की बैठक आयोजित कर सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चेत की जायेगी।
सम्वादहीनता	सम्वादहीनता के फलस्वरूप सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचल में शिक्षा का प्रचार–प्रसार नही हो पाता। इसके लिए ६–१४ वयवर्ग के समस्त बालिकाओं को विद्यालय में लाने हेतु ग्रीष्मकालीन शिवरों का आयोजन किया जायेगा।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-11497
Date 29-07-2002.

अध्याय–६

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (१) नवीन औपचारिक विद्यालय :

नवीन विद्यालयों की स्थापनाः

जनपद चन्दौली में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत माईक्रोप्लानिंग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप ३०० से अधिक आवादी युक्त बस्ती तथा १.५ किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित असेवित बस्तियों में १३१ प्राथमिक विद्यालय, ८०० से अधिक आवादी युक्त बस्ती तथा ३.०० किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित असेवित बस्तियों में ३५ उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना की समाप्ति के पश्चात् भी ग्रामीण क्षेत्र की सुदूर अंचल में जनसंख्या बृद्धि के फलस्वरूप १९९१ की जनगणना के आधारभूत आंकड़ों पर अपनाये गये मानक में परिवर्तन आया हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामों के साथ साथ बस्तियों को दृष्टिगत रखकर कार्ययोजना तैयार करने का प्रस्ताव है। ग्राम शिक्षा योजना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पहुंच के विस्तार के सम्बन्ध में कार्यक्रम तैयार किये गये हैं।

असेवित बस्तियों मेंः

सर्व शिक्षा अभियान को जन–जन तक पहुँचाने के लिए अपवन्चित वर्ग, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक बाहुल्य असेवित बस्तियों को चिन्हित किया गया। ऐसी ५० चिन्हित असेवित बस्तियों का विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् हैः–

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	नवीन प्राथमिक विद्यालय की संख्या	बस्तियों की संख्या
१.	चन्दौली	०८	०८
२.	नियमताबाद	०६	०६
३.	बरहनी	०५	०५
४.	सकलडीहा	०६	०६
५.	धानापुर	०१	०१
६.	चहनिया	०६	०६
७.	चकिया	०७	०७
८.	शहाबगंज	०५	०५
९.	नौगढ	०६	०६
१०.	मुगलसराय (नगर पालिका)	–	–
	योगः	५०	५०

श्रोतः स्कूल मैपिंग एण्ड माइक्रो प्लानिंग

इन प्राथमिक विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक तथा एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था होगी। इस प्रकार 50 अध्यापक एवं 50 शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी।

इन 50 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सामग्री हेतु 5000/– प्रति विद्यालय की दर से धन उपलब्ध कराया जायेगा।

50 नवीन प्राथमिक विद्यालयों में काष्ठोपकरण तथा उपष्कर की व्यवस्था की जायेगी। विद्यालय भवन शौचालय, हैण्ड पम्प एवं चहारदीवारी युक्त होंगे।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना –

मानक के अनुसार 800 की आबादी 3 किमी से अधिक दूरी वाले 28 असेवित बस्तियों/ग्रामों में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है। सर्वशिक्षा अभियान में प्रति 2 प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। अतः चन्दौली जिले में सारणी 2.6 के अनुसार कुल 248 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। यह गणना नीचे पुनः दी जा रही है।

वर्तमान में उपलब्ध प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	792
नवीन प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय	50
कुल प्राथमिक विद्यालय	842
1:2 के अनुपात में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता	421
उपलब्ध उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	173
नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता	248

उपरोक्त गणना में नगर क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया है। चूँकि वहाँ नये उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये भूमि उपलब्ध नहीं हो पायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुये की जायेगी। जिससे प्राथमिक विद्यालय में उत्पन्न भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता –

परियोजना द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार नवीन स्थापित 248 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक व 4 सहायक अध्यापक के पद होंगे। इस प्रकार 248 प्रधानाध्यापक तथा 992 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति नियमानुसार की जायेगी।

जनपद में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता/कमी विकास खण्ड/ नगर क्षेत्रवार विवरण

सारणी संख्या 6.1

क्रम	विकास खण्ड का नाम	आइटम/सुविधा का नाम									
		विद्यालय का पुर्ननिर्माण		पेयजल		शौचालय		चहारदीवारी		अतिरिक्त कक्षा.कक्ष	
		पुर्ननिर्माण प्रा0वि0	पुर्ननिर्माण उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0
1.	चन्दौली	2	-	7	3	-	-	77	16	55	15
2.	नियामताबाद	-	1	7	3	3	1	75	12	41	10
3.	बरहनी	2	2	4	-	11	1	75	12	44	10
4.	सकलडीहा	1	-	7	-	3	1	75	12	10	5
5.	धानापुर	10	2	18	4	3	-	80	22	20	5
6.	चहनिया	1	-	20	5	15	5	15	16	4	6
7.	चकिया	8	2	11	5	11	5	70	18	9	7
8.	शहाबगंज	2	-	10	2	-	-	67	16	28	5
9.	नौगढ़	3	1	8	-	4	-	51	11	13	10
10.	न0पा0 मुगलसराय	-	-	3	1	3	1	-	-	-	-
	सम्पूर्ण योग	**29**	**08**	**95**	**23**	**53**	**14**	**658**	**134**	**224**	**73**

उपरोक्त आधार पर 29 प्रा0वि0 एवं 08 उ0प्रा0वि0 का भवन जर्जर है जिनके पुनर्निर्माण का प्रस्ताव है साथ ही 95 प्रा0वि0 एवं 23 उ0प्रा0वि0 में पेयजल की व्यवस्था करने हेतु प्रस्ताव है। 53 प्रा0वि0 एवं 14 उ0प्रा0वि0 में शौचालय की आवश्यकता है तथा 658 प्रा0वि0 एवं 134 उ0प्रा0वि0 में चहारदीवारी की आवश्यकता है एवं 224 प्रा0वि0 तथा 73 उ0प्रा0वि0 में अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता है।

जन पद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता तथा विद्यालयों में शैक्षिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण कराया जायगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायगा। सर्वेक्षण कार्य हेतु रुपये दो लाख प्रति वर्ष का वित्तीय प्राविधान किया जायगा।

सारणी 6.2

अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता

वर्ष	परिषदीय विद्यालयों का नामांकन	ड्राप आउट दर	प्रभावी परिषदीय नामांकन	1:40 पर शिक्षकों की आवश्यकता	कुल पर सृजित पद	अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता		
						शिक्षक	शिक्षा मित्र	कुल योग
2001-2002	189668	20	151734	3793	3519	137	137	274
2002-2003	209993	15	178494	4465	3793	335	334	669
2003-2004	214612	10	193150	4828	4462	183	183	366
2004-2005	218904	5	207958	5198	4828	185	185	370
2005-2006	223282		223282	5582	5198	192	192	384
2006-2007	227748		227748	5694	5582	56	56	112
2007-2008	232302		232302	5807	5694	57	56	113
2008-2009	236948		236948	5923	5897	58	58	116
2009-2010	241686		241686	6042	5923	60	59	119

स्रोत : विभागीय आंकड़े

सारणी 6.3

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का विवरण (प्राथमिक स्तर)

वर्ष	कुल बालिकाओं की संख्या	अनुसूचित जाति के बालकों की संख्या	योग
2001-2002	109719	39100	148819
2002-2003	121477	43745	165222
2003-2004	124162	44703	168865
2004-2005	126640	45682	172322
2005-2006	129167	46688	175855
2006-2007	131761	47715	179476
2007-2008	13439	48765	183158
2008-2009	137077	49743	186820
2009-2010	139815	50734	190549
	1104211	**416875**	**1521086**

स्रोत : विभागीय आंकड़े

सारणी 6.4

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का विवरण (उच्च प्राथमिक स्तर)

वर्ष	कुल बालिकाओं की संख्या	अनुसूचित जाति के बालकों की संख्या	योग
2001-2002	30595	12583	43178
2002-2003	35983	13718	49701
2003-2004	39678	14895	54573
2004-2005	43519	16119	59638
2005-2006	47509	17389	64898
2006-2007	52692	19081	71773
2007-2008	53867	19460	73327
2008-2009	54945	19851	74796
2009-2010	56043	20245	76288
	414831	**153341**	**568172**

स्रोत : विभागीय आंकड़े

शैक्षिक सुविधाओं हेतु सर्वेक्षण :

जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता तथा विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु प्रति वर्ष एक त्वरित सर्वेक्षण कराया जायेगा। जिसके आधार पर आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना व बजट में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण हेतु रु0 2 लाख प्रति वर्ष का वित्तीय प्राविधान किया जायेगा।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरुप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्रथमिक एवं उच्च प्रायमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्रायमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

अध्याय – ७

शिक्षा के पहुँच का विस्तार

शिक्षा गारन्टी योजना / वैकल्पिक शिक्षा / नवाचार शिक्षा योजना

भारत सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को दिनांक ३१/०३/२००९ को समाप्त होने के फलस्वरूप दिनांक १/०४/२००१ से नवीन परिवर्तित योजना ई.जी.एस./ए.आई.ई. चालू करने का निर्णय लिया जा चुका है।

ई०जी०एस०/ए०आई०ई० कार्यक्रम का लक्ष्य समूह ६–१४ वय वर्ग के बच्चें होगे। विकलांग बच्चों के लिए यह आयु १८ वर्ष तक होगी। इस योजना का लक्ष्य समूह ६–१४ वय वर्ग के वंचित बच्चें जो औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में नहीं जा पा रहे अथवा ड्राप आउट हो रहे हैं, होगें।

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

१. शिक्षा गारण्टी योजना
२. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र
३. ग्रीष्मकालीन शिविर / ब्रिज कोर्स

७.१ शिक्षा गारन्टी योजना :

सर्व शिक्षा अभियान में ऐसी असेवित बस्तियों में जहाँ १ कि०मी० की परिधि में विद्यालय नहीं हैं ६–८ वय वर्ग के ३० बच्चों की उपलब्धता पर कक्षा १ व २ के लिए ई०जी०एस० केन्द्र (शिक्षा गारन्टी योजना) खोले जायेंगे। इस केन्द्र के कार्यरत आचार्य को केन्द्र के उत्तीर्ण छात्र/छात्रा का प्रवेश औपचारिक विद्यालय में कराना आवश्यक होगा यह प्रवेश किसी भी समय विद्यालय में कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इन केन्द्रों का नियोजन जनपद की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर किया गया है।

उक्त योजना के तहत जनपद चन्दौली के ग्रामीण आंचल में माइक्रोप्लानिंग के आधार पर असेवित बस्तियों से १ कि०मी० की परिधि में विद्यालय न होने की स्थिति में कुल ६० शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इन केन्द्रों का प्रस्ताव पूर्ण रूप से उन बस्तियों में किया गया है जहाँ कक्षा १ और २ के लिए ३० बच्चों की उपलब्धता रहेगी। इन केन्द्रों में कुछ दूरी एवं कुछ प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण ६–८ वय वर्ग के बच्चों की पहुँच औपचारिक विद्यालयों में नहीं हो पा रही है, जिससे यह बच्चें शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे है।

७.२ वैकल्पिक शिक्षा योजना :

जनपद में ५० प्राथमिक तथा २४८ पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने के बाद ही कुछ बस्तियाँ ऐसी रह जायेगी। जो पहुँच की सीमा से बाहर होगी। इसके अतिरिक्त कुछ कामकाजी बच्चे घुमन्तू बच्चे सचल परिवारों के बच्चे एवं विकलांग बच्चे शेष रह जायेंगे। जिसके लिये शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक होगी। इस जनपद के अन्तर्गत मुगलसराय में देश भर से घुमन्तू बच्चे वर्ष भर आते रहते हैं जो होटलों अथवा दुकानों

पर कार्य करते हैं अथवा अपराधी तत्वों के साथ होकर छोटे–मोटे अपराध में लिप्त हो जाते हैं। काम की तलाश में आने वाले व्यक्तियों के परिवारों के बच्चे भी सड़कों एवं बस स्टेशनों अथवा रेलवे स्टेशनों पर भीख माँगने, जूता पालिश करने मूंगफली बेचने आदि कार्यों में लिप्त है तथा बाद में इस प्रकार के बच्चें बड़े होने पर अपराधी प्रकृति के हो जाते हैं, जो समाज के लिए कष्ट कारक बन जाते हैं।

ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने से मनोवैज्ञानिक दबाब के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चें विशेष कर बालिकायें कामकाजी तथा बालश्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवा चार शिक्षा केन्द्रों, अल्पकालीन, ग्रीष्मकालीन शिविरों तथा दीर्घकालीन शिविरों, ब्रिज कोर्स शिविरों का आयोजन वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाये जा रहे मकतबों/मर्दसों में बालक/बालिकाओं की गुणवत्ता परख शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्यों से इनके क्षेत्रों में भी ए०आई०ई० योजना की व्यवस्था जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जायेगी।

मुख्यतः झुग्गी झोपड़ियों, मलीन बस्तियों एवं बाल श्रमिकों से अच्छादित स्थलों जहाँ पर ६–१४ वय वर्ग के ड्राप आउट एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम २० बच्चें उपलब्ध होंगे, वहाँ नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेगें। इन केन्द्रों में बच्चों का प्रवेश किसी भी समय कराया जा सकता है। इन केन्द्रों के माध्यम से इन वर्गों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न कक्षाओं की पढ़ाई पूर्ण कर औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा की किसी विद्यालय में उपयुक्त कक्षा से किसी भी समय में प्रवेश कराया जा सकेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निकट के प्राथमिक/पूर्व प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्याकों द्वारा प्रवेश दिलाने की व्यवस्था की जायेगी। यह इस योजना का महत्वपूर्ण अंग है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि केन्द्र की शिक्षा समाप्त करने के बाद छात्र पुनः अपने पुराने परिवेश में वापस न हो जाय।

सर्वशिक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद चन्दौली में ३७ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलना प्रस्तावित है। चन्दौली में कालीन एवं साड़ी बनाने के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ६–१४ वय वर्ग के बच्चें इन कार्यों में व्यस्त रहने के कारण औपचारिक विद्यालय में अपना पूरा समय नहीं दे पाते हैं। इसी प्रकार ईंट के भट्ठे पर कार्य करने वाले माता–पिता के बच्चें पूरे वर्ष एक ही स्थान पर निवास न कर पाने के कारण अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिलाते हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के बच्चे मुख्यतः बालिकायें अपने परिवेश के कारण एवं परिवार समय में अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। ऐसे बच्चों की कठिनाई को रखते हुए इन केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव किया गया है। उक्त केन्द्रों की संचालन अवधि ४ घण्टे दिन के समय होगी। यथा सम्भव स्थानीय व्यक्ति द्वारा शिक्षण कार्य सम्पादित कराया जायेगा और रू. १०००/– प्रतिमाह के मानदेय पर संविदा पर रखें जायेगे। इन अनुदेशकों के लिए शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ३० दिन प्रतिवर्ष पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी हैं तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित एवं संवेदित करने हेतु मण्डल/जनपद स्तर पर विभिन्न कार्यशालाओं की व्यवस्था की जायेगी।

उक्त केन्द्रों का प्रस्ताव जनपद में कराये गई माइक्रोप्लानिंग के आधार पर की जायेगी । जो निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है –

सारणी– ७.१

क्रमशः	क्षेत्र पंचायत का नाम	शिक्षण गारन्टी योजना	वैकल्पिक शिक्षा	ग्रीष्म कालीन शिक्षा / बृज कोर्स
१.	चन्दौली	१५	०६	०१
२.	नियामताबाद	०३	०१	०१
३.	बरहनी	०६	०६	०१
४.	सकलडीहा	०६	०५	०१
५.	धानापुर	०६	०२	०१
६.	चहनिया	०५	०५	०१
७.	चकिया	०५	०५	०१
८.	शहाबगंज	०७	०३	०१
९.	नौगढ़	०४	०३	०१
१०.	न० प० मुगलसराय	———	०१	०१
	योग	६०	३७	१०

स्रोत : माइकोप्लानिंग सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े।

७.३ नवाचार शिक्षा योजना ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर

सड़क, प्लेटफार्म मलीन बस्तियों, दूकानों, घुमन्तू बच्चों, नौकरी पेशा, कुलीगिरी, कूड़ा बीनने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक जेल में निरूद्ध है, अथवा बालश्रमिक जिनका वय वर्ग सामान्यतः ६–१४ वर्ष है के लिए ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित किये जायेंगे। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालय से वंचित बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में लाने का प्रयास किया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक विकास क्षेत्र में एक–एक तथा नगर निगम में तीन ग्रीष्म कालीन शिक्षा/ब्रिज कोर्स की स्थापना का प्रस्ताव है।

इन शिविरों की अवधि आवश्यकतानुसार ४ माह से १८ माह तक की हो सकती है। इसमें बच्चों की निर्धारित संख्या ५० होगी तथा यह शिविर पूर्णतः आवासी होगे। इन शिविरों में बच्चों को रहने खाने–पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी। निर्धारित मानकों के अन्तर्गत इस शिविर के लिंए १ केयर टेकर, २ पैरा टीचर, १ रसोईयां एवं १ चौकीदार की व्यवस्था प्रस्तावित है। इन शिविरों का निर्धारण भी माइकोप्लानिंग के आधार पर प्रस्तावित है।

७.४ माइकोप्लानिंग सर्वेक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माइकोप्लानिंग सर्वेक्षण कराकर इस आंकड़े को २००१–२००२ में अद्यतन किया जायेगा, यह सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्र की सभी बस्तियों एवं नगरीय क्षेत्र (खास कर मलीन बस्तियों) में कराया जायेगा ताकि स्कूल से बाहर रहने वाले ६–१४ आयु वर्ग के बच्चों व उनके स्कूल न आने के कारणों को सही रूप से चिन्हित किया जा सके। यह सर्वेक्षण इसलिए किया जाना नितान्त आवश्यक है कि २००२–२००३ के बाद जैसे–जैसे परियोजना उत्तरोत्तर विकास पर होगी, ई.जी.एस./ए.आई.ई. कार्यक्रमों को बच्चों के अभीष्ट वर्ग/चिन्हित समूहों पर किया जा सकेगा।

सर्वेक्षण : ग्रामीण / नगरक्षेत्र

सर्व शिक्षा अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न विकास खण्डों के ब्लाक संदर्भ केन्द्रों में प्राथमिक शिक्षकों द्वारा की गई माइक्रोप्लानिंग सर्वे द्वारा सुलभ एवं उपलब्ध शैक्षिक ऑकड़ों का शैक्षिक–सुविधा–विस्तार के कम मे अध्ययन जनपद के विकास खण्डों के अनौपचारिक शिक्षा के परियोजनाधिकारियों एवं बेसिक शिक्षा के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कराया गया। इसके अलावा इन अधिकारियों के द्वारा अपने–अपने विकास क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, न्यायपंचायत तथा विकासखण्ड स्तरों पर स्थानीय अभिभावकों, ग्रामप्रधानों, जनप्रतिनिधियों ग्राम शिक्षा समितियों के सचिवों की बैठकें आयोजित कर प्राथमिक शिक्षा को समाज के प्रत्येक समुदाय/वर्ग के बच्चों के लिए सर्व–सुलभ करने की दृष्टि से इसके विस्तार एवं पहुँच के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। समुदाय के लोगों तथा जनप्रतिनिधियों के बीच से यह विचार उभर कर आये कि गॉवों/नगरों की जो वस्तियॉ अब भी बच्चों की पहुँच से निकटतम प्राथमिक स्कूल के 1 कि0मी0 की परिधि से बाहर हैं वहॉ 6–8 वयवर्ग के बच्चों के लिए ई0जी0एस0 केन्द्र खोल कर बच्चें जो प्राथमिक स्कूल में नही जा पा रहे हैं उनको उनकी वस्ती में ही कक्षा 1, 2 के स्तर की शिक्षा दे दी जाय जिससे वे कक्षा 3–5 की शिक्षा निकटतम प्राइमरी स्कूल तक पहुँच कर अवश्य प्राप्त कर सकें। सम्प्रति ऐसी वस्तियॉ जहॉ 6–8 वयवर्ग के न पढ़ने वाले कम से कम 30 बच्चे उपलब्ध हैं, चिन्हांकित की गई। इसी प्रकार 9:14 वयवर्ग के किसी भी अपवंचित श्रेणी के बच्चों की प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा उनकी वस्ती में ही वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र (ए0आई0ई0) स्थापित कर उन्हें उनके शैक्षिक स्तर के अनुरूप इन केन्द्रों में प्रवेश प्रदान कर शिक्षा दिया जाय और इन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाया जाय। जिससे 'सर्व शिक्षा अभियान' का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और सन् 2003 तक में कोई बच्चा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश पाने से किसी भी स्तर पर शेष न रह जाय। इस प्रकार इस लक्ष्य के प्राप्ति की दिशा में माइक्रोप्लानिंग आंकड़ों, स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम शिक्षा समितियों से विचार–विमर्श एवं मंथन के उपरान्त ऐसी वस्तियॉ चिन्हांकित की गई। यहॉ ई0जी0एस0 के अन्तर्गत विद्या केन्द्र एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र (ए0आई0ई0) की स्थापना के लिए जनपद के विभिन्न विकासखण्डों से प्रस्ताव प्राप्त है। माइक्रोप्लानिंग आधारित सर्वेक्षण सूचनाओं के अनुसार 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार स्कूलन जानेवाले बच्चों के जनपद की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

EGS/A.I.E. योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र–1:

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या –

बालक 183193 बालिका 157160 योग: 340353

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	48453	–	73994	16398	25905	164750
बालिका	36467	–	63951	14249	18762	133429
योग :	**84920**	–	**137945**	**30647**	**44667**	**298179**

जनपद में :–

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या: (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	**2157**	–	2167	231	841	5396
बालिका	**1858**	–	**1887**	246	668	4659
योग :	**4015**	–	**4054**	**477**	**1509**	**10055**

(4) 9–14 वर्ष के जनपद में स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	08	–	12	25	–	45
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :	**08**	–	**12**	**25**	–	**45**

जनपद में घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	96	–	71	12	08	187
बालिका	15	–	07	04	02	28
योग :	111	–	78	16	10	215

जनपद में काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	5144	–	3903	1250	2452	12719
बालिका	7792	–	5644	1748	3608	18794
योग :	12906	–	9549	2998	6060	31513

जनपद में सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	40	–	24	–	08	72
बालिका	26	–	07	–	–	33
योग :	66	–	31	–	08	105

जनपद में विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	385	–	176	49	71	681
बालिका	117	–	135	39	24	315
योग :	502	–	311	88	95	996

उपर्युक्त तालिकाएँ पूरे जनपद की स्थिति को दर्शाती है। प्रत्येक ब्लाक की स्थिति आगे विकास खण्डवारदी गई सारिणयों से स्पष्ट होती है ।

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (1)

स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थिति (31.12.200 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम :, चन्दौली, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या –

बालक 20243 बालिका 17975 योग :– 38218

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	6425	–	8642	1881	2921	19869
बालिका	4479	–	6667	1417	2743	15306
योग :	10904	–	15309	3298	5664	35175

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	48	–	36	08	15	107
बालिका	120	–	90	42	41	293
योग :	168	–	126	50	56	400

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :	–	–	–	–	–	–

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	13	–	09	03	01	26
बालिका	02	–	01	01	–	04
योग :	15	–	10	04	01	30

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	82	–	88	34	38	242
बालिका	1158	–	720	210	251	2339
योग :	1240	–	808	244	289	2581

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	06	–	04	–	01	11
बालिका	04	–	01	–	–	05
योग :	10	–	05	–	01	16

विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	39	–	16	01	04	60
बालिका	19	–	12	02	06	39
योग :	58	–	28	03	10	99

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (1)

स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थित (31.12.200 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम : नियमताबाद, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या –

बालक 20975 बालिका 18986 योग :– 39961

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	5191	–	9805	2739	1160	18895
बालिका	4295	–	8827	2512	1239	16873
योग :–	9486	–	18632	5251	2399	35768

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई०जी०एस० केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	30	–	34	06	10	80
बालिका	32	–	28	05	09	74
योग :–	62	–	62	11	19	154

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए०आई०ई० केन्द्रों के उपयोग हेतु) बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	795	–	596	199	397	1987
बालिका	812	–	609	204	406	2031
योग :–	1607	–	1205	403	803	4018

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	28	–	13	01	10	52
बालिका	04	–	10	01	01	16
योग :	32	–	23	02	11	68

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (1)

स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थित (31.12.200 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम : बरहनी, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या –

बालक 18973 बालिका 16332 योग : 35305

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	4376	–	7085	1322	4425	17208
बालिका	3360	–	6177	1119	3241	13897
योग :	7736	–	13262	2441	7666	31105

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	201	–	229	21	70	521
बालिका	80	–	100	06	18	204
योग :	281	–	329	27	88	725

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :	–	–	–	–	–	–

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	15	–	13	02	02	32
बालिका	03	–	01	01	–	05
योग :	18	–	14	03	02	37

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	522	–	433	89	160	1204
बालिका	926	–	645	110	503	2184
योग :	1448	–	1078	199	663	3388

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	04	–	04	–	02	10
बालिका	03	–	01	–	–	04
योग :	07	–	05	–	02	14

विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	95	–	33	02	25	155
बालिका	20	–	25	05	04	54
योग :	115	–	58	07	29	209

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (1)

स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थित (31.12.200 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम : सकलडीहा, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या –

बालक 24056 बालिका 21598 योग :– 45654

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	8082	–	10260	1604	2995	22941
बालिका	6466	–	8904	1264	2576	19210
योग :–	14548	–	19164	2868	5571	42151

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	82	–	88	26	16	212
बालिका	164	–	288	34	46	532
योग :–	246	–	376	60	62	744

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

घुमन्तू ब. . (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :	–	–	–	–	–	–

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	347	–	260	87	173	867
बालिका	733	–	550	183	366	1832
योग :	**1080**	–	**810**	**270**	**539**	**2699**

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :	–	–	–	–	–	–

विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	25	–	26	06	04	61
बालिका	12	–	13	03	01	29
योग :	37	–	39	09	05	90

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (1)

स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थित (31.12.200 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम : धानापुर, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या

बालक 21992 बालिका 19277 योग :– 41229

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसख्यक	अन्य	योग
बालक	5781	–	8434	1655	3815	19585
बालिका	4400	–	7796	1855	2670	16721
योग :–	10181	–	16230	3510	6485	36308

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	382	–	391	70	148	991
बालिका	167	–	180	30	90	467
योग :–	549	–	571	100	238	1458

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	505	–	379	126	253	1263
बालिका	795	–	596	199	397	1987
योग :–	1300	–	975	325	650	3250

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	67	–	29	17	10	123
बालिका	30	–	45	20	07	102
योग :–	97	–	74	37	17	225

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (1)

स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थित (31.12.200 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नामं : चहनियाँ, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या –

बालक 25696 बालिका 21281 योग :– 46977

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	3303	–	12652	2420	6038	24463
बालिका	3009	–	11622	1569	3158	19358
योग :–	6312	–	24274	3989	9246	43821

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	45	–	51	10	30	136
बालिका	130	–	142	24	90	386
योग :–	175	–	193	34	120	522

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	422	–	317	105	211	1055
बालिका	605	–	454	151	303	1513
योग :–	1027	–	771	256	514	2568

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	35	–	25	03	07	70
बालिका	08	–	09	02	05	24
योग :–	43	–	34	05	12	94

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (1)

स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थित (31.12.200 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम : चकिया, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या –

बालक 16247 बालिका 12721 योग :– 28968

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	4788	–	6062	1246	1565	13661
बालिका	3363	–	5020	994	493	9870
योग :–	8151	–	11082	2240	2058	23531

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	310	–	290	18	101	719
बालिका	285	–	280	23	110	698
योग :–	595	–	570	41	211	1417

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	16	–	18	02	01	37
बालिका	02	–	01	–	–	03
योग :–	18	–	19	02	01	40

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	745	–	559	186	372	1862
बालिका	861	–	646	215	431	2153
योग :–	1606	–	1205	401	803	4015

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	05	–	04	–	02	11
बालिका	01	–	01	–	–	02
योग :–	06	–	05	–	02	13

विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	33	–	12	01	03	49
बालिका	–	–	10	00	–	10
योग :–	33	–	22	01	03	59

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (1)

स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थित (31.12.200 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम : शहाबगंज, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या –

बालक 15995 बालिका 346 योग :– 29455

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछडी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	4551	–	5160	1604	1411	12726
बालिका	2830	–	4897	1393	1517	10636
योग :–	7381	–	10057	2997	2928	23363

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछडी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	490	–	530	27	408	1455
बालिका	340	–	348	37	223	948
योग :–	830	–	878	64	631	2403

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	726	–	545	181	362	1814
बालिका	750	–	563	188	374	1875
योग :–	1476	–	1108	369	736	3689

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

विकलांग बच्चें (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	15	–	05	–	02	22
बालिका	–	–	05	–	–	05
योग :–	15	–	10	–	02	27

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (1)

स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थित. (31.12.200 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम : नौगढ़, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या –

बालक 9217 बालिका 7746 योग :– 16963

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग.	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	3384	–	2516	596	425	6921
बालिका	2381	–	1890	508	411	5190
योग :–	5765	–	4406	1104	836	12111

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	566	–	515	43	41	1165
बालिका	533	–	429	44	38	1049
योग :–	1134	–	944	87	79	2214

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	438	–	327	110	220	1095
बालिका	592	–	443	148	296	1479
योग :–	1030	–	770	258	516	2574

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	25	–	06	04	01	36
बालिका	20	–	05	03	–	28
योग :–	45	–	11	07	01	64

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (1)

स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थित (31.12.20 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम : नगर पालिका मुगलसराय, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या –

बालक 9839 बालिका 7774 योग :– 17623

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	2572	–	3473	1331	1100	8481
बालिका	1884	–	2151	1618	714	6367
योग :–	4456	–	5629	2949	1814	14848

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	03	–	03	02	02	10
बालिका	02	–	02	01	03	08
योग :–	05	–	05	03	05	18

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	08	–	12	25	–	45
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	08	–	12	25	–	45

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	52	–	31	05	05	93
बालिका	08	–	04	02	02	16
योग :–	60	–	35	07	07	109

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	532	–	399	133	266	1330
बालिका	560	–	420	140	281	1401
योग :–	1092	–	819	273	547	2731

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	25	–	12	–	03	40
बालिका	18	–	04	–	–	22
योग :–	43	–	16	–	03	62

विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	23	–	11	14	05	53
बालिका	04	–	01	03	–	08
योग :–	27	–	12	17	05	61

सर्वेक्षण के अनुसार प्राप्त आकड़ों के आधार पर जनपद के विन्हित ग्रामीण बस्तियों में ई0जी0एस0 केन्द्र की स्थापना की जायेगी। ये बस्तियाँ चिन्हित की गई है। यहाँ 6 से 8 वर्ष के उन बालक बालिकाओं के लिए जिनकी बस्ती निकटतम् प्राथमिक विद्यालय से 1 कि0मी0 की परिधि से बाहर स्थित है और कम से कम 30 बच्चे स्कूल न जाने वाले में उपलब्ध है, उन्हें कक्षा 1 एवं 2 की शिक्षा प्रदान की जायेगी। ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्थापना के लिए विकास खण्डवार प्राप्त प्रस्ताव निम्नवत् है :-

क्र0सं0	विकास क्षेत्र	प्रस्तावित केन्द्र हेतु चिन्हित बस्तियों की संख्या	चिन्हित बस्ती का नाम जहाँ E.G.S. केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है।
1.	चन्दौली	15	1–विसौरी, मुसहरान, 2–गोबरहाँ, 3–फत्तेपुर मड़ई, 4–चुरमुही, 5–नरसिंहपुर(मलिकपुर), 6–गेना का पुरवा (भिखारीपुर), 7–रमऊपुर, 8–वरउर, 9–मड़हर, 10–जगन्चपुर, 11–नवागढ़, 12–चकिया, 13–बगई, 14–मदलपुरवा, 15–भटपुरवा।
2.	नियमताबाद	03	1–तकिया, 2–ताहिरपुर, 3–दरियापुर, ।
3.	बरहनी	06	1–रैपुरी, 2–परसडीहा, 3–बसन्तपुर, 4–विजौरा, 5–किनौती, 6–सोवन्थ।
4.	सकलडीहा	06	1–ओड़ौली, 2–अलहिया, 3–सैदपुरवा, 4–कटेहरा, 5–बसरतिया, 6–बहरवानी।
5.	धानापुर		–विरना(मुसहरवस्ती), 2–नीरापुर, 3–खत्खोली, 4–अकवालपुर, 5–शिवदासीपुर, 6–मनीपट्टी, 7–विसुनपुर –खुर्द, 8–मंगलपुर, 9–किशुनपुरा।
6.	चहनियाँ	05	1–बड़गौवा(मलही का पूरा), 2–खर्रा, 3–मरकनिया, 4–मुकुन्दपुर, 5–रामपुर(प्रभुपुर)।
7.	चकिया	05	1–बहोरा, 2–कीटपुर, 3–कटनवाँ, 4–फत्तेपुर, 5–हथेड़ा
8.	शहाबगंज	07	1–मुसहरबस्ती(शहाबगंज), 2–तिरासी(मड़स्तर), 3–मुसहरबस्ती(खाश), 4–उजारीकटवा, 5–इटहिया(मूसी), 6–बल्लीपुर(डुमरी), 7–मरूहिया।
9.	नौगढ़	04	1–हरदहवा, 2–हिनवत घाट, 3–तोहड़ा, 4–कुबराडीह ।
10	नगरक्षेत्र (न0पा0 मुगलसराय)	00	–शून्य–
	कुल योगः–	60	60

A.I.E. में नामांकन हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र–2 जनपद, चन्दौली।

पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों का विवरण जनपद–चन्दौली।

(9–14 वयवर्ग)

क्रमांक	व्यवसाय का नाम जिसमें बच्चे अपने अभिभावक के मददगार है।	व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों का जन संख्या में प्रतिशत।	व्यवसाय में मदद करने वाले 9–14 वयवर्ग के बच्चों की संख्या					
			स्कूल पढ़ने जाने वाले बच्चों की संख्या			स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या		
			बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	कृषि	60	43429	34495	77924	7838	11443	19281
2.	पशुपालन	10	8448	6542	14990	1303	1908	3211
3.	दुकानदारी	10	3576	2829	6405	1305	1905	3210
4.	कुम्हार	5	2754	2217	4971	657	955	1612
5.	बढ़ई	6	3160	1605	4765	787	1130	1917
6.	दर्जी	4	3063	2051	5114	523	763	1286
7.	अन्य	5	4610	4330	8940	634	968	1602

A.I.E. में नामांकन हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र : (2) प्रपत्र–2.1

पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों का विवरण (9–14 वयवर्ग) विकास खण्डवार

जनपद – चन्दौली।

नोटः– प्रथम पृष्ठ पर इस वर्ग के पढ़ने वालों की तथा दूसरे पृष्ठ पर न पढ़ने वाले की संख्या विकास खण्डवार दर्ज की गई है। (मददगार पढ़ने वाले बच्चे)

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	कृषि			पशुपालन			दुकानदारी			कुम्हार			बढ़ई			दर्जी			अन्य			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	चन्दौली	9330	7240	10570	258	194	452	130	98	228	648	486	1134	648	488	1134	259	194	453	648	486	1134	11921	9184	21105
2.	नियमताबाद	8947	7804	16751	374	445	819	380	368	748	535	370	905	477	–	477	229	280	509	395	857	1252	11337	10124	[illegible]
3.	बरहनी	5888	4315	10203	1325	1150	2475	1135	1075	[illegible]	450	541	991	486	530	1016	479	410	889	487	417	[illegible]	10325	8338	[illegible]
4.	सकलडीहा	4606	3899	8505	2294	1921	4215	2295	1920	4215	1147	960	2107	1230	1012	2242	1048	854	1902	1145	[illegible]	2105	13765	11526	25291
5.	धानापुर	6756	5438	11193	1184	892	2076	1263	905	2168	1187	884	2068	962	709	1801	836	682	1517	546	519	1064	11761	10033	21784
6.	चहनियाँ	1201	9317	21418	836	710	1546	167	142	309	167	142	309	167	142	309	167	142	309	1073	1020	2093	14678	11615	26293
7.	चकिया	5361	3796	9157	516	382	898	594	421	1015	297	210	507	590	400	990	200	209	409	639	504	1143	8197	5922	14119
8.	शहाबगंज	6884	5771	12655	45	40	85	75	05	80	10	08	18	12	–	12	08	10	18	602	548	1150	7636	6382	14018
9.	नौगढ	2368	1941	4309	405	304	709	482	284	766	191	138	329	305	205	510	180	114	294	222	128	350	4153	3114	7267
10.	मुगलसराय न0पालिका	3007	2358	5365	521	384	905	508	363	871	254	182	436	283	234	517	203	108	311	313	191	504	5089	3820	8909
	योग :–	64247	51879	116126	7758	6422	14180	7029	5581	12610	4866	3905	8791	5179	3718	8897	3604	3003	6607	6149	5550	11699	98852	80058	178910

73

A.I.E. में नामांकन हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र : (2) प्रपत्र–2.2

पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों का विवरण (9–14 वयवर्ग) विकास खण्डवार

जनपद – चन्दौली।

नोटः– प्रथम पृष्ठ पर इस वर्ग के पढ़ने वालों की तथा दूसरे पृष्ठ पर न पढ़ने वाले की संख्या विकास खण्डवार दर्ज की गई है। (मददगार न पढने वाले बच्चे)

क0 सं0	विकास खण्ड का नाम	कृषि			पशुपालन			दुकानदारी			कुम्हार			बढ़ई			दर्जी			अन्य			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	चन्दौली	160	1428	1588	26	237	263	26	240	266	13	119	132	16	145	161	11	95	106	13	118	131	267	2376	2643
2.	नियमताबाद	1200	1223	2423	200	204	404	202	203	405	100	102	202	120	122	242	80	82	162	98	103	201	2000	2039	4039
3.	बरहनी	746	1339	2085	124	223	347	125	221	346	62	112	174	75	134	209	50	89	139	62	113	175	1244	2231	3475
4.	सकलडीहा	552	1114	1666	90	186	276	91	188	279	50	93	143	57	97	154	36	74	110	27	104	131	903	1856	2759
5.	धानापुर	826	1253	2079	138	209	347	137	208	345	69	104	173	83	125	208	55	84	139	68	106	174	1376	2089	3465
6.	चहनियाँ	858	922	1580	110	153	263	109	154	263	55	77	132	66	92	158	44	62	106	55	77	132	1097	1537	2634
7.	चकिया	1120	1292	2412	186	215	401	187	214	401	93	108	201	112	129	241	75	86	161	94	109	203	1867	2153	4020
8.	शहावगंज	1066	1125	2213	181	188	369	180	187	367	91	94	185	109	113	222	73	75	148	92	93	185	1814	1875	3689
9.	नौगढ़	679	904	1583	113	151	264	112	152	264	57	75	132	68	90	158	45	60	105	57	75	132	1131	1507	2638
10.	मुगलसराय न0पालिका	809	845	1654	135	142	277	134	140	274	67	71	138	81	85	166	54	56	110	68	70	138	1348	1409	2757
	योग :–	7838	11443	19281	1310	1908	3211	1305	1905	3210	657	955	1612	787	1132	1917	523	783	1286	634	968	1602	13047	19072	32119

क्रमश

चन्दौली जनपद कृषि प्रधान है। कृषि ही यहाँ प्रमुख व्यवसाय के रूप में है। अधिसंख्य जनता किसान है। 6 – 14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों में से अधिसंख्य बच्चे अपने माता–पिता के कृषि कार्यो में सहयोग प्रदान करते हैं तथा कुछ अन्य अपने पैतृक व्यवसाय जैसे पशुपालन,दुकानदारी, कुम्हारी, बढ़ईगिरी, दर्जीगिरी आदि। अन्याय पैतृक पेशों में लगे हुए है। ये बच्चे पैतृक व्यवसायो में लगे अपने माता–पिता के कार्यों में सहयोगी बनने के कारण एवंम् गरीबी के कारण बच्चों को पारिवारिक कार्यों में ही लगाये रहते हैं कन्यायें अपनी माता–पिता के साथ घरेलू कार्यो मे हाथ बटाने एवं अपने छोटे भाई–बहनों के लायक पालन में माता–पिता की सहयोगिनी बने रहने से स्कूली शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाती है। इसके अलावा इस जनपद का आधा हिस्सा जिसमें नौगढ़, चकिया और शहाबगंज आते है, पहाड़ी एवं मैदानी दोनो प्रकार के क्षेत्रों से युक्त है। जहाँ की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी है, पहाड़ी नदी नालों के कारण भी बालिकायें स्कूली सुविधा घर से दूर उपलब्ध होने से शिक्षा से वंचित हो जाती है। इसी प्रकार कुछ बच्चे जो शालात्याग कर दिए और शिक्षा की मुख्य धारा से अलग हट गए हैं उन्हे प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऐसी विशिष्ट बास्तियों का सर्वेक्षणों परान्त चिन्हांकन कराकर शिक्षा से इन अपवंचित 9 से 14 वर्षीय बालक/बालिकाओं को बैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करंके तथा नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करके शिक्षा देने तथा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उपाय किये जायगें। विभिन्न विकास खण्डो से इस प्रकार के वैकल्पिक शिक्षा हेतु चिन्हित बास्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र ए0 आई0 ई0 खोलने के प्रस्ताव आगे सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–4 पर सूची वद्ध है

जनपद :– चन्दौली : – स्कूल न जाने वाले 9 – 14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या (31.12.200)
(ग्रामीण / नगर क्षेत्र) के आधार पर

	शाला त्यागी बाहुल क्षेत्र का नाम			बाल श्रमिकों की बहुलता वाले क्षेत्र / बस्तियां			कामकाजी बच्चों की बहुलता वाले क्षेत्र / बस्तीयाँ			
ब्लाक का नाम	जहाँ 15 से 25 बच्चे उपलब्ध है।	जहाँ 25 से 50 बच्चे उपलब्ध है।	जहाँ 50 से अधिक बच्चे उपलब्ध है।	जहाँ 15 से 25 बच्चे उपलब्ध है।	जहाँ 25–50 बच्चे उपलब्ध है।	जहाँ 50 से अधिक बच्चे उपलब्ध है	जहाँ 15–50 बच्चे उपलब्ध है।	जहाँ 25 से 50 बच्चे उपलब्ध है।	जहाँ 50 से अधिक बच्चे उपलब्ध है।	
1. चन्दौली	कुरई	शाहपुर	–	–	–	–	भिखारीपुर	गोरारी	–	06
	चनहटा	–	–	–	–	–	एकौनी	–	–	
2. नियमतावाद	हसनपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	01
3. बरहनी	बरहनी	–	–	–	–	–	–	अमड़ा	–	06
	कम्हरिया	–	–	–	–	–	–	असना	–	
	भतीजा	–	–	–	–	–	–	अरंगी	–	
4. सकलडीहा	नरौजा	–	–	–	–	–	दर्गापुर	–	–	05
	जलालपुर	दिवाकरपुर	–	–	–	–	जीवनपुर	–	–	
			–	–	–	–		–	–	
5. धानापुर	बसगाँवा	–	–	–	–	–	गुरैनी	–	–	02
6. चहनिया	भुपौली	कैली	–	–	–	–	पपौरा	सढान	–	05
	–	–	–	–	–	–	कैथी	–	–	
7. चकिया	इमिलिया	चतुरीपुर	–	–	–	–	–	–	–	05
	जीयनपुर	अमरा दक्षिणी	–	–	–	–	–	–	–	
	गरला	–	–	–	–	–	–	–	–	
8. शहबगंज	–	शहाबगंज	–	–	–	–	–	मूसाखाड	–	03
	–	सैदूपुर	–	–	–	–	–	–	–	
9. नौगढ	–	–	–	–	–	–	खटरवरिया	महादेवपुर विजयडीह	–	03
10. न. पा. मुगलसराय	–	–	–	–	काली महाल	–	–	–	–	01
योग	13	07	.....	.....	01	.....	08	08	.....	37

वैकल्पिक एवं नवचार शिक्षा (ए0 आई0 ई0) कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्राप आउट के बालक बालिकाओं, अधिक आयु हो जाने से झेंप / मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से

वंचित बच्चों बालिकाएं, कामकाजी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों, अल्प/दीर्घ ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन ब्लाक स्तर पर एवं जिला स्तर पर एक वृज कोर्स शिविर की स्थापना की जाएगी। इसका विवरण निम्न है:-

1. दीर्घ/अल्प कालीन शिविर की स्थापना

जनपद मे कुल विकास खण्ड 9 x 1 = 9 शिविर

2. वृज कोर्स शिविर- जनपद स्तर पर एक चकिया तहसील मुख्यालय पर प्रस्तवित है।

इन शिविरो का उद्देश्य औपचारिक विद्यालय से वंचित हो रहे 9-14 वयवर्ग के बालक/बालिकाओं को औपचारिक विद्यालय में लाना होगा। इन शिविरो में न्यूनतम 50 बच्चे सम्मिलित किए जायगें जिसमें बच्चों के रहने, भोजन एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी।

वृज कोर्स के संचालन हेतु निर्धारित मानकों के अनतर्गत एक केयर टेकर, 2 पैरा टीचर एक कुक (रसोइया) तथा एक चौकीदार की व्यवस्था नियमानुसार की जायेगी। व्यय का प्राविधान बजट में प्रस्तावित है।

चिन्हित बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगीं जहॉ शिक्षण कार्य के लिए स्थल/कक्ष की व्यवस्था स्थानीय समुदाय द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों की संस्तुतियों पर पंचायत भवन, चौपाल अथवा किसी विवाद रहित स्थान पर किया जायेगा जो बच्चों के पहुँच की दृष्टि से उपयुक्त हों। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रतिदिन 4 घण्टे संचालित किये जायेगे। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवम् रात्रि को नहीं रखा जायेगा।

आचार्य/ अनुदेशक की न्यूनतन शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल या इसके समकक्ष होगी। महिलाओ को प्राथमिकता प्रदांन की जायेगी। आचार्य/अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी आचार्य/अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करके हाई स्कूल परीक्षा के अंको के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। तत्पश्चात आचार्य/अनुदेशक का आमन्त्रण पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा दिये जायेंगे। किसी आचार्य/अनुदेशक का कार्य सन्तोष-जनक न होने की दशा में ग्राम शिक्षा समिति के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके आचार्य/अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में आचार्य/अनुदेशक का चयन जिला बेसिक/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र, सम्बासद सम्बन्धित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। आवश्यतानुसार मक्तवो/मदरसो में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने की स्थिति में

मकतबों/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी अन्यथा सम्बन्धित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो, को मकतबों में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमन्त्रित किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रो हेतु अनुदेशकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिये। जहाँ पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हों वहाँ पर इण्टर मीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है। अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक सम्विदा प्रपत्र भराया जायेगा।

आचार्य/अनुदेशक का प्रशिक्षण

आचार्य/अनुदेशको का 30 दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक संसाधन केन्द्रो पर आयोजित किया जायेगा। इनका यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रवक्ताओं, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा योग्य अध्यापक/सन्दर्भ व्यक्तियों के माध्यम से करायी जोयेगी। प्रशिक्षण अवधि में कोई धनराशि मानदेय के रूप में अनुदेशक को देय नहीं होगी।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था

ऐसे प्रत्येक वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के लिये साज–सज्जा एवम् शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति निर्धारित सामग्री बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सीधे केन्द्र के आचार्य/अनुदेशकों को उपलब्ध करायेगी। इन केन्द्रों में नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु अनुसांगिक व्यय प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए 468.75 प्रति केन्द्र तथा अपर प्राथमिक स्तर के केन्द्र के लिए 500/प्रति केन्द्र का प्राविधान है।

पर्यवेक्षण की व्यवस्था

इन केन्द्रों के सफल संचालन हेतु तथा एकेडमिक सहयोग एवम् नियमित पर्यवेक्षण का कार्य विभिन्न स्तरों पर निम्नांकित लोगो द्वारा कराया जायेग।

1– ब्लाक स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी /सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/ बी. आर. सी. समन्वयक द्वारा तथा नगर क्षेत्र में शिक्षा अधीक्षक द्वारा।

2. न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी द्वारा।

3. ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति/प्रधानाध्यापक द्वारा।

4. इसके अतिरिक्त जनपदीय मण्डलीय एवं राज्य स्तरीय शिक्षा विभागीय अधिकारियों द्वारा।

शिक्षार्थियों का मूल्यांकन एवम् शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित कराने की व्यवस्थाः–

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत एवम् व्यापक मूल्यांकन केन्द्र के आचार्य/अनुदेशक द्वारा किया जायेगा। इस हेतु आचार्य/अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवम् वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा शीघ्रातिशीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्यधारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिये वह योग्य हो किसी भी समय प्रवेश पा जायें। अनुदेशक/आचार्य का दायित्व होगा कि उनके केन्द्र में पढ़ने वाले शीघ्रतिशीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्यधारा में उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहे। इस परिप्रेक्ष्य में आचार्य/अनुदेशक का मूल्यांकन ग्राम शिक्षा समिति/विकास खण्ड स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। इन केन्द्रों में अध्यापनरत बच्चें जो कक्षा 5 हेतु निर्धारित कार्यक्रम पूर्ण कर लेंगे उनकी वार्षिक परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी, तत्पश्चात उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन कराया जायेगा।

अनुश्रवण की व्यवस्थाः–

इन शिक्षा केन्द्रों में नामांकन, आचार्य/अनुदेशक की नियुक्ति शिक्षण स्थलों के चयन, शिक्षण कर्त्ताओं के कार्य का मूल्यांकन तथा इनसे सम्बन्धित सभी प्रकार के आय/व्यय के सम्बन्धी लेखा–जोखा का रख रखाव, आकड़ो के एकत्रीकरण, संकलन और विश्लेषण की व्यवस्था हेतु जनपद स्तर पर कम्प्यूटराइज्ड मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम की स्थापना करके की जायेगी।

केन्दों का समय–समय पर भौतिक सत्यापन ग्राम शिक्षा समिति, ब्लाक स्तरीय एवम् जिला स्तरीय समिति द्वारा विभिन्न स्तरों पर मासिक, त्रैमासिक, तथा वार्षिक बैठकें आयोजित कर एवम् सूचना एकत्र करके कार्यक्रम की समीक्षा करके प्रगति आख्याओं का प्रसारण किया जाएगा।

उपर्युक्त कार्यक्रमों पर लगने वाली इकाई लागत तथा अनुमानित लागत का विवरण आगे अंकित है:–

इ०जी०एस० / ए०आई०ई० कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों में जनपद में चलने वाले कार्यक्रमों की इकाई लागत एवं अनुमानित लागत का विवरण निम्नलिखित है–

क्र०सं०	आईटम का नाम	इकाईयों की कुल संख्या	प्रति इकाई लागत दर	कुल अनुमानित लागत		
				प्राथमिक स्तर के केन्द्र	अपर प्राईमरी स्तर के केन्द्र	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	ई०जी०एस० केन्द्र	60				
अ.	अनुदेश / मानदेय (60X1000X10)		रू० 1000.00 प्रतिमाह / प्रति अनु०	600000.00	–	600000.00
ब.	अनुदेशक प्रशिक्षण (60X1500)		रू० 1500.00 प्रति	90000.00		90000.00
स.	शिक्षण सामग्री छात्रों के लिए (60X30X100)		रू० 3000.00 प्रति	180000.00		180000.00
द.	केन्द्र के लिए शिक्षण सामग्री		रू० 1100.00 प्रति	66000.00		66000.00
य.	केन्द्र कन्टीजेन्सी (60X468.75)		रू० 468.75 प्रति	28128.00		28125.00
		उपयोग		964125=00	–	964125.00
2.	बैकल्पिक शिक्षा केन्द्र	37				
अ	अनुदेशक मानदेय प्राथमिक स्तर 30 X1000 X10		रू० 1000.00 प्रति	300000.00	–	300000.00
	अपर प्राथमिक स्तर 7 X2 X2000 X10		रू० 2000.00 प्रति		280000.00	280000.00
ब	अनुदेशक प्रशिक्षण प्रा० स्तर 15000 X30		रू० 1500.00 प्रति	45000.00		45000.00
	अपर प्रा० स्तर 2000 X7 X2		रू० 2000.00 प्रति		28000.00	28000.00
स	शिक्षण सामग्री प्राथमिक स्तर केन्द्र 30 X30 X100		रू० 100.00 प्रति	90000.00		90000.00
द	शिक्षण सामग्री अपर प्रा० स्तर केन्द्र 7 X30 X50		रू० 150.00 प्रति		31500.00	31500.00
य	केन्द्र कान्टीजेन्सी व्यय प्रा० स्तर 30 X468.75		रू० 468.75 प्रति	14062.00		14062.00
	अपर प्रा० स्तर 7 X50		रू० 500.00	–	3500.00	3500.00
		उप योग		449062.00	343000.00	792062.00
3	बृजकोर्स / शिविर	01				
अ	केयर टेकर–1. पैराटीचर–2 कुल 3 के प्रशिक्षण पर व्यय 3 X2000 X30		रू० 2000.00	180000.00		180000.00
ब	केयरटेकर, पैराटीचर वेतन / मानदेय व्यय		रू० 2500.00	90000.00		90000.00

	3x250x12					
स	कुक मानदेय / पारिश्रमिक 1x2000x12		रु 2500.00 प्रति	24000.00		24000.00
द	50 छात्रों हेतु शिक्षण सामग्री केन्द्र हेतु शिक्षण सामग्री केन्द्र कान्टीजेन्सी कुल मिलाकर रु 3000.00 प्रति छात्र की दर से		रु 3000.00 प्रति	15000.00		15000.00
य	50 छात्रों हेतु भोजन, जलपान आदि का 12 माह हेतु दर रु 1500.00 प्रति छात्र (50x1500x12)		रु 1500.00 प्रति	900000.00		900000.00
र	साज सज्जा तथा अन्य व्यय (वर्ष भर का)			150000.00		150000.00
		उप योग		1494000.00		1494000.00
		सम्पूर्ण योग		2907187.00	343000.00	3250187.00

ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान दिया जायेगा। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद में समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्क टॉप अप्रेज़ल तथा फील्ड अप्रेज़ल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के अप्रेज़ल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्याः रा0प0नि02466/2001–2002 दिनांक 15 जून, 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/539/2001–2002 दिनांक 7 जून, 2001 द्वारा उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परिषद के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कर्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजूकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुभव रखते हैं, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजूकेशन गारण्टी स्कीम एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों/संदर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। 'अण्डर ऐज' व 'ओवर ऐज' बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के 32119 आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षो में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव माडॅल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव माडॅल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

अध्याय 8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ठहराव में वृद्धि हेतु अतिरिक्त कक्षा कक्षों एवं जर्जर स्कूल भवनों का निर्माण विद्यालयों के भौतिक सुविधाओं की पूर्ति विकलांगों की समेकित शिक्षा का पूर्ण समावेश है।

निर्माण कार्य

विद्यालय भवन का पुर्ननिर्माण

यह जनपद उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा आच्छादित रहा है। इसके तहत 131 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 35 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, 70 प्राथमिक विद्यालय का पुर्ननिर्माण, 5 उच्च प्राथमिक विद्यालय का पुर्ननिर्माण, 614 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 120 शौचालय आदि का निर्माण कराया जा चुका है। फिर भी जनपद के कुछ विद्यालय पुर्ननिर्माण की कोटि में आ गये हैं। जिनका विकास खण्डवार विवरण सारणी के रूप में अंकित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में 29 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 8 का पुर्ननिर्माण प्रस्तावित है।

सारणी 8.1

क्रम	ब्लाक का नाम	आइटम/सुविधा का नाम									
		पुर्वनिर्माण		अतिरिक्त कक्षा/कक्ष		शौचालय		हैण्डपम्प		चहारदीवारी	
		पुर्ननिर्माण प्रा0वि0	पुर्ननिर्माण उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0
1.	चन्दौली	2	-	55	15	-	-	7	3	77	16
2.	नियामताबाद	0	1	41	10	3	1	7	3	75	12
3.	बरहनी	2	2	44	10	11	1	4	-	75	12
4.	सकलडीहा	1	-	10	5	3	1	7	-	75	12
5.	धानापुर	10	2	20	5	3	-	18	4	80	22
6.	चहनिया	1	-	4	6	15	5	20	5	87	15
7.	चकिया	8	2	9	7	11	5	11	5	70	13
8.	शहाबगंज	2	-	28	5	-	-	10	2	67	15
9.	नौगढ़	3	1	13	10	4	-	8	-	52	11
10.	न0पा0 मुगलसराय	-	-	-	-	3	1	3	1	-	-
	सम्पूर्ण योग	29	8	224	73	53	14	95	23	658	134

चहारदीवारी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक लागत रु 40000/– से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था समुदाय द्वारा की जायेगी। चहारदीवारी हेतु कम लागत के विकल्पों को भी अपनाया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 592 विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा।

जहाँ तक अतिरिक्त कक्षा कक्षों की मांग का प्रश्न है वह निम्न आधार पर निकाली गई है।

1.	सभी 1 कक्षीय विद्यालयों की कम से कम 3 कक्ष उपलब्ध कराये जायेगें, वर्तमान में ऐसे–ऐसे विद्यालय हैं अतः नये कक्षा कक्षों की संख्या	4
2.	सभी 2 कक्षीय विद्यालयों की कम से कम 3 कक्ष उपलब्ध कराये जायेगें, वर्तमान में ऐसे 156 विद्यालय हैं अतः नये कक्षा कक्षों की संख्या	156
3.	209 चार कक्षीय विद्यालयों में 20 प्रतिशत विद्यालयों में छात्र नामांकन अधिक होने के कारण एक अतिरिक्त कक्ष	40
4.	81 पाँच कक्षीय विद्यालयों में 20 प्रतिशत में छात्र नामांकन अधिक होने के कारण एक अतिरिक्त कक्ष	16
	कुल अतिरिक्त कक्षा कक्षों की संख्या	224

उच्च प्राथमिक विद्यालय

1.	सभी 3 कक्षीय विद्यालयों में एक अतिरिक्त कक्ष की उपलब्धता	56
2.	50 चार कक्षीय विद्यालयों में से 20 प्रतिशत में छात्र नामांकन अधिक होने के कारण एक अतिरिक्त कक्ष	10
3.	35 पाँच कक्षीय विद्यालयों के 20 प्रतिशत में एक अतिरिक्त कक्ष	7
	कुल अतिरिक्त कक्षा कक्षों की संख्या	73

2.2 अतिरिक्त शिक्ष/शिक्षा मित्र की व्यवस्था

सारणी 4.3 में जनपद में प्रभावी छात्र संख्या का अनुमान किया गया है वह निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

वर्ष	शिक्षकों की आवश्यकता		
	शिक्षक	शिक्षा मित्र	योग
2001–2002	137	137	274
2002–2003	335	334	669
2003–2004	183	183	366
2004–2005	185	185	370
2005–2006	192	192	384
2006–2007	56	56	112
2007–2008	57	56	113
2008–2009	58	58	116
2009–2010	60	59	119
योग	1263	1260	2523

विद्यालय मरम्मत

जनपद में 118प्राथमिक विद्यालय तथा 18 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग है जिनकी मरम्मत हेतु रू0 20000/– की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 75 प्राथमिक विद्यालय तथा 25 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहत मरम्मत योग है, जिनकी मरम्मत हेतु रू0 70,000/– की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहत मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना कार्यालय को होगा।

बालिका शिक्षा

1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता का दर 42 प्रतिशत है जिसमें ग्रामीण साक्षरता 32 प्रतिशत तथा नगरीय साक्षरता 52 प्रतिशत है। पुरूष साक्षरता 54 प्रतिशत महिला साक्षरता 18 प्रतिशत है। इस प्रकार उपर्युक्त महिला साक्षरता की दर जनपद में पुरूषों की अपेक्षा बहुत कम है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में

बालिकाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला साक्षरता और शिक्षा को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। तद्नुसार बालिका शिक्षा के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये गये। इस विवरण से यह बात स्पष्ट रूप से उभरकर आ रही है कि साक्षरता तथा नामांकन दोनों दृष्टि से महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में पीछे है। किसी भी राष्ट्रका विकास वहाँ की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता है। कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामांकन शत–प्रतिशत करने के साथ–साथ सभी वर्ग की शत–प्रतिशत बालिकाओं का नामांकन भी करना है।

नामांकन हेतु चलाये गये विभिन्न अभियानों और गॉव स्तर पर बैठक में आये विभिन्न स्तर के जनों से चर्चा के दौरान कई ऐसी समस्यायें उभर कर सामने आयी है। जिनके समाधान के लिए बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये गये हैं इनमें 3–6 वय वर्ग के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु शिशु शिक्षा केन्द्र खोले गये जिसके फलस्वरूप इन विद्यालयों में बालिका शिक्षा के नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई। क्योंकि बालिकायें प्रायः इस वय वर्ग के अपने छोटे भाई–बहनों के देखभाल करने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती। कक्षा–5 पास करने के पश्चात् अब प्राथमिक कक्षाओं के बालिकाओं के लिए कार्यानुभव के अन्तर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्यानुभव प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। परिणामस्वरूप विद्यालय में बालिकाओं की उपस्थिति में वृद्धि हुई एवम् ड्राप – आउट दर में कमी आयी। जनपद के विकास खण्डों में एवम् नगर क्षेत्र में साक्षरता में महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है जिसमें नौगढ़ की महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 6 प्रतिशत है, नियमताबाद की 14 प्रतिशत है चकिया एवम् शहाबगंज की 17 प्रतिशत है। सकलडीहा का 18 प्रतिशत, चन्दौली, धानापुर, चहनिया की 21 प्रतिशत है। बरहनी 23 प्रतिशत है तथा नगर क्षेत्र का 42 प्रतिशत है जो सारिणी में निम्नवत है:–

क्र0स0	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर (प्रतिशत)			साक्षरता दर अनुसूचित जाति (प्रतिशत)		
		पुरूष	महिला	कुल योग	पुरूष	महिला	कुल योग
1.	चन्दौली	55	21	36	24	12	18
2.	नियमताबाद	42	14	28	20	10	16
3.	बरहनी	52	23	38	23	11	17
4.	सकलडीहा	49	18	34	26	14	20
5.	धानापुर	51	21	36	28	16	22
6.	घहनिया	55	21	37	25	17	21
7.	चकिया	42	17	30	21	09	15
8.	शहाबगंज	45	17	32	24	14	19
9.	नौगढ़	28	06	17	16	08	12
	योगः	46	18	32	45	13	18
	न0पा0 मुगलसराय	6	46	56	30	20	25
	टाउन एरिया चन्दौल	60	40	50	24	12	18
	टाउन एरिया सैयदराजा	62	42	52	23	11	17
	टाउन एरिया चकिया	58	38	48	21	09	15
	योग	62	42	52	25	13	18

स्रोत सांख्यिकी पंत्रिका 1997

इस प्रकार महिला साक्षरता दर को देखते हुए सर्वप्रथम विकास खण्ड नौगढ़, नियामताबाद तथा चकिया में बालिका शिक्षा विशेष रूप से प्रस्तावित है।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्नलिखित रणनीतियों प्रस्तावित है।

1. अभिभावक अपने बालिकाओं को दूरस्थ विद्यालय में भेजना नहीं चाहते है। इस हेतु 1.5 कि0मी0 की परिधि में प्रत्येक 300 की आबादी पर नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जायेगी एवं 800 की आबादी तथा 3 कि0मी0 की परिधि पर ऐसी प्रत्येक बस्ती में उ0प्रा0विद्यालय खोले जायेगें जहाँ अभी विद्यालय नहीं है।

2 प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं के ठहराव हेतु शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था की जायेगी।

3. प्रत्येक प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षक महिलायें हो ऐसा प्रयास किया जायेगा।

4. मातृ शिक्षक संघ एवं महिला प्रेरक समूहों का गठन कर बलिकाओं की शिक्षा में आने वाली समस्याओं को दूर किया जायेगा।

5. बालिकाओं के नामांकन एवम् ठहराव में वृद्धि हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था की जायेगी।

6. जनपद में बालिका शिक्षा की देख-रेख हेतु एक पूर्ण कालिक जिला समन्वयक (बालिका) की व्यवस्था नियमानुसार प्रति नियुक्ति के आधार पर की जायेगी।

7. समस्त सेवारत अध्यापकों को बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं, विद्यालय वातावरण आदि पर आधारित विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

8. ऐसी बालिकायें (6 से 14 वय वर्ग) जो औपचारिक विद्यालयों में नहीं जा सकती उनको EGS/AIE में प्रवेश कराया जायेगा।

9. 11–14 वय वर्ग की बालिकायें जो गाँव की रूढ़िवादी परम्पपराओं के कारण बालकों के साथ स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती उनके लिए पृथक नवाचार केन्द्र खोले जायेगें।

10. कार्यानुभव कार्यक्रम चलाये जायेगें।

11. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बालिका शिक्षा उन्नयन हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा।

<u>जनजागरण अभियान</u> :

जनपद चन्दौली में 6 से 14 वय वर्ग की कुल बालिकाओं की संख्या 157160 है जिसमें 133429 बालिकाओं का नामांकन विद्यालय में है। शेष 23731 बालिकायें अब भी औपचारिक प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित नही है। इन बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जन-जागरण अभियान चलाये जायेगें। विशेषकर विकास खण्ड नौगढ, नियमतावाद, चकिया तथा शहाबगंज ऐसे विकास खण्ड है जहां पर बालिकाओं की साक्षरता

प्रतिशत बहुत ही कम है ऐसी बालिकायें जहां पर घरों में काम करती है या अल्पसंख्यक है। अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई है वहां पर प्रतिमाह जुलाई से सितम्बर तक जन–जागरण अभियान चलाये जायेगा । इसके निमित्त प्रभात फेरिया, जुलूस, पोस्टर, नारों का लेखन, जन–सम्पर्क कार्यक्रम तथा महिला मण्डल की बैठकों का आयोजन किया जायेगा।

सनस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे।

महिला प्रेरक समूहों का गठन किया जायेगा। तदोपरान्त प्रभादी प्रशिक्षण दिया जायेगा। जनपद के सनस्त परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथनिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को बालिका शिक्षा को संवेदनशील बनाने हेतु विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जायेगा। जनपद के अत्यन्त पिछड़े एवं सुदूर वर्ती विकास खण्डों न्यायपंचायतों, ग्राम पंचायतों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मॉडल क्लस्टर डेवलपमेन्ट एप्रोच जैसे कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

माडल क्लस्टर एप्रोच–

न्यायपंचायतों को मॉडल क्लस्टर के रूप में विकसित किये जायेंगे। इस क्लस्टर के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेगें ताकि इन न्यायपंचायतों की समस्त ग्राम पंचायतों में से 6–14 वय वर्ग की बालिका का शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव सुनिश्चित हो साथ ही साथ समुदाय में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति रूचि स्वयं इनकी भागीदारी भी विकसित हो। चयनित न्यायपंचायतों में बालिकाओं में आत्म–विश्वास एवं आत्म–छवि को विकसित करने एवं उनमें नेतृत्व के गुण को विकसित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण

माता शिक्षक संघ– ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की 10–12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निम्रण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनानें हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगें।

महिला प्रेरक दल–ऐसे गाँव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करनें हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै0शि0 केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर सनुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगें।

- **ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन**

  - बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंग। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।

  - बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एव बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा।

    – माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान

    – माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान

    – माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

    बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन से बने बैज प्रदान किये जायेगे।

- **सत्र के मध्य एवं सत्रान्त में अभिभावक सम्मेलन**

  शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा इससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनो के विषय में उन्हे अवगत कराते हुये नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें। जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

- **कोहार्ट स्टडी**

  अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षो का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

- **ग्रीष्म कालीन शिविर**

  ऐसे गाँव/ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शाल त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हे पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

- **"बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान**

  सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम हैं "बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें" यह सुनिश्चित करनें के लिये "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव–गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियाँ की जायेगी। यह अभियान में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

- **शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण**

  बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नज़रिया बदलने तथा उन्हे संवेदनशील हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण

3–6 वय वर्ग के बच्चों के लिए जनपद के तीन विकास खण्ड सकलडीहा, चकिया तथा नौगढ़ में शिशु शिक्षा केन्द्र संचालित है। छोटे भाई – बहनों की देख–रेख में लगी बालिकायें विद्यालय नहीं आ पाती। उन्हें विद्यालय में आने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस0 के आंगनबाड़ी केन्द्र नही संचालित है, उन विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा सकते है। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनों की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आंमत्रित किये जायेगें। इन प्रस्तावों को डेस्क टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगां

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अन्य कार्यक्रम जैसे कार्यानुभव

करके सीखनें की शिक्षा विधि के आधार पर जनपद के विकास खण्ड नौगढ़, नियमताबाद, चकिया तथा शहाबगंज के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा। इसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर खिलौने बनाना, कला चित्र, रंगाई, सिलाई–कढ़ाई, बुनाई का कार्यक्रम चलाया जायेगा।

2. परिवार में ऐसे विकलांग बच्चों के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है जिनसे परिवार में आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है।

3. विकलांग बच्चों के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। इससे उत्पादन में कमी होती है। इससे समाज में एकीकरण की कमी हो जाती है।

अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियाँ समाज में प्रचलित है। बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों के शिक्षा के लिए विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है जब कि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती। केवल अध्यापक को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्क होता है। विशेष प्रकार की तकनीकी की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिए होती है जिनका रोग असाध्य एवं गम्भीर रूप धारण कर चुका है।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समोंकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिये सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इन प्रस्तावों का डेस्क टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एव अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा।

4. संवेदनशीलता

अक्षम व्यक्तियों के शिक्षा के लिए निम्नांकित संवेदीकरण की आवश्यकता है:-

1. समुदाय का संवेदीकरण।
2. परिवार एवं भाई-बहनों का संवेदीकरण एवं मार्ग-दर्शन।
3. अध्यापकों का संवेदीकरण।

संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है। अक्षम बच्चों के लिए सहानुभूति तो सभी दर्शा देते हैं इन्हें सहानुभूति नही बल्कि सहायता की आवश्यकता होती है। उनकी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता होती है।

5. उपकरण एवं उपस्कर

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपकरण तथा उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिए बच्चों का डाक्टरों की टीम जिसने एक आर्थोपेडिक, कए E&T डाक्टर एवं नेत्र विशेषज्ञ के द्वारा मेडिकल जांच कराया जाता है फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी।

निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण :-

निशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण की व्यवस्था शासन की की ओर से की गयी है। समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक को निःशुल्क वितरित किया जायेगा। इनकी संख्या सारिणी ८.२ में दर्शायी गयी है।

सारणी – ८.२

निशुल्क पाठ्यपुस्तकों का विवरण – प्राथमिक स्तर

वर्ष	कुल बालिकाओं की संख्या	अनुसूचित जाति के बालकों की संख्या	योग
२००१–२००२	१०६७१६	३६१००	१४८८१६
२००२–२००३	१२१४७७	४३७४५	१६५२२२
२००३–२००४	१२४१६२	४४७०३	१६८८६५
२००४–२००५	१२६६४०	४५६८२	१७२३२२
२००५–२००६	१२६१६७	४६६८८	१७५८५५
२००६–२००७	१३१७६१	४७७१५	१७६४७६
२००७–२००८	१३४३६३	४८७६५	१८३१५८
२००८–२००९	१३७०७७	४६७४३	१८६८२०
२००९–२०१०	१३६८१५	५०७३४	१९०५४६
योग	११०४२११	४१६८७५	१५२१०८६

स्रोत : विभागीय आंकड़े

सारणी – ८.३

निशुल्क पाठ्यपुस्तकों का विवरण – उच्च प्राथमिक स्तर

वर्ष	कुल बालिकाओं की संख्या	अनुसूचित जाति के बालकों की संख्या	योग
२००१–२००२	३०५६५	१२५८३	४३१७८
२००२–२००३	३५६८३	१३७१८	४६७०१
२००३–२००४	३६६७८	१४८६५	५४५७३
२००४–२००५	४३५१६	१६११६	५६६३८
२००५–२००६	४७५०६	१७३८६	६४८६८
२००६–२००७	५२६६२	१६०८१	७१७७३
२००७–२००८	५३८६७	१६४६०	७३३२७
२००८–२००९	५४६४५	१६८५१	७४७६६
२००९–२०१०	५६०४३	२०२४५	७६२८८
योगः	४१४८३१	१५३३४१	५६८१७२

स्रोत : विभागीय आंकड़े

<u>समेकित एवम् सम्मिलित शिक्षा</u> :

देश की लगभग ५ से १० प्रतिशत की आबादी किसी न किसी विकालंगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनीकरण की लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जबतक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाता। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहां बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चे को सामान्य प्राथमिक विद्यालयों के सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है। इस जिले में विकलांग बच्चो का सर्वेक्षण किया जायेगा और इन बच्चों की शिक्षा की योजना तैयार की जायेगी इस सम्बन्ध में निम्न लिखित मार्ग दर्शिका को ध्यान में रखा जायेगा।

विकलांगता / अक्षमता के प्रकार :

विकलांगता मुख्य रूप से ५ प्रकार की होती है ।

१. दृष्टि विकलांगता

2. श्रवण स्वयं वाणी विकलांगता
3. अस्थि विकार विकलांगता
4. मानसिक मन्दता
5. अधिगम मन्दता

<u>विकलांगता के कारण</u> :

बच्चों के कुछ विकलांगतायें जन्म से होती हैं तो कुछ जन्म के पश्चात् विकसित होती हैं। कुछ विकलांगतायें वातावरण से सम्बन्धित होती है। बच्चो की अधिगम अक्षमता के निम्न कारण होते हैं

1. बौद्धिक क्रिया–कलाप का निम्न स्तर एवम् विकास की मन्द गति।
2. देखने में कठिनाई, सुनने एवम् बोलने में कठिनाई।
3. हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ, पैर, का होना, अंगो की विकृति जो मांसपेशियों के ताल मेलन न होने से क्रिया–कलापों में कठिनाई।
4. मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान, स्मृति विचारक समस्यायें
5. दृष्टि तथा मांस पेशियों में ताल–मेल न होना।

कुछ कारण बच्चों के घर परिवार एवम् विद्यालय से सम्बन्धित होते है।

- माता पिता के स्नेह में कमी।
- बच्चो को ही भावना से देखना।
- सिखने के समान अवसर न मिलना।
- शिशु स्तर पर लालन पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना।
- शिक्षक का बच्चों से कम लगाव होना।
- सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चो के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

<u>अक्षमता के परिणाम</u> .

1. बच्चों मे आत्म–निर्भरता में कमी हो जाती है। वे परामुखापेक्षी हो जाते है। उन्हें चलने में कठिनाई होती है जिसके फलस्वरूप दूसरों से सहायता लेनी पड़ती है: ऐसे बच्चे समाज में उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते हैं।

2. परिवार में ऐसे विकलांग बच्चों के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है जिनसे परिवार में आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है।

3. विकलांग बच्चों के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। इससे उत्पादन में कमी होती है। इससे समाज में एकीकरण को कमी हो जाती है।

अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियाँ समाज में प्रचलित है। बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों के शिक्षा के लिए विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है जब कि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती। केवल अध्यापक को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्क होती है। विशेष प्रकार की तकनीकी की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिए होती है जिनका रोग असाध्य एवं गम्भीर रूप धारण कर चुका है।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समोंकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिये सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इन प्रस्तावों का डेस्क टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एव अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा।

4. **संवेदनशीलता**

अक्षम व्यक्तियों के शिक्षा के लिए निम्नांकित संवेदीकरण की आवश्यकता है:-

1. समुदाय का संवेदीकरण।
2. परिवार एवं भाई-बहनों का संवेदीकरण एवं मार्ग-दर्शन।
3. अध्यापकों का संवेदीकरण।

संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है। अक्षम बच्चों के लिए सहानुभूति तो सभी दर्शा देते हैं इन्हें सहानुभूति नही बल्कि सहायता की आवश्यकता होती है। उनकी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता होती है।

5. **उपकरण एवं उपस्कर**

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपकरण तथा उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिए बच्चों का डाक्टरों की टीम जिसमें एक आर्थोपेडिक, कए E&T डाक्टर एवं नेत्र विशेषज्ञ के द्वारा मेडिकल जांच कराया जाता है फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की अपूर्ति करानी होगी।

6. अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण :

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का बिन्दु विशेष रूप से आवश्यक है जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर विशेष बल दिया जाता है।

7. शिक्षकों के लिए सामग्री का विकास :

शिक्षकों द्वारा हस्त-पुस्तिका विकास किया जाना चाहिए तथा पांच विकलांगताओं, दृष्टि, श्रव्य, अधिगम, अस्थि एवं मानसिक विकलांगता पर हैण्डबुक तैयार किया जाना चाहिए।

8. स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता ली जायेगी।

7. छात्र स्वास्थ्य परीक्षण :

स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ्य मस्तिष्क का विकास होता है। अपितु बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का होना अत्यन्त आवश्यक है। प्रायः देखा जाता है कि परीक्षण के अभाव में सामान्य रोग भी विकलांग रूप धारण कर लेता है जिसके फलस्वरूप बच्चे काल-कवलित हो जाते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की गयी है जिसके तहत सम्बन्धित बच्चों का स्वास्थ्य कार्ड प्रत्येक विद्यालय पर बना हुआ है जो प्रधानाध्यापक की देख-रेख में विद्यालय पर सुरक्षित रहता है। समय-समय पर डाक्टरों का दल प्रत्येक विद्यालय पर पहुँचकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करता है तथा रोग ग्रसित बच्चों की सूची तैयार कर निदान हेतु रेफर करते हैं। इस प्रकार के रोगों की जानकारी होने से अभिभावक सतर्क रहते हैं तथा डाक्टर द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हैं।

8. सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम :

सर्वशिक्षा अभियान स्कूल पद्धित के क़ार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटि परक प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन के रूप में प्रदान करने सम्बन्धी आवश्यकता को पूर्ण करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री-पुरुष असमानता तथा सामाजिक रूढ़ि को समाप्त करने की परिकल्पना की गयी है। प्रभावी विकेन्द्रीकरण के माध्यम से विद्यालय आधारित कार्यक्रमों की सामुदायिक सहमति की अपेक्षा की गयी है। महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के

और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को सम्मिलित कर इस कार्यक्रम को गतिशील जायेगा। इसके अन्तर्गत सामुदायिक सहयोग पर विशेष बल दिया जायेगा। शैक्षिक प्रबन्ध पद्धति सूक्ष्य आयोजनला औरा सर्वेक्षण से समुदाय आधारित सूचना के साथ स्कल स्तरीय जैसे महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्ध स्थापित करना अनिवार्य होगा। सर्व शिक्षा अभियान ना को इकाई के रूप में बस्ती के साथ योजना बनाते हुए सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण ना आवश्यक होगा। बस्ती योजनायें जिला योजना तैयार करने की आधार होगी। सर्वशिक्षा ाम ने शिक्षकों, अभिभावकों एवं पंचायती राज संस्थाओं के बीच पारदर्शिता की कल्पना की है। परियाजना का पूर्व चरण सुनियोजित रूप से एक साथ प्रारम्भ की जायेगी। मूल्यांकन ति को सुधारकर क्षमता विकास के अनेक कार्यक्रम चलाया जायेगा। बस्ती योजना को तैयार रने के लिए समुदास पर आधारित सूक्ष्म आयोजना तथा स्कूल मैपिंग का प्राविधान, विस्तृत रेलू सर्वेक्षण को शामिल करना, सामुदायिक गतिशीलता के लिए कार्यकलाप सूचना पद्धति तैयार करने के लिए सहायता कार्यक्रम उपस्कर का प्राविधान सम्मिलित है।

समुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षाके प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय व स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लए जनपद स्तर पर एक निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क आूप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा औ संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

माइक्रोप्लानिंग आँकड़ों का संकलन :

जनपद के 09 विकास खण्डों एव नगर पालिका मुगलसराय में माइक्रोप्लानिंग कराई गयी। प्राप्त आंकड़ों का संकलन विकास, खण्डवार किया गया तथा उसका परीक्षण एव पर्यवेक्षण जनपद स्तर पर किया गया। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही कार्य योजना की संरचना की गयी। इसी आधार पर नवीन प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/नवाचार केन्द्रों को चिन्हित किया गया। प्राथमिक विद्यालय हेतु ऐसी ही बस्तियों का यचन किया गया जो 1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर तथा बस्ती की

आबादी 300 या उससे अधिक है। उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु ऐसे बस्तियों को चिन्हित किया गया जो 3.00 कि0मी0 परिधि से अधिक दूरी तथा 800 या उससे अधिक आबादी वाले हों। 6 से 8 वय वर्ग के बच्चे जो विद्यालय नहीं जाते हैं उनके लिए ऐसे बस्तियों को चिन्हित किया गया जहा पर 30 बच्चे उपलब्ध हैं। इस स्थान पर शिक्षा गारण्टी केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया गया है। 9–14 वय वर्ग के बच्चे जो शाला त्याग कर चुके हैं तथा गृह कार्य से विद्यालय नहीं आ पाते हैं उनके लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/नवाचार हेतु बस्तियों को चिन्हित कर शिक्षा के मुख्या धारा से जोडने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

वातावरण सृजन :

किसी भी अभियान/जनान्दोलन को चलाने एवं पूर्ण रूप से सफल बनाने में वातावरण सृजन का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रारम्भिक वातावरण सृजन हेतु जन–जागरण, रैलियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन बस्ती, ग्राम, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकास खण्ड, तहसील एवं जनपद स्तर पर सम्पादित किया जायेगा। समाचार–पत्र, विज्ञापन एवं पोस्टर–बैनर के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जायेगा । समाज के पिछडे, दलित, अल्पवन्चित, अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक वर्ग का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा। प्रायः देखा जाता है गरीबी एवं रूढिवादिता के फलस्वरूप बहुत से अभिभावक अपने बच्चे को विद्यालय नही भेज पाते हैं तथा कुछ अभिभावक विद्यालय भेजते भी हैं तो बीच में पढाई छुडा देते हैं जिसके फलस्वरूप ड्राप–आउट की समस्या दिन–प्रतिदिन बढती जा रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए वातावरण का सृजन बहुत ही आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जबकि निचले स्तर के लोगों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो।

पल्स–पोलियो एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम के सम्पादन के साथ–साथ सर्वशिक्षा अभियान से सम्बन्धित गोष्ठियों का आयोजन सम्पूर्ण जनपद में किया जायेगा जिससे इस अभियान की महत्ता के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जायेगा जहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत कम है उस बस्ती, ग्राम, विकास खण्ड पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा तथा ऐसे वातावरण का निर्माण किया जायेगा ताकि अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में भेज सके।

- युवक मंगल दल, नेहरू युवा कल्याण दल, महिला मंगल दल के माध्यम से रैलियां/गोष्ठियों का आयोजन कर प्रचार प्रसार किया जायेगा।

। एव प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रभात फेरियां निकालकर जन–मानस को जागृत जायेगा तथा शिक्षक एवं बुद्धिजीवियों द्वारा बस्तियों में जन–सम्पर्क किया जायेगा।

: सेवी संस्थाओं के सहयोग से पूरे जनपद में प्रचार अभियान चलाया जायेगा।

ग्राम पंचायतों के माध्यम से सर्वशिक्षा से सम्बन्धित आदर्श वाक्य लिखवाने का कार्य प्रत्येक स्ती एवम् गांवों में कराया जायेगा तथा इसके महत्व को जन–जन तक पहुँचाया जायेगा।

मुख्य सार्वजनिक स्थान, चौराहों, सरकारी भवनों पर पोस्टर–बैनर एवं विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

सर्व शिक्षा के प्रचार–प्रसार में जनपद– के प्रशासनिक अधिकारी, जन–प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं स्वयं सेवी संघटनों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

- ग्राम मेलों में सर्वशिक्षा का स्टाल लगाकर प्रचार–प्रसार का कार्य किया जायेगा।
- सिनेमा घरों में स्लाइड्स के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
- प्रत्येक शनिवार को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों द्वारा बाल सभा के माध्यम से सर्व शिक्षा से सम्बन्धित कार्य का प्रचार–प्रसार किया जायेगा। इसमें शिक्षकों का भी सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
- गाँव की सफल कहानियों को उद्धरित करते हुए सर्व शिक्षा अभियान सन्देश पत्रिका के माध्यम से झुग्गी–झोपडियो, मलीन बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्तियों को शिक्षा के प्रति चेतना उत्पन्न की जायेगी तथा सर्व शिक्षा के महत्व को बताया जायेगा।
- जनपद के प्रमुख स्थानों पर विशेषकर सुदूर अंचल में अवस्थित बस्तियों एवं गावों में सर्व शिक्षा अभियान गेट लगाये जायेगें।

स्थानीय प्रचलित लोक गीतो के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान को व्यापक बनाया जायेगा।

जन सहभागिता एवं वातावरण सृजन हेतु रैलियों, विद्यालयों द्वारा प्रभात फेरियों एवं मशाल जुलूसों आदि का आयोजन किया जायेगा। समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु शैक्षिक मेले, बाल मेले एवं प्रदर्शनी आदि आयोजित की जायेगी। सर्व शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों के प्रचार-प्रसार हेतु नुक्कड नाटक दल एवं प्रेरक समूह तैयार किये जायेगें। गांव के स्थानीय कलाकारों द्वारा नाटक, गीत आदि तैयार करवाकर गांवों एवं बस्तियों में प्रस्तुत किया जायेगा। पोस्टर, गीत, नारों, कहानियों एवं चलचित्रों आदि के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को जन-जन में उजागर किया जायेगा। बालिकाओं की शिक्षा से सम्बन्धित अन्ध-विश्वासः एवं पूर्वाग्रहों को दूर किया जायेगा। " बालिका का शिक्षित होना बालक से भी अधिक आवश्यक है", अभिभावकों में यह भावना जागृत की जायेगी। सहभागी क्रियाओं एवं अभिनय आदि के माध्यम से उदाहरण देकर प्रस्तुत किया जायेगा कि बेटी भी कर सकती है आपके सपने पूरे, आपके परिवार का नाम रोशन। विद्यालय भ्रमण के उपरान्त बालिकाओं को विद्यालय न भेजने वाले परिवार वालों का अध्ययन तथा उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जायेगा। क्षेत्र में लगने वाले हाट बाजार, बाल मेलो, प्रदर्शिनियों में शिक्षा सम्बन्धी स्टाल लगाकर आडियो/विडियो कैसेट का प्रसारण तथा प्रदर्शन किया जायेगा। राष्ट्रीय पर्वो, त्यौहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं के माध्यम से गांव के प्रतिभाशाली बच्चों को चयन कर सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जायेगा। पुस्तकालय, वाचनालय का प्रयोग किया जायेगा। न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित दक्षताओं, लेखन, सस्वर पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा। छात्रों को गणवेश में आने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

ग्राम्य शिक्षा समितियों/नगर शिक्षा सतिमतियों का प्रशिक्षण :

लोकतन्त्र एवं पंचायती राज व्यवस्था में समितियों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। शासन एवम् प्रशासन का झुकाव विकेन्द्रीकरण की ओर तेजी से बढ रहा है इसी को दृष्टिगत रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम बस्ती को केन्द्र बिन्दु मानकर कार्यक्रम को चलाया जाना है। इस परिपेक्ष्य में ग्राम शिक्षा समितियों/नगर शिक्षा समितियों का महत्व बढ जाता है। इनकी सक्रिय सहभागिता से ही योजना का सफल होना सम्भव है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। जनपद स्तर पर जिला एवम् प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से सन्दर्भ व्यक्तियो तथा शिक्षा मे कार्यरत अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। ये अधिकारी एवं सन्दर्भित व्यक्ति ब्लाक संसाधन केन्द्र पर ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में समन्वयक सह समन्वयक एवम् सकुल कर्मचारी का प्रशिक्षित किया जायेगा। ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात

सन्दर्भदाता के रूप में न्याय पंचायत स्तर पर सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समितियों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि यह कार्यक्रम धरातल पर सुनियोजित रूप से अनवरत चलता रहे।

नगर क्षेत्र में परिवार सर्वेक्षण :

सर्वशिक्षा अभियान हेतु कराये जाने वाले नगर क्षेत्र में परिवार सर्वेक्षण का उद्देश्य नगर क्षेत्र विद्यालय न जाने वाले बच्चों का चिन्हित करना है। विद्यालय न जाने वाले बच्चों का सर्वेक्षण नगर क्षेत्र में किया जायेगा जिसमें निम्नांकित स्थितियों का वार्डवार सम्पूर्ण विवरण एकत्र किया जायेगा।

1. विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या

2. ड्राप–आउट करने वाले बच्चों का नाम एवं संख्या तथा उनका स्तर

0——————————0

अध्याय – 9
गुणवत्ता के लिए नियोजन

चन्दौली जनपद का सृजन मई 1997 को हुआ। इसके पूर्व यह वाराणसी जनपद का अंग था। जनपद मुख्यालय पर डायट स्थापित नहीं है तथा पूर्व में जनपद चन्दौली को डायट सारनाथ वाराणसी द्वारा अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाता था।

चन्दौली जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिए वर्ष 1993 में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' आरंभ की गई थी। परियोजना के अंतर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग–समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 9 बी.आर.सी. तथा 102 एन.पी.आर.सी. की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत डायट में संस्थागत क्षमता का बहुआयामी विकास हुआ। शिक्षक प्रशिक्षण तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में डायट की क्षमता संवर्द्धन के अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समितियों, ई.सी.सी.ई. कार्यकर्त्रिओं तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षण और क्षमता विकास का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त एक्शन रिसर्च के क्षेत्र में भी डायट की क्षमता विकसित हुई। परियोजना के अन्तर्गत डायट में मानव संसाधनों की बेहतर व्यवस्था हुई। डायट में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार, उपकरण तथा सामग्रियों की व्यवस्था, अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्षों, दृश्य–श्रव्य उपकरणों आदि की व्यवस्था तथा अनुरक्षण भी सुनिश्चित किया गया।

शिक्षकों को सहयोग–समर्थन की व्यवस्था–

डायट के प्रवक्ताओं को शैक्षिक सपोर्ट हेतु एक विकास खण्ड का मेन्टर निर्धारित किया गया है, जहाँ शैक्षिक सुधार कार्यक्रम का निर्धारण माह में एक दिन कोरग्रुप की बैठक में प्रवक्ताओं द्वारा किया जाता है। प्रत्येक माह 2 एन.पी.आर.सी. और 4 प्राथमिक विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता हैं और यथा स्थान शैक्षिक सहयोग भी दिया जाता हैं। इसी प्रकार बी.आर.सी. के समन्वयक अपने विकास खण्ड के विद्यालयों का पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट करते हैं और उन्हें गुणवत्ता के आधार पर श्रेणी प्रदान करते हैं। एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी भी अपने क्षेत्र के विद्यालयों को अनुश्रवण करके शैक्षिक सपोर्ट देते हैं। प्रति माह बी.आर.सी. समन्वयक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पर डायट की "अकादमिक संसाधन समूह" की बैठक में कठिनाइयों के निवारण हेतु कार्यक्रम बनाये जाते हैं। यह अनुभव किया गया कि बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकी किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्छादित रहे जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नहीं प्रदान किया जा सका यथा–

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका।
2. अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6–8 तथा 1–5 के बच्चों की शैक्षिक

आवश्कताओं–कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया।

3. मकतब मदरसों में अध्ययनरत बच्चे तथा उनके शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सके।

2. स्कूल पूर्व शिक्षा की सुविधा :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में 'स्कूल पूर्व शिक्षा' की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद में यू.पी.–बी.ई.पी. में 60 शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय से किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद नें संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय–सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चे खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण, केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रु0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु0 1500 भी प्रदान किया गया। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के अध्ययन (Shishu Shiksha Kendra: An UP BEP Initiative, NCERT, 1998) से निम्नवत् निष्कर्ष सामने आये–

1. शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चे अधिक विकसित अनुशासित, आत्मविश्वासी और गतिविधियों में अधिक भाग लेते पाये गये।
2. समुदाय के सदस्यों का मत था कि इन केन्द्रों का सकारात्मक प्रभाव बालक–बालिकाओं के नामांकन तथा उपस्थिति पर पड़ा है, खासकर केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित करने के बाद।
3. सामान्य निष्कर्ष था कि केन्द्रों का समय बढ़ाये जाने से बालिकाओं के नामांकन और स्कूल में भागीदारी में वृद्धि हुई।
4. प्राथमिक विद्यालयों में इन केन्द्रों से आने वाले बच्चों के ठहराव में बहुत वृद्धि हुई।

जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों की प्राभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल पूर्व शिक्षा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है।

ग्राम शिक्षा समिति :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम

शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के अभिभावक, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इनके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावक को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं का निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करती है।

बेसिक शिक्षा परियोजना में जनपद अलीगढ़ में डायट के नेतृत्व 622 शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। बी.आर.जी. सदस्यों के प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इन्हीं क्रम में बी.आर.जी. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे:–

1. प्रतिभागिता परक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान 'ग्राम शिक्षा समिति – संकल्प एवं प्रयास' नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप सम्मिलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूल के क्रियाकलापों का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूल न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

किन्तु जहां तक बच्चों की शिक्षा में परिवार के सहयोग का प्रश्न है, स्थिति संतोषप्रद नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश परिवार के प्रत्येक सदस्य छोटे से लेकर बड़े तक अपने जीविकोपार्जन कार्य में लग रहते हैं प्रायः अशिक्षित होने के कारण बच्चों को शैक्षिक वातावरण नहीं दे पाते तथा विद्यालय के द्वारा दिये गये गृहकार्य में बच्चों को भी कोई सहयोग नहीं दे पाते।

शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे :

प्राथमिक शिक्षक खासकर बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में [illegible] में शिक्षक की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। [illegible] बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण [illegible] शिक्षण प्रक्रिया में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए बहुआयामी [illegible] आयोजन के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थीं वे इस प्रकार हैं –

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की [illegible] आवश्यकताओं से जोड़ी हुई न होकर सभी शिक्षक, चाहे वे जिस स्तर के हों, के लिए एक समान थी तथा कक्षा की [illegible] और परिस्थितियों से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
- प्रशिक्षण में अनिवार्य सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका [illegible] संख्या में शिक्षकों का ही गहन प्रशिक्षण किया जा सका।
- प्रशिक्षण के उपरांत "फालोअप" खासकर विद्यालय स्तर पर [illegible] शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी

इन अनुभवों के आधार पर बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत सेवारत शिक्षकों के लिए [illegible] प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों– परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा सन्दर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना में दिये गये सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण का विवरण :

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य नवीन शिक्षण विधाओं का प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान कराना एवं जिन पाठ्य वस्तुओं को अध्यापक भूल गये है उसका बोध कराना था। शिक्षक प्रशिक्षण की प्रतिवर्ष नियमित व्यवस्था की गई थी। जिसका उल्लेख इस प्रकार है।

प्रथन चक्र

प्रथम चक्र में प्रशिक्षण का उद्देश्य यह था कि [illegible] डायट में यह प्रशिक्षण [illegible] दिनों का था। इस प्रशिक्षण के [illegible] थे :–

1. शिक्षण अधिगम की नवीनतम प्रभावकारी विधियों की जानकारी [illegible]
2. विद्यालय को आनन्ददायी शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित करने में [illegible]
3. शिक्षा को जीवन से जोडा जा सके।
4. विद्यालय के [illegible] में ग्राम शिक्षा समिति के [illegible]
5. स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री को शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त करना।

द्वितीय चक्र :

[illegible] की [illegible] का प्रमुख [illegible] कक्षा 01 से 05 तक [illegible] आदि समाहित थे।

इस [illegible] शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास [illegible] से भाषा का प्रयोग करना आ जाता है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह था कि [illegible] भाषा में [illegible] अधिगम स्तर को प्राप्त कर लें

तृतीय चक्र :

अनुदेशक अध्ययन सामग्री प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य था, छात्र [illegible] करना और [illegible] विषय वस्तु को भली भाँति समझ लेना। शिक्षा में [illegible] कक्षा 01 से 05 तक के छात्रों के लिए भाषा में अनुदेशक अध्ययन सामग्री [illegible] उपलब्ध करायी गयी।

चतुर्थ चक्र :

1. एक क्रिया कलाप द्वारा कई सम्बोधों को स्पष्ट करने के कौशलों का विकास करना।
2. गणित के पाँच अधिगम क्षेत्र क्रमशः संख्याओं एवं संख्याओं का समझना, जोड़ना, घटाने, गुणा तथा भाग की संक्रियाएं, मुद्रा, लम्बाई, भार, धारिता, क्षेत्र एवं समय का मापन, दशमलव एवं प्रतिशत तथा ज्यामिति आकृति की जानकारी बच्चों को किस प्रकार दी जायेगी तथा इन सम्बोधों को कैसे स्पष्ट किया जायेगा और इन पर कौन–कौन सी क्रियाएं करायी जा सकती हैं, इसका भी प्रशिक्षण दिया गया।

पंचम चक्र :

इस प्रशिक्षण में निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया।

1. पर्यावरण में पायी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं से छात्रों का परिचित कराना
2. प्राकृतिक वातावरण के सन्तुलन के महत्व को समझना।
3. पर्यावरण प्रदूषित करने वाले कारणों की जानकारी देना।

लक्ष्य :

4. सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराना।
5. सामाजिक कुरीतियों के दोषों का ज्ञान कराना तथा दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना
6. छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देने पर अधिक बल
7. स्वयं सीखने पर बल
8. कहानी तथा गतिविधियों द्वारा शिक्षण पर बल

शिक्षण में सहायक सामग्री का निर्माण तथा प्रयोग
तथ्यों को प्रयोग द्वारा करके समझने का ...

... उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण :

... सरल एवं सरस बनाने के लिए छात्रों में ... दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों ...

उद्देश्य :

1. ... शक्ति का विकास
2. ... परिचित करना।
3. ... विकास करना।
4. ... कार्य करने का अभ्यास डालना।

विज्ञान प्रशिक्षण

उद्देश्य :

1. ... उत्पन्न करना।
2. ... तथा सत्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना।
3. ... जिज्ञासा उत्पन्न करना।
4. ... सीखने का अवसर दिया जाना।

... परियोजना के अन्तर्गत डायट वाराणसी द्वारा चंदौली जनपद के शिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षणों की स्थिति इस प्रकार है।

चक्र	स्तर तथा संख्या	
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
प्रथम	2378	586
द्वितीय	2419	525
तृतीय	2513	
चतुर्थ	2361	
पंचम	2755	

स्रोत : डायट वाराणसी

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

... परियोजना के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ में बी.आर.सी. तथा ... स्थापना की गई। बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और ... स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक हैं। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया–

1. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो ... मॉड्यूल पर आधारित था
2. ... संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।
3. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

समन्वयकों की भूमिका :

बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं–

1. बी.आर.सी. संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।
   - विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप
   - विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।
   - वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
   - शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
   - एन.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
   - ई.एम.आई.एस. के आंकड़ों का संकलन।
   - डायट के मार्गदर्शन में विकास खंड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका–

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रिक बिन्दु एन.पी.आर.सी. हैं। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर–विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त सन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई.एन.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।
6. कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी.आर.सी. तथा डायट को भेजना।

टी.एल.एम. तथा अनुपूक अध्ययन सामग्री विकास :

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक कक्षाओं हेतु हिन्दी भाषा की अनुपूरक अध्ययन सामग्री के रूप में 'इन्द्रधनुष' नाम की पाँच पुस्तकों (5 कक्षाओं हेतु) का विकास किया गया जिनका उद्देश्य बच्चों में भाषा अध्ययन के प्रति रूचि जागृत करना तथा उनकी भाषिक क्षमता का विकास करना था। इन पाठ्यपुस्तकों का विकास राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा लेखकों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा चित्रकारों की सहायता से सहभागितापरक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया तथा मुद्रण के उपरान्त ये

प्राथमिक विद्यालयों को वितरित की गई इसके अतिरिक्त सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का एक चक्र मूलतः अनुपूरक अध्ययन सामग्री के समुचित उपयोग पर केन्द्रित कर आयोजित किया गया था।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रु0 500/– की धनराशि प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई थी। इस धनराशि के समुचित उपयोग हेतु तथा शिक्षकों में पाठ्यवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री के विकास के संदर्भ में अभिमुखीकरण हेतु एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. तथा जनपद स्तर पर मेटीरियल मेलों का आयोजन किया गया जिसके बेहतर परिणाम सामने आये तथा कक्षा–कक्ष में शिक्षण के दौरान संबंधित शिक्षण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा मिला।

ऐक्शन रिसर्च :

ऐक्शन रिसर्च की दृष्टि से जनपद, विकासखण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तर पर क्षमता विकास हेतु सीमैट, इलाहाबाद द्वारा शिक्षकों तथा डायट अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया गया। जिसके फलस्वरूप शिक्षकों की स्थानीय शैक्षिक समस्याओं को केन्द्र में रखकर एक्शन रिसर्च का कार्य किया गया तथा प्राप्त परिणामों का उपयोग कक्षा–कक्ष की प्रक्रिया, स्कूल स्तरीय समस्याओं के समाधान तथा स्कूलों को अधिक आकर्षक बनाने में किया गया।

इन प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव :

प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षण कौशल में दक्षता लाने हेतु उनको प्राथमिक कक्षाओं की भाषा, गणित, अनुपूरक अध्ययन सामग्री और पर्यावरणीय प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही अन्य प्रशिक्षण जैसे सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन विषयों से सम्बन्धित प्रशिक्षण का प्रभाव अध्यापकों के क्रियाकलापों में दिखाई पड़ा। बाल केन्द्रित शिक्षण पर शत–प्रतिशत अध्यापक बल दे रहे हैं। समूह में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयास अध्यापक कर रहे हैं, समूह में गतिविधि सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग 50 प्रतिशत अध्यापक कर रहे हैं। शिक्षक द्वारा क्रियाओं का प्रदर्शन विद्यार्थी के सीखने में सहयोग प्रदान कर रहा है। छात्रों में सक्रियता दिखायी पड़ रही है।

उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को भी गणित एवं विज्ञान विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। विज्ञान एवं गणित किट के उपकरणों के प्रयोग की जानकारी दी गयी। अधिकांश विद्यालयों में अध्यापकों ने गणित एवं विज्ञान किट के उपकरणों का प्रयोग करके कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाया है। छात्रों ने भी उन सामग्रियों का निर्माण परिवेश से प्राप्त सामग्री द्वारा किया। कक्षा में छात्रों की सक्रियता पूर्व की अपेक्षा अधिक दिखायी दे रही है। अध्यापक कठिन सम्बोधों को सरल से सरल ढंग से गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षणोपरान्त दिक्कतें देखने को मिलती हैं।

प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम को क्रिया आधारित/गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा पूरा करने में अधिक समय लगता हैं इसलिए पाठ्यक्रम पूरा करने के भय से कुछ अध्यापक परम्परागत ढंग से शिक्षण करते हैं। पाठ योजना की तैयारी न होने के कारण कुछ अध्यापक विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाते।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षण का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है लेकिन जनपद में लगभग 1.4 प्रतिशत विद्यालय ऐसे है जहाँ 1 या 2 ही अध्यापक कार्यरत हैं। अतः ऐसे विद्यालयों में विषयों के विशेषज्ञ अध्यापकों के अभाव में प्रभावी शिक्षण में कठिनाई देखी गयी है।

डायट के निर्देशन में शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन विकास खंड स्तर पर तथा ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर किया गया था। शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करने के लिए जिन संदर्भ व्यक्तियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया वे मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अनिकर्मी थे। शिक्षक प्रशिक्षणों के विशद अनुभव में दो कठिनाई बिन्दुओं का उल्लेख ध्यान देने योग्य है–

1. प्रशिक्षक मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अनिकर्मी थे इसलिए प्रशिक्षणों के दौरान शिक्षकों की पृच्छाओं का समाधान तथा प्रशिक्षण की कक्षा, पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम से जोड़ने में कठिनाई हुई।
2. शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज में प्रशिक्षण के फालोअप की रणनीति तथा कार्ययोजना सम्मिलित न होने से प्रशिक्षण का समुचित फालोअप नहीं किया जा सका कि प्रशिक्षण के दौरान बताये गये कौशलों, रणनीतियों और शिक्षण विधाओं का किस सीमा तक कक्षा में उपयोग किया जा रहा है।

शैक्षिक योग्यता :

जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता व अनुभव की स्थिति इस प्रकार है।

सारणी – 1

परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण

		प्राथमिक स्तर के शिक्षक	उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक
1.	शिक्षकों की कुल संख्या	2755	711
2.	हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षक	61	00
3.	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	490	02
4.	केवल इण्टर उत्तीर्ण अप्रशिक्षित	48	00
5.	स्नातक अप्रशिक्षित	17	00
6.	(क) विज्ञान शिक्षक	–	70
	(ख) संस्कृत शिक्षक/उर्दू शिक्षक	31	48
7.	परास्नातक अप्रशिक्षित	05	00
8.	इन्टरमीडिएट एवं प्रशिक्षित	1215	383
9.	स्नातक एवं प्रशिक्षित	491	132
10.	परास्नातक एवं प्रशिक्षित	397	76

स्रोत : कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, चन्दौली ।

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 'स्नातक' तथा 'प्रशिक्षित' (बी.टी.सी. अथवा समकक्ष) होना आवश्यक है। उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से 69 प्रतिशत शिक्षक निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखते।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में हाईस्कूल / इण्टर एवं स्नातक अप्रशिक्षित कार्यरत अध्यापकों की संख्या 0.23 प्रतिशत है, जबकि इन्टर प्रशिक्षित 53.8 प्रतिशत स्नातक प्रशिक्षित 18.6 प्रतिशत एवं परास्नातक प्रशिक्षित 10.7 अध्यापक कार्यरत है। विगत कई वर्षों से बी.टी.सी प्रशिक्षण की निर्धारित योग्यता स्नातक कर दी गयी है जबकि ऑकड़ों से ज्ञात होता है कि लगभग 70 प्रतिशत कार्यरत अध्यापक या तो इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित हैं या तो इससे कम योग्यता के लोग कार्यरत हैं। इसलिए इस प्रकार के अध्यापकों को उच्च प्राथमिक स्तर के सभी विषयों का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

शिक्षकों का शिक्षण अनुभव :

जनपद में शिक्षण अनुभवों के आधार पर शिक्षकों की स्थिति निम्न प्रकार है।

सारणी 2

	शिक्षण अनुभव	प्राथमिक विद्यालय में	उच्च प्राथमिक विद्यालय में
1.	5 वर्ष से कम	704	14
2.	5 वर्ष से 10 वर्ष तक	348	82
3.	10 वर्ष से 15 वर्ष तक	407	85
4.	15 वर्ष से 20 वर्ष तक	317	72
5.	20 वर्ष से 25 वर्ष तक	275	78
6.	25 वर्ष से 30 वर्ष तक	344	144
7.	30 वर्ष से अधिक	360	236

स्रोत : कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, चन्दौली ।

उपर्युक्त सारिणी शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षकों की स्थिति दर्शाती है। निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि जो अध्यापक 20 वर्ष से अधिक समय से शिक्षण कार्य कर रहे है वे परम्परागत विधि से शिक्षण कार्य करते हैं। नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी होने पर भी वे अभ्यास के कारण शिक्षण कार्य को नवीन विधा से नहीं करना चाहते हैं। इसके वितरीत नये अध्यापक बाल केन्द्रित शिक्षा पर ध्यान देते है और कक्षा में गतिविधि अधारित शिक्षण करते हैं। अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

शिक्षकों का पदस्थापन :

जनपद चन्दौली में कुछ परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या तथा संचालित कक्षाओं के अनुपात में शिक्षक पदस्थापित नहीं है। निम्नलिखित सारणी जनपद में शिक्षकों की संख्या के अनुसार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति दर्शाती है –

सारणी – 3

	एकल शिक्षक विद्यालयों की संख्या	दो शिक्षक विद्यालयों की संख्या	तीन शिक्षक विद्यालयों की संख्या	चार शिक्षक विद्यालयों की संख्या
प्राथमिक विद्यालय	98	[illegible]	190	134
उच्च प्राथमिक	30	[illegible]	35	30

स्रोत : बेसिक शिक्षा अधिकारी, चन्दौली

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर लगभग 12 प्रतिशत एकल शिक्षक विद्यालय तथा लगभग25 प्रतिशत विद्यालय ऐसे है, जहां दो ही शिक्षक कार्यरत् है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ऐसे विद्यालयों की संख्या काफी अधिक है। जहां प्रत्येक कक्षा के लिए 1 शिक्षक उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसे विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों को बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से समय प्रबन्धन, कक्षा प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन तथा शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

प्रोत्साहन योजनाएँ :

प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद के 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गई हैं। जिसके फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रो के निर्धन अभिभावकों को भी सहारा मिला।

वी.ई.सी. के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के विकास में सहयोग देने वाली ग्राम शिक्षा समिति को क्रमशः 15000 एवं 10000 के प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार निर्धारित किये गये थे। जिसके कारण अन्य ग्राम शिक्षा समितियों में नई चेतना जागृत हुई है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतिम वर्ष में जनपद में प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई थीं तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 98 लाख छात्र–छात्राएं लाभान्वित हुई। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को बुक बैंक हेतु भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के प्रत्येक के 10 सेट उपलब्ध कराये गये थे जिनका उपयोग विद्यालय के अन्य छात्र–छात्राओं द्वारा किया जाता है। इससे कक्षा में शिक्षण के दौरान प्रत्येक बच्चे के पास पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है तथा शिक्षण प्रक्रिया बेहतर हुई है.

शैक्षिक सम्प्राप्ति के अनुसार बच्चों का स्तर

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए कक्षा–2 एवं कक्षा–5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में परीक्षण किया गया। प्रथम सर्वेक्षण जिसे आधारभूत सर्वेक्षण कहते

में 1992–93 में किया गया सर्वाधिक मूल्यांकन जुलाई 1998 में और अन्तिम मूल्यांकन अगस्त 2000 में, निर्धारित विधि से चयनित विद्यालयों में किया गया, जिसकी उपलब्धि निम्न तालिकाओं में दर्शायी गयी है।

सारणी 2 (क)

कक्षा–2 – भाषा		कक्षा–2 – गणित	
उपलब्धि स्तर	छात्रों का प्रतिशत	उपलब्धि स्तर	छात्रों का प्रतिशत
0–10	0.0	0–10	0.0
10–20	0.0	10–20	0.0
20–30	0.0	20–30	0.12
30–40	0.0	30–40	0.00
40–50	0.0	40–50	0.36
50–60	0.0	50–60	0.12
60–70	0.0	60–70	0.36
70–80	0.9	70–80	8.32
80–90	10.0	80–90	11.98
90–100	89.2	90–100	88.38

स्रोत : एफ.ए.एस., 2000 एस.सी.ई.आर.टी. उ0प्र0

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के अन्तिम मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर कक्षा–2 के भाषा परीक्षा में 50.4 प्रतिशत बालक और 49.3 प्रतिशत बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। जिसकी कुल संख्या 425 और 418 कुल योग 843 रहा। इसमें सभी बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 25.0 पिछड़ी जाति का प्रतिशत 64.7 तथा अन्य का प्रतिशत 10.3 है। कक्षा–2 भाषा में विद्यार्थियों का उपलब्धि का औसत 94.5 प्रतिशत है। ग्रमीण क्षेत्रवार उपलब्धि 94.5 प्रतिशत है। लिंगवार इनकी उपलब्धी का प्रतिशत 94.5 व 94.3 प्रतिशत है। जातिवार अनुसूचित जाति की उपलब्धि का प्रतिशत 93.5 है। पिछड़ी जाति का 94.64 पतिशत है तथा अन्य 93.40 प्रतिशत है। कक्षा–2 के गणित परीक्षण में कुल 83 बच्चों ने भाग लिया जिननें उनके उपलब्धि का प्रतिशत 94.57 है। लिंगवार बालक–बालिकाओं का प्रतिशत क्रमशः 94.92 और 94.21 है। जातिवार उपलब्धि अनुसूचित जाति 94.08 पिछड़ी जाति का 94.50 अन्य का 96.22 प्रतिशत है।

सारणी 2 (ख)

कक्षा–2 – भाषा		कक्षा–2 – गणित	
उपलब्धि स्तर	छात्रों का प्रतिशत	उपलब्धि स्तर	छात्रों का प्रतिशत
0–10	0.0	0–10	0.0
10–20	0.0	10–20	0.0
20–30	0.0	20–30	0.0
30–40	0.0	30–40	0.0
40–50	0.0	40–50	0.0
50–60	0.0	50–60	0.0
60–70	0.0	60–70	0.6
70–80	0.9	70–80	2.6
80–90	10.0	80–90	16.0
90–100	89.2	90–100	77.9

स्रोत : एफ.ए.एस., 2000, एस.सी.ई.आर.टी. उ0प्र0

चन्दौली जनपद में कक्षा 5 की भाषा परीक्षण में कुल 1172 बच्चों ने प्रतिभाग किया जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के इनकी उपलब्धि का प्रतिशत 95.19 है। लिंगवार इनकी उपलब्धि बालक एवं बालिकाओं की क्रमशः 95.21 और 95.17 प्रतिशत हैं। अनुसूचित जाति की उपलब्धि का प्रतिशत 95.58 है। पिछड़ी जाति 95.14 है तथा अन्य का 94.77 है। कक्षा 5 के गणित परीक्षण में कुल 1172 बच्चों ने प्रतिभाग किया जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। इनकी उपलब्धि का प्रतिशत 94.22 है। लिंगवार इनकी उपलब्धि बालक और बालिकाओं का क्रमशः 94.23 प्रतिशत और 94.21 प्रतिशत है। अनूसूचित जाति के उपलब्धि का प्रतिशत 94.32 पिछड़ी जाति का 94.12 तथा अन्य का 94.49 प्रतिशत है।

सामान्य निष्कर्ष :

बी.ए.एस. और एम.ए.एस. की अपेक्षा एफ.ए.एस. में कक्षा दो एवं कक्षा पाँच के भाषा एवं गणित की उपलब्धि में अशातीत वृद्धि है। इन दोनों कक्षाओं के बच्चों के भाषा और गणित के मध्यमानों का प्रतिशत भी लगभग सामान्य है। इससे पता चलता है कि भाषा और गणित जो प्राथमिक शिक्षा के मुख्य विषय हैं, दोनों में बच्चों ने समान रूप से योग्यता प्राप्त की है।

विद्यालयों में जाति और लिंग के अधार पर अन्तर कम हुआ है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों का प्रवेश बढ़ा है। इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या में पर्याप्त बृद्धि हुई है।

'क्लासरूम आब्जरवेशन स्टडी' के आधार पर प्रमुख निष्कर्ष :

ए स्टडी आफ क्लासरूम प्रोसेसेज, सीमेट 1998–99 तथा 'क्लासरूम आब्जवैशन स्टडी, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0 के आधार पर जनपद में निम्नांकित निष्कर्ष उल्लेखनीय है :

1. सर्वेक्षण की तिथि को 95 प्रतिशत अध्यापक उपस्थित पाये गये। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत अध्यापक क्रिया आधारित शिक्षा एवं सहायक सामग्री का प्रयोग करते पाये गये। कक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। बालक पठन–पाठन कार्य में रूचि ले रहे थे। शिक्षक समय से उपस्थित पाये गये। कक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था में शिक्षक मेधावी छात्रों को पीछे और कमजोर छात्रों को आगे बैठाते हैं। विशेषकर बालिकाओं को आगे की पंक्ति में बैठाया जाता है।

2. इस व्यवस्था में कमजोर बच्चे लाभान्वित थे। शिक्षक कठिन शब्दों का निराकरण पूछकर श्यामपट्ट पर लिखता है। पठन–पाठन को समूह में बारी–बारी पढ़ाते हैं। मेधावी बच्चों के सहयोग से समूह में उच्चारण दोष का निराकरण करते हैं तथा शिक्षक स्वयं भी उच्चारण करते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण पर ध्यान रखते हैं। प्रश्नोत्तर एवं अनुपूरक अध्ययन सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। अधिकतर बाजार से बनी हुई सामग्री का प्रयोग हो रहा है। कुशल अध्यापक ही केवल स्व निर्मित सामग्री का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में कर रहे हैं। कुछ विद्यालयों के अध्यापक शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

जनपद में विशेष बच्चों के बारे में :

जनपद में बाल श्रमिकों का जीवन गरीबी के शिकंजे में जकड़ा रहता है, जिसके [illegible] करने को मजबूर होते हैं क्योंकि इनके पास आय के [illegible] नहीं होते हैं। जनपद में भी [illegible] अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और विद्यालय में प्रवेश कराते हैं किन्तु [illegible] अपने [illegible] में बच्चों को [illegible] देते हैं, जिससे उनकी [illegible] हो जाती है। [illegible] में [illegible] अपने बच्चों की शिक्षा पूरा करने में असमर्थ रहते हैं।

[illegible] अनेक बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से [illegible] कठिन है। [illegible] इन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है, ये बच्चे प्राथमिक विद्यालय की [illegible] के अनुरूप शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके [illegible] है। [illegible] ये बच्चे [illegible] की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी [illegible] कर जाते हैं अतः इनका [illegible] के पश्चात इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में करना है [illegible] औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण करने के [illegible] पाठ्यक्रम [illegible] अनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

जनपद के [illegible] के द्वारा प्रत्येक माह अपने [illegible] में निरीक्षण तथा अनुश्रवण और क्लासरूम आब्जर्वेशन स्टडी 1998 तथा 2000 से शिक्षकों की अकादमिक समस्याएं ज्ञात हुई–

लम्बे समय से शिक्षण करने वाले अध्यापक नवीन शिक्षण विधा को मानसिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं होते परम्परागत ढंग से ही शिक्षण कार्य करने में विश्वास करते हैं। कुछ अध्यापक अपनी शैक्षिक योग्यता की कमी के कारण तथा नवीन पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु का ज्ञान के अभाव में बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। अध्यापकों का कहना है कि नयी विधा से शिक्षण कार्य करने पर पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का मानना है कि प्राथमिक विद्यालय से प्रवेश लेने वाले बच्चे सभी विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर के [illegible] को पूर्ण नहीं कर पाते हैं।

एस. एस. ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद चन्दौली में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे [illegible] में [illegible] करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा [illegible] के [illegible] किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2 सभी बच्चे पाँच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3 सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक [illegible] जायेगा।
4 गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती [illegible] जायेगी।
5 प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों [illegible] अन्तर को 2007 तक तथा

समग्र प्राथमिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।

6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा प्रेरक शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक विज़न विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद– विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों तथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों के परिवेश की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तकों पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. वीजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटेरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर

4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस प्रकार रु0 42 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा. इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी. आर.सी स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानतः रु0 42 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा समाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 43 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।
3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 45 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 45 लाख प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।
2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।
5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना

तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के संदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का

प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. शिक्षामित्र /आचार्य जी प्रशिक्षण– जनपद के 783 शिक्षामित्रों तथा 60 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. वैकल्पिक शिक्षा – जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 37 है। इस केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

   ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधारशिला" (भाग । व ।।) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत

समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. **बी.आर.सी/ एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण**– बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया गया था। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी. आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. **ए.बी.एस.ए. एस.डी.आई प्रशिक्षण**– जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए एस.डी.आइ. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एस. डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तरं पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई. जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षन आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण** – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी.–।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशेधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण

आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे– ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों की और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एम.जी., एम.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम 05 वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षण समय को बढ़ाना :

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारिणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष में 220 दिन कुल कार्य दिवस के लिए खुला। डी.एम. के आदेश पर 10 दिन का शीतावकाश के लिए बन्द हुआ, तथा निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ। अतः 179 दिवस शिक्षण के लिए शेष रहा।

सारणी – 4

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार

	प्राथमिक स्तर वादन /समय	उच्च प्राथमिक स्तर वादन/समय
भाषा–1 हिन्दी	9 वादन 6 घण्ट	6 वादन/4 घण्टे 30 मिनट
भाषा–2 अंग्रेजी	5 वादन/3 घण्टे 20 मि.	6 वादन/4 घं. 30 मि.
भाषा–3 संस्कृत	5 वादन/3 घण्टे 20 मि.	4 वादन/3 घं.
विज्ञान	6 वादन / 4 घण्टे	6 वादन/4 घं. 30 मि.
गणित	9 वादन / 6 घण्टे	6 वादन/4 घं. 30 मि.
सामाजिक विषय	6 वादन / 4 घण्टे	6 वादन/4 घं. 30 मि.
समाजपयोगी कार्य	3 वादन / 2 घण्टे	6 वादन/4 घं. 30 मि.
कला शिक्षण	5 वादन / 3 घण्टे 20 मि.	8 वादन/6 घं.

स्रोत – डायट, चन्दौली

सारणी – 5

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220 दिन	220 दिन
परीक्षा	08 इकाई सालाना	12
अन्य कार्य	15	05
नष्ट हो जाने वाले दिन	10 दिन डी.एन. के विशेष आदेश पर	10
समुदाय से सम्पर्क	08 दिन	08
शिक्षण दिवस	179 दिन	185

स्रोत – प्राथमिक विद्यालय, चन्दौली

उपर्युक्त सारिणी–5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 179 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 185 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिनों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परिक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समय से अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।.

पाठ्य सामग्री –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 1 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 50 लाख का व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 2.50 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा

... अधिकतम उपयोग ...

... एस0सी0ई0आर0 ...

... सदर्भ ...

... विकसित ...

... जुलाई, 20 ...

... शैक्षिक संदर्शिका ...

... निःशुल्क शिक्षकों ...

... बालिकाओं व ...

... के बालकों को ... जिससे 1 लाख ब ...

... अनुमानतः ...

... के लिए पाठ्य सामग्री

... के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम ... प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दि ... शिक्षण अधिगम साम ... किशोरी बालिका ... आवश्य ... पूर्ति ... सके तथा भावी जीवन ... सके। ... बालिकाएं जीवनोपयोग ... ज्ञान प्राप्त ... हेतु ... विकसित कर उच्च प्राथमि ... कराई जायेगी।

... गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका –

... प्रदान करना –

... सर्व शिक्षा अभियान के अन्त ... गुणवत्ता विकास हेतु ... द्वारा ... स्तर पर अकादमिक नेतृत ... गुणवत्ता विकास के लिए ... कार्ययोजनाएं विकसित क ... विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय तथा ... प्रशिक्षणों का नियोजन तथ ... पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु ... विभिन्न स्तरीय अभिकर्मिय ... मूल्यांकन, ... सामग्री विकास, ई.एन.आई ... निर्धारित किया जायेगा। ... लक्ष्य ... करने की उपयुक्त ... हेतु ... निम्नवत् कार्यवाही की ...

... –

... डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान ... महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक ... बी. आर. सी., ... पर्यवेक्षण ... बी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण ... मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता ... संस्थागत क्षमता ... जायेगा। इसके अतिरिक्त

विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों त[illegible] सेवी संगठनों [illegible] भी [illegible]
प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में [illegible] नवीनतम [illegible] का [illegible]
सुनिश्चित किया जायेगा। [illegible] डी.एस. [illegible] प्राथमिक [illegible]
सहायक तथा प्रधान अध्या[illegible] आर.सी. [illegible]
विकास विभिन्न प्रशिक्षणों [illegible] कराए [illegible] स्तर [illegible]
सदस्य को प्रशिक्षित करके [illegible] की [illegible]
संस्थाओं के अनुभवों से ला[illegible] इनपुट [illegible] हेतु बातें [illegible]
सहायक अध्यापकों में क्षमता [illegible] किया जा[illegible] समूह की [illegible]
क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की [illegible] प्रयास किया [illegible]।

अकादमिक संदर्भ समूह [illegible]करण :

जनपद स्तर पर गुण[illegible] के लि[illegible] नियोजन, [illegible]
गुणवत्ता विकास के लिए विभि[illegible] तथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक [illegible]
[illegible] प्रस्तुत करना, शिक्षकों से [illegible] समूह [illegible] है जिसमें [illegible]
विषयज्ञ शिक्षा मित्र, योग्य शि[illegible] सदस्य हैं [illegible] संसाधन समूह [illegible]
प्राथमिक स्तर पर भी अकादमि[illegible] प्रदान करने [illegible] इंडक्शन [illegible]
को जोड़ा जायेगा तथा इनकी [illegible] हेतु [illegible] के सहयो[illegible]
इनपुट स्तर पर आयोजित की [illegible] कार्यशाला[illegible] अकादमिक [illegible]
का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्या[illegible] निवारण [illegible] पर केंद्रित होंगी [illegible] 05 दिवसीय
कार्यशालाएं आयोजित की जा[illegible]

गुणवत्ता सुधार में स्वयं से[illegible]नों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान [illegible] प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम [illegible] **शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छि[illegible]नों में जो** अकादमिक संसाधन उपलब्ध [illegible] जिला [illegible] **एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता** [illegible], अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय [illegible] **स्तर पर विकास खण्ड संसाधन** [illegible] **समन्वयकों तथा** मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं [illegible] लिया जा[illegible] **इसके अतिरिक्त अकादमिक प[illegible] समर्थन** [illegible] **अन्तर्गत** विभिन्न स्तर [illegible] करने [illegible] **उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्रा[illegible] जायेगी। इस** [illegible] **में जनपद स्तर पर** [illegible] स्वैच्छिक **संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया** [illegible] **तथा निर्धारित** [illegible] **के अनुसार जिला** [illegible] समिति द्वारा **स्वैच्छिक संगठनों का चयन कि[illegible]**।

एक्शन रिसर्च :–

जनपद में विभिन्न स्तर[illegible]कों द्वारा [illegible] रिसर्च का कार्य किए [illegible]
कार्यशालाएं आयोजित की जा[illegible] इन कार्यशालाओं के आयोजन में [illegible]
एस०सी०ई०आर०टी०, लखनऊ [illegible] प्राप्त किया [illegible]। बी.आर.सी., एन.[illegible]
बनाया जायेगा कि शिक्षक अपने[illegible] समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अ[illegible]
[illegible]न ढूँढने में कामयाब हो सकें। [illegible] क्रियात्मक [illegible] प्रक्रिया को संकुल [illegible]
स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक [illegible] हेतु प्रस्तावित [illegible] इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक अनुदान का स[illegible] किस प्रकार [illegible] है ?
2. विद्यालय में [illegible] की उपस्थिति [illegible] सुनिश्चित करने [illegible]
3. **बहुकक्षा शिक्षण परिस्थि[illegible] विभिन्न विषय** [illegible] **शिक्षण किस प्रकार हो ?**
4. **बच्चों के सतत् व्यापक** [illegible] **में कक्षा के** [illegible] **का सहयोग।**
5. कक्षा की प्रक्रिया में [illegible] बढ़ाने के [illegible]
6. शिक्षक प्रशिक्षण का क[illegible] अनुवर्तन सुनि[illegible] करने हेतु [illegible]

7. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
8. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9. महिला शिक्षिकाओं का रोल–मॉडल परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्जित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षा हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन.पी.आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार क्रमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में बी. ई. पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रकिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

बी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओ के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री

निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी [illegible] इन [illegible] को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से [illegible] [illegible] की सहायता की जायेगी तथा [illegible] कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह [illegible] शिक्षकों को कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के [illegible] आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर [illegible] तथा [illegible] आयोजित की जायेंगी–

1. बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर के आकड़ों को [illegible]।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट [illegible] का निर्माण
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए [illegible]–कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं [illegible] को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यो का महत्व निर्विवाद है. अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि [illegible] का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके उन निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक [illegible] प्राप्त करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के [illegible] में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का [illegible] से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई.एन.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक [illegible] विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार [illegible] विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। [illegible] अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाले [illegible] अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एन.आई.एस. आकडे के विश्लेषण से क्वालेटी इन्डीकेटर्स के सदर्भ में [illegible]

विश्लेषण करना किया जायेगा, उदाहरण के लिए रिपीटेशन रेट, ट्रान्जीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र का पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा क्रियान्वयन में हो सके।

11. मूल्यांकन प्रणाली

कक्षा 5 तक वार्षिक परीक्षा, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित है किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर किया जायेगा तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर किया जायेगा तथा मूल्यांकन जो व्यवस्था डायट पर है, साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट में कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेंगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के **प्रशिक्षण/कार्यशाला** तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विज़निंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र, आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्य जी	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		30 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	अनुदेशक	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकत्रियाँ	07 दिन

	प्रशिक्षण	तथा सहायिकाएं	
7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	[illegible] दिन
8.	[illegible] का प्रशिक्षण	[illegible]	[illegible]
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.सी. का प्रशिक्षण	बी.आर.सी. के समन्वयक	[illegible] दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	[illegible] उच्च प्राथमिक विद्यालयों के [illegible] शिक्षक	[illegible]
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षक	[illegible]
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	[illegible] दिन
13.	सेवा [illegible] प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	[illegible] दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	[illegible] दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मेटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	[illegible] दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्म0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक सर्वेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए स्म0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक /उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक/उच्च प्राथनिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथनिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
25.	बहु स्तरीय शिक्षण हेतु सेल्फ लर्निंग मेटीरियल का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढाने हेतु परीक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के समस्त सदस्य	03 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी. आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेंगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यों का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण– आयोजन करेंगे;
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका–

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- बी.ई.सी. के सदस्य डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।

- ई.एन.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

12. नवाचार कार्यक्रम –

वर्ष 1994–95 में चंदौली जनपद में विकासखंड शहाबगंज में0उ0प्रा0 वि0 में तीन वर्ष के लिए बालिकाओं के लिए कार्यनुभव कार्यक्रम (सिलाई, कढ़ाई, बुनाई) संचालित कर प्रशिक्षण दिया गया। बालिकाओं के लिये कार्यानुभव कार्यक्रम उनके ठहराव में अत्यन्त सहायक होता है। ठहराव पर प्रभाव की दृष्टि से किये गये अध्ययन के अनुसार (Evaluation of the Pilot Project of work experience for girls of upper primary schools in UP, 1998 C.K. Misra) जिस स्थान पर यह योजना संचालित की गई वहाँ कोई भी छात्रा विद्यालय से 'ड्राप आउट' नही हुई। यह निष्कर्ष इस धारणा की पुष्टि करता है कि कौशल विकास के कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के धारण में मदद करते हैं।

इस आधार पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जायेगा। इस हेतु सर्वप्रथम जनपद के 3 विकासखण्डों में तीन तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों /कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। इसमें सिलाई कढ़ाई, फलसंरक्षण तथा हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शिक्षकों को चिन्हित कर डायट पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो इस कार्यक्रम के विद्यालय स्तर पर प्रभारी होगें। विद्यालयवार विभिन्न कौशलों के अनुसार स्थानीय विशेषज्ञों का चयन किया जायेगा और सामग्री– उपकरण क्रय कर व्यवस्था की जायेगी। इन शिल्पों/ कौशलों के लिए सप्ताह में तीन दिन शिक्षण समय के उपरांत अंतिम दो वादनों में लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण डायट द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री क्रय विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। कार्यक्रम का वार्षिक मूल्यांकन भी किया जायेगा।

परिशिष्ट – १

अकादमिक पर्यवेक्षण और श्रेणीकरण

ब्लाक का नाम	स्कूलों की संख्या	स्कूल की संख्या जिनका निरिक्षण हुआ			
		श्रेणी			
		ए	बी	सी	डी
चन्दौली	93	30	10	12	8
नियामताबाद	88	26	04	12	10
बरहनी	90	20	03	07	09
सकलडीहा	85	15	14	12	08
धानापुर	93	20	15	10	05
चहनिया	94	21	17	12	07
चकिया	96	18	13	11	05
शहाबगंज	91	14	16	07	09
नौगढ़	62	12	8	06	02

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमों का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रु. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू.15,000 तथा रू.10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद, (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे, जिनमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र– छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

नवीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

जनपद चन्दौली में इस समय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित नहीं है। जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनपद में संचालित था, वह जिले के विभाजन के फलस्वरूप जनपद वाराणसी में चला गया है।इसलिये जनपद में नवीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किया जाना अत्यावश्यक है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की नवीन स्थापना हेतु धनराशि का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नहीं किया गया है। नवीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु टीचर एजूकेशन स्कीम के अन्तर्गत पृथक से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की समरूप व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय [illegible] नीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भ[illegible]गिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों क[illegible]दन किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली:-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में समुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है-

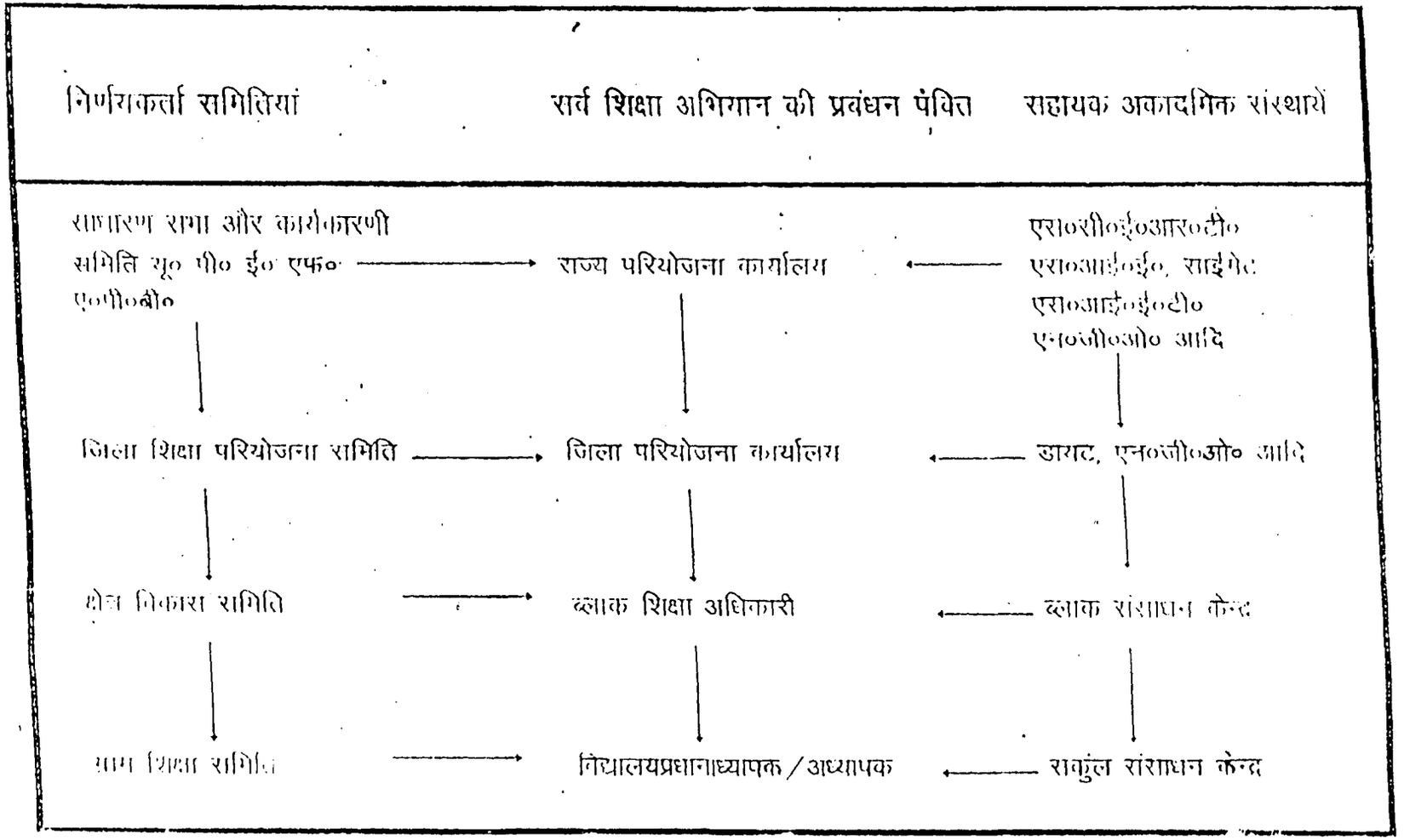

निर्णयकर्ता समितियां	सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति यू० पी० ई० एफ० ए०पी०बी० →	राज्य परियोजना कार्यालय	← एस०सी०ई०आर०टी० एस०आई०ई०, साईमेट एस०आई०ई०टी० एन०जी०ओ० आदि
↓	↓	↓
जिला शिक्षा परियोजना समिति →	जिला परियोजना कार्यालय	← डायट, एन०जी०ओ० आदि
↓	↓	↓
क्षेत्र विकास समिति →	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	← ब्लाक संसाधन केन्द्र
↓	↓	↓
ग्राम शिक्षा समिति →	विद्यालयप्रधानाध्यापक / अध्यापक	← संकुल संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा- नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:-

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वंहा एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड़) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निर्देश दी जाये लघु दण्ड देने का विनिश्चय करना

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिवेश में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यो, आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्ति का वितरण

पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0):-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहायोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

1.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य - सचिव

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान सदस्य

4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। ।यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की गुणवत्ता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होंगे:-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/ बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ उप विद्यालय निरीक्षक करेंगें तथा ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें.

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (3000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0जी0एम0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अर्न्तगत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिशित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों में समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड़ के अर्न्तगत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समितिः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है -

- ❖ जिलाधिकारी - अध्यक्ष
- ❖ मुख्य विकास अधिकारी - उपाध्यक्ष
- ❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य-सचिव
- ❖ प्राचार्य डायट - सदस्य
- ❖ जिला श्रम अधिकारी - सदस्य
- ❖ जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य
- ❖ वित्त एंव लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(पी0डब्ल्यू0डी0) - सदस्य
- ❖ जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य
- ❖ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय से) - सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा नामित

- ❖ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला कम-से (एक वर्ष के लिये)
- ❖ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- ❖ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके

निर्णय प्रभावी होगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संर्वधन, निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य - सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशो के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावनयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे-

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन	जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1	प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	4	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस अधिकारी	1	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक	3	रू. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1	नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिविलिटी प्लान के अर्न्तगत कोई भी पद सृजित नही है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षन में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति-उप विद्यालय निरिक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्वय की तरह करेगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निमार्ण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्थाः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददे्श्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निमार्ण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू 1,000, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के

निमार्ण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नही दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0):-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एंव क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफटवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आकंडे उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफटवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एंव उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेगें जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपार्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिर्पोट तैयार

कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकडों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा. जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एंव अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे-

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत /प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षणः-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें।

3. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एंव बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सिमम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरें हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकडों का उपयोगः-

ई0एम0आई0एस0 आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेट्र्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन इन्डीकेट्र्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकडों के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ट होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माईक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगा:-

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेदित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फ्लस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठयपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडी:-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम:-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आर्कषित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत एल0ऐ0सी0आई0 (LACI) के अर्न्तगत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अर्न्तगत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे:-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षो की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागो एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आकडों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, स्वंम सेवी सस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी सयुंक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिय शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एंव प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

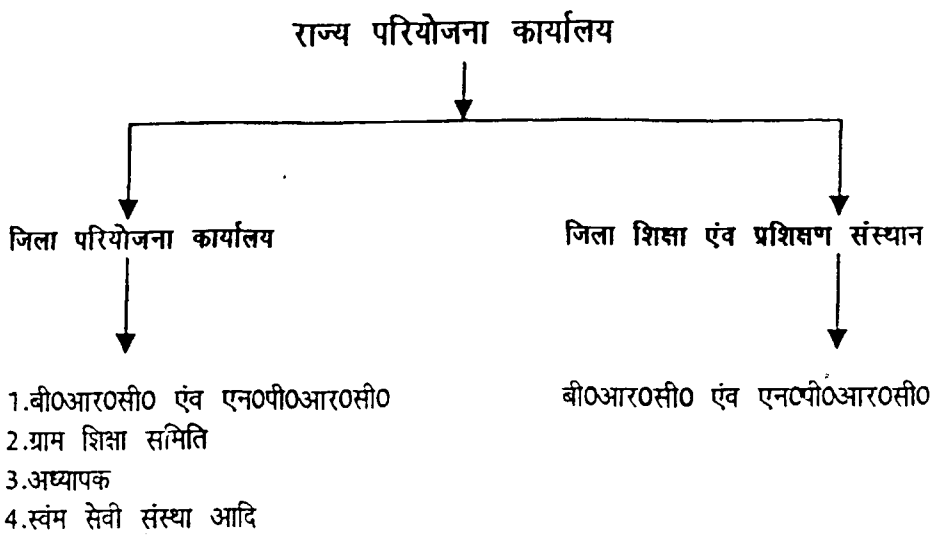

सम्प्रेक्षण व्यवस्थाः-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से

किया जायेगा। यह कार्य वित्तिय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफैरेन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना:-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरिक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेगें। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी.एम.आई.एस. रिपार्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेंगें।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगें।

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
CHANDAULI

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
(A)	ACCESS																					
A1	New Primary Schools - Unserved	(191+10+18+40)	20	5180	30	7770															50	12950
1	New Upper Primary School	(270+10+18+40)	50	16900	50	16900	100	33800	48	16224											248	83824
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School	9.2x12	20	1104	50	5520	50	5520	50	5520	50	5520	50	5520	50	5520	50	5520	50	5520	420	45264
3	Salary of Teacher in UPS (4 Nos.) in New School	7	200	8400	400	33600	800	67200	992	83328	992	83328	992	83328	992	83328	992	83328	992	83328	7352	509168
4	HT of New UPS	75x12	50	2250	100	9000	200	18000	248	22320	248	22320	248	22320	248	22320	248	22320	248	22320	1838	163170
5	Furniture / Fixture & Equipments																				0	0
	PS	15			50	750															50	750
	UPS	50			100	5000	100	5000	48	2400											248	12400
A2	Upgradation of Egs (III) to PS	10																			0	0
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1800
	Intervention for Out of School Children																				0	0
	Cohart Study	200			1	200					1	200					1	200			3	600
A3	Alternative Schools (EGS+AIE)																				0	0
	EGS																				0	0
	Updation of Micro Planning Data	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
	Primary - Including all models of DPEP	0.705 per Child	600	423	1500	1058	1800	1269	1200	846	600	423									5700	4019
	Upper Primary	1.0 per Child			600	600	1110	1110	1110	1110	510	510	510	510	510	510					4350	4350

155

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
CHANDAULI

31.07.2001 (Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
A4	Back to School Campaign	1.50 per Child	50	75	100	150	150	225	200	300	100	150	50	75							650	975
	Innovation for EGS	50			1	50															1	50
A5	Bridge / Remedial Courses	1.50 per Child			50	75			50	75											100	150
A6	Strengthening / Maqtab / Madarsa																				0	0
	Sub Total (A)		992	34582	3034	80923	4312	132374	3948	132373	2503	112701	1852	112003	1802	111928	1293	111618	1292	111418	21028	939920
(R)	**RETENTION**																				0	0
	Additional Classroom	70	50	3500	100	7000	147	10290													297	20790
	Additional Teachers Primary Schools	7.7			137	12659	472	43612	655	60522	840	77616	1032	95367	1088	100631	1146	105708	1202	111066	6671	607160
	Additional Teachers Upper Primary Schools	6.5																			0	0
R1	Toilets	10			30	300	37	370													67	670
	Rec. of UPS	270			8	2160															8	2160
R2	Drinking Water	18			50	900	68	1224													118	2124
	Repairs (PS+UPS)																					
	Minor	20			118	2360	18	360													136	2720
	Major	70			75	5250	25	1750													100	7000
	Rec. of PS	191			15	2865	14	2674													29	5539
R3	Repair & Maintenance of School	5 PA per School	318	1590	318	1590	318	1590	318	1590	318	1590	318	1590	318	1590	318	1590	318	1590	2862	14310
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40			200	8000	200	8000	192	7680											592	23680
R4	School Improvement Grant (PS)	2 PA per School					20	40	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	320	640

156

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
CHANDAULI

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy	Fin.	Phy.	Fin.
	School Improvement Grant (UPS)	2 PA per School					50	100	100	200	200	400	248	496	248	496	248	496	248	496	1342	2684
R5	Inr ative Programmes (up .o max Rs. 50 Lacs)	5000 per District																			0	0
	Promoting Girls Education																				0	0
	Summer Camps	10 per Camp	5	50	10	100	15	150	15	150											45	450
R6	MCDA including Gender Senitization	75 per Cluster	4	300	4	300	4	300	4	300											16	1200
R7	Supw for Girls	25 per School	20	500	20	500	20	500	20	500	15	375	15	375	15	375					125	3125
R8	Opening of ECCE Centres in Non-ICDS Block	18 per Centre																			0	0
1	Strengthening CDs Centre																				0	0
2	Development and Distribution of ECCE Materials (1 Yr.)	100 per district			1	100															1	100
4	Civil Work (One Additional Room)	70																			0	0
5	TLM	5 Per Centre			20	100	20	100	20	100											60	300
6	Additional Honorarium (Instructor + Worker)	0.375 per Centre			20	90	40	180	60	270	60	270	60	270	60	270	60	270	60	270	420	1890
7	Contingency / Recurrent Grant	1.50 per Centre					20	30	40	60	60	90	60	90	60	90	60	90	60	90	360	540
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)																				0	0
	Induction	3			20	60	20	60	20	60											60	180
	Recurring	12					20	24	40	48	60	72	60	72	60	72	60	72	60	72	360	432

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
CHANDAULI

3· .7.2001 (Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
R10	Community Mobilisation																				0	0
1	MTA/PTA Training	0.007	300	2	350	2	400	3	400	3	200	1									1650	11
2	Kala Jatha (VEC, Block Level & Dist. Level)	8 per NPRC	60	400	52	416					50	400	52	416							204	1632
3	Development of Awareness Material	5 per Block	8	40	8	40			8	40			8	40	8	40					40	200
4	Bal Mela at NPRC	5 PA per NPRC	102	510	102	510	102	510	102	510	102	510	102	510	102	510	102	510	102	510	918	4590
5	Production of Audio Tapes	10 per District	1	10					1	10					1	10					3	30
6	Production of Video Tapes	10 per District			1	10			1	10			1	10							3	30
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per District																			0	0
R11	Award to Best VEC (2 Nos.)	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	18	450
R12	Award to Best Shikshak Mitras	5	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	27	135
R12a	Award to Best BRC	10 per Block	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
R12b	Award to Best NPRC	7 per Block	9	63	9	63	9	63	9	63	9	63	9	63	9	63	9	63	9	63	81	567
R12c	Award to Best Teacher	5 per Block	9	45	9	45	9	45	9	45	9	45	9	45	9	45	9	45	9	45	81	405
R13	Remedial Teaching of SC/ST Children	0.705 per Child	300	212	300	212	300	212	300	212	300	212									1500	1058
R14	Assistance to NGOs for SC/ST Education	0.705 per Child																			0	0
R15	provision for Disable Children	120 per child	310	372	400	480	996	1195	996	1195											2702	3242
1	Assistance to NGOs for Integrated / Inclusive Education	120 per child																			0	0

158

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
CHANDAULI

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
R16	Computer Education for UPS Composite School	100	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	90	9000
	School Health Check Up (UPS+PS)	0.500 per school	974	487	974	487	1044	522	1124	562	1224	612	1272	636	1272	636	1272	636	1272	636	10428	5214
	Book Bank & School Library	5.0 per School	974	4870			1044	5220			1224	6120			1272	6360			1272	6360	5786	28930
	Sub Total (B)		3450	14026	3367	47674	5448	80199	4500	75305	4737	89551	3312	101145	4588	112263	3349	110745	4678	122372	37429	753278
(Q)	Quality Improvement																					
Q1	Training Programmes																					
1	Induction Training for Shiksha Mitra - 30 days	0.07 per person per day			137	288	334	701	183	384	185	389	192	403	56	118	56	118	58	121	1201	2522
2	Induction Training for Assistant Teacher - 6 days	0.07 per person per day			137	58	335	141	183	77	185	78	192	81	56	24	56	24	58	24	1202	507
3	Induction Training for Head Teacher PS - 6 days	0.07 per person per day	20	8	30	13															50	21
4	Induction Training for Head Teacher UPS - 6 days	0.07 per person per day	50	21	50	21	100	42	48	20											248	104
5	In-Service Teachers Training (PS+UPS) - 10 Days	0.07 per person per day	3691	2584	3828	2680	4163	2914	4346	3042	4531	3172	4550	3185	4606	3224	4602	3203	4720	3304	39097	27368
6	Refresher Training of Shiksha Mitra - 15 days	0.07 per person per day							471	495	654	687	839	881	1031	1082	1087	1141	1143	1200	5225	5486
7	Induction Training for EGS/AIE Worker - 30 days	0.07 per person per day	20	42	30	63	10	21													60	126

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
CHANDAULI

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
	Refresher Course for EGS/AIE Worker - 15 Days	0.07 per person per day			20	21	50	53	00	63	60	63									190	200
10	Training of BRC Coordinators - 10 Days	0.07 per person per day	0	6																	9	6
11	NPRC Coordinator Training - 10 Days	0.07 per person per day	102	71																	102	71
12	Refresher Training for BRC Coordinators - 5 days	0.07 per person per day			9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	72	25
13	Ref oshar Training for NPRC Coordinators - 5 days	0.07 per person per day			102	36	102	36	102	36	102	36	102	36	102	36	102	36	102	36	816	286
14	Training of Resources Person at DIET - 20 Days	0.07 per person per day	20	28	20	28	20	28	20	28											80	112
15	Staff Development Training for DIETs - 7 days	0.300 per person per day	25	53	25	53	25	53			25	53			25	53			25	53	150	318
16	BRC/NPRC Coordinator Management Training by SIEAT - 5 Days	0.300 per person per day	40	60	40	60	31	47													111	167
17	ABSA/SDI Training - 5 Days	0.07 per person per day	12	4			12	4			12	4			12	4			12	4	60	21
18	Training for AE/JE - 5 days	0.07 per person per day	9	3																	9	3
19	Teacher Training in Computer UPS/DIET Faculty - 28 days	1.50 per person	15	23	15	23	15	23	15	23	15	23	15	23							90	138

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
CHANDAULI

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
20	Orientation of VECs/Ward Committee - 3 days	0.03 per person per day	1642	148	1642	148	1642	148	1642	148			1642	148			1642	148			9852	888
21	Training of RCI (IED)	70.00 (45 Days)	5	350	10	700	5	350													20	1400
22	Teachers Orientation in IED (5 Days)	0.07	866	303	866	303															1732	606
23	AWPB Review & Training for Core Planning Terms by SIEAT - 7 Days	0.500 per person per day	8	28	8	28	8	28	8	28	8	28	8	28	8	28	8	28	8	28	72	252
24	Training of EMIS by SIEMAT (5 Days)	0.500 per person per day	8	20					8	20					8	20					24	60
25	Teachers ABSA/BRC/ NPRC Staff Training for Gender Sensitization (3 Days)	0.07 per person per day	1200	252	1200	252	355	75													2755	579
Q2	Teaching Learning Material																				0	0
1	Teacher Grant (PT+SM)	5	3691	1846	3965	1983	4300	2150	4468	2234	4860	2430	4916	2458	4974	2467	5030	2515	5088	2544	41292	20627
2	Teacher Grant (UPS)	5	711	356	911	456	1311	656	2111	1056	2303	1152	2303	1152	2303	1152	2303	1152	2303	1152	16559	8280
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS)	0.150 per child per year	148819	22323	165222	24784	168865	25330	172322	25849	#####	26378	#####	26922	183155	27474	186820	28023	190549	28583	1571083	235666
	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (UPS)	0.150 per child per year	43178	6477	49701	7456	54573	8186	59638	8946	64898	9735	71773	10766	73327	10999	74700	11219	76288	11443	568172	85228
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	800	400	820	410	850	425	850	425	850	425	850	425	850	425	850	425	850	425	7570	3785
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	174	174	224	224	274	274	374	374	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	3156	3156
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS+UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000					1	1000					1	1000					3	3000

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
CHANDAULI

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS+UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	9	1440
8	Printing & Distribution of Trainers Guide (PS+UPS)	160	1	160					1	160					1	160			1	160	4	640
9	Developent Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	10	1	10													3	30
10	Children Learning Evaluation (PS) 3 Times in 10 Years	400 each	1	400									1	400							2	800
11	Children Learning Evaluation (UPS) 3 Times in 10 Years	400 each	1	400									1	400							2	800
12	School Awards	25	9	225	9	225	9	225	9	225	9	225	9	225	9	225	9	225	9	225	81	2025
	Sub Total (C)		205130	37935	229023	40485	237400	42082	246870	44796	#####	45463	#####	48117	270956	49076	277853	48902	281646	49887	2271163	406742
C1	DIET																					
	New DIET																					
	Civil Work	5000																			0	0
1	Furniture	100																			0	0
2	Equipments (Including Audio Visual)	300																			0	0
3	Computer Work Station	600																			0	0
4	Vehicle (where applicable)	350																			0	0
5	Hiring	5																			0	0
6	POL	30																			0	0
7	Maintenance of Vehicle	20																			0	0

162

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
CHANDAULI

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
8	Research / Action Research	200																			0	0
	Seminars	200																			0	0
9	Faculty Development	30																			0	0
10	Exposure Visit	50																			0	0
	Publications	400																			0	0
11	Library	25																			0	0
	Contingency	100																			0	0
12	Salary of Computer Operator	7																			0	0
13	Salary of Driver (Where Applicable)	4																			0	0
14	Consumables / Computer Stationery	10																			0	0
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Stock Resource Centre																				0	0
1	Civil Construction	800																			0	0
2	Salary Coordinator	6.5																			0	0
3	Asstt. Coordinator - 2 Nos.	5.5	54	297	108	594	108	594	108	594	108	594	108	594	108	594	108	594	108	594	918	5049
4	Chowkidar	3																			0	0
5	Equipment Furniture	100																			0	0
6	Travelling Allowance	5	9	45	9	45	9	45	9	45	9	45	9	45	9	45	9	45	9	45	81	405
7	Maintenance of Equipments	1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	81	81
8	Maintenance of Building	6	9	54	9	54	9	54	9	54	9	54	9	54	9	54	9	54	9	54	81	486
9	Books	10	9	90					9	90					9	90					27	270
10	Monitoring & Supervision	0.300 per School	974	292	1044	313	1124	337	1224	367	1272	382	1272	382	1272	382	1272	382	1272	382	10726	3218

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
CHANDAULI

31.07.2001 (Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
11	Consumables	5	9	45	9	45	9	45	9	45	9	45	9	45	9	45	9	45	9	45	81	405
12	Contingency	12	9	108	9	108	9	108	9	108	9	108	9	108	9	108	9	108	9	108	81	972
13	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators	0.300 per meeting	108	32	108	32	108	32	108	32	108	32	108	32	108	32	108	32	108	32	972	292
	Total		**1190**	**973**	**1305**	**1201**	**1385**	**1225**	**1494**	**1345**	**1533**	**1269**	**1533**	**1269**	**1542**	**1359**	**1533**	**1269**	**1533**	**1269**	**13048**	**11177**
C3	**School Complex (NPRC)**																				0	0
1	Construction	200																			0	0
2	Salary Coordinator	65																			0	0
3	Equipment / Furniture	10																			0	0
4	Book for Library	5	102	510			102	510			102	510			102	510			102	510	510	2550
5	Contingency	25	102	255	102	255	102	255	102	255	102	255	102	255	102	255	102	255	102	255	918	2295
6	Monthly Review Meeting at CRC	0.200 per meeting	1224	245	1224	245	1224	245	1224	245	1224	245	1224	245	1224	245	1224	245	1224	245	11016	2203
7	Monitoring & Supervision	0.200 per School	974	195	1044	209	1124	225	1224	245	1272	254	1272	254	1272	254	1272	254	1272	254	10726	2145
	Total		**2402**	**1205**	**2370**	**709**	**2552**	**1235**	**2550**	**745**	**2700**	**1264**	**2598**	**754**	**2700**	**1264**	**2598**	**754**	**2700**	**1264**	**23170**	**9193**
C4	**District Project Office**																				0	0
1	Staffing - Coordinators - 4 Consultants - 2 AAO Driver - 1 (if Vehicle is purchased)	71x12	1	426	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	9	7242
2	Equipment	50	1	50	1	50															2	100
3	Furniture & Fixtures	50	1	50																	1	50
4	Books	10		10						10						10					0	30
5	Purchase of Vehicle (only kanpur City Lucknow)	350																			0	0

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
CHANDAULI

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
6	Motorcycle	50	13	520																	13	520
7	Travelling Allowances	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
8	Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
9	Telephone / Fax	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	9	270
10	Vehicle Maintenance & POL	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
11	Salary of Driver	4	6	24	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	102	408
12	Honorarium of AE/JE (for 3 years)	6 per Block	108	648	108	648	108	648													324	1944
13	Maintenance of Equipment	10			1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	8	80
14	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45
15	Supervision and Monitoring	0.158 per School	974	154	1044	165	1124	178	1224	793	1272	200	1272	200	1272	200	1272	200	1272	200	10726	2290
16	Contingency	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
17	Research & Evaluation	0.300 per school	974	292	1042	313	1124	337	1224	367	1272	382	1272	382	1272	382	1272	382	1272	382	10724	3217
	Total		2084	2314	2215	2226	2376	2213	2468	2220	2564	1632	2564	1632	2564	1642	2564	1632	2564	1632	21963	17141

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN
CHANDAULI

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
C4.1	MIS																				0	0
1	MIS Call Furnishing	50	1	50																	1	50
2	Salary of Computer Operator - 3 Nos.	7 p.m. x 12	3	126	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	21	2142
	Salary of MIS Officer	10x12	1	60	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	9	1020
3	MIS Equipments (where applicable)	460	1	460																	1	460
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
5	Maintenance of Equipments	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
	Total		9	761	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	65	4257
	Sub Total (D)		5685	5252	5897	4572	6320	5109	6519	4746	6804	4602	6702	4092	6813	4702	6702	4092	6804	4602	58246	41769
	Grand Total		215257	91795	241321	173653	253480	259764	261837	257219	#####	252317	#####	265357	284159	277968	289197	275357	294420	288279	2387866	2141709

Note : Salary of Teachers in the 1st Year provided for Six Months.

166

SUMMARY OF PROJECT COST - I

DIST. CHANDAULI

(Rs. in Thousands)

YEAR	CIVIL WORK	MANAGEMENT COST	PROGRAMME	TOTAL COST
2001-2002				
Amount	5090.00	3075.20	83629.65	**91794.85**
2002-2003				
Amount	54394.00	2662.60	116596.70	**173653.30**
2003-2004				
Amount	48818.00	2650.20	208295.75	**259763.95**
2004-2005				
Amount	43070.00	2657.20	211492.21	**257219.41**
2005-2006				
Amount	17814.00	2068.60	232433.90	**252316.50**
2006-2007				
Amount	1590.00	2068.60	261698.55	**265357.15**
2007-2008				
Amount	1590.00	2078.60	274299.80	**277968.40**
2008-2009				
Amount	1590.00	2068.60	271697.95	**275356.55**
2009-2010				
Amount	1590.00	2068.60	284619.95	**288278.55**
TOTAL	**175546**	**21398**	**1944764**	**2141709**
As % of Total Cost	**8.20**	**1.00**	**90.80**	**100.00**

SUMMARY OF PROJECT COST - II
CHANDAULI

(Amount in Thousands)

YEAR	ACCESS	RETENTION	QUALITY	CAP. BUILDING	TOTAL COST
2001-2002					
Amount	34582.00	14025.50	37934.95	5252.40	**91794.85**
As % of Total Project Cost	37.67	15.28	41.33	5.72	**100.00**
2002-2003					
Amount	80922.50	47673.95	40485.05	4571.80	**173653.30**
As % of Total Project Cost	46.60	27.45	23.31	2.63	**100.00**
2003-2004					
Amount	132374.00	80198.50	42082.05	5109.40	**259763.95**
As % of Total Project Cost	50.96	30.87	16.20	1.97	**100.00**
2004-2005					
Amount	132373.00	75304.50	44795.51	4746.40	**257219.41**
As % of Total Project Cost	51.46	29.28	17.42	1.85	**100.00**
2005-2006					
Amount	112701.00	89550.90	45462.80	4601.80	**252316.50**
As % of Total Project Cost	44.67	35.49	18.02	1.82	**100.00**
2006-2007					
Amount	112003.00	101145.00	48117.35	4091.80	**265357.15**
As % of Total Project Cost	42.21	38.12	18.13	1.54	**100.00**
2007-2008					
Amount	111928.00	112263.00	49075.60	4701.80	**277968.40**
As % of Total Project Cost	40.27	40.39	17.66	1.69	**100.00**
2008-2009					
Amount	111618.00	110745.00	48901.75	4091.80	**275356.55**
As % of Total Project Cost	40.54	40.22	17.76	1.49	**100.00**
2009-2010					
Amount	111418.00	122372.00	49886.75	4601.80	**288278.55**
As % of Total Project Cost	38.65	42.45	17.31	1.60	**100.00**
GRAND TOTAL	**939920**	**753278**	**406742**	**41769**	**2141709**
As % of Total Cost	43.89	35.17	18.99	1.95	**100.00**

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET
CHANDAULI

31.07.2001 (Amount in Thousand)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS					
A1	New Primary Schools - Unserved	259 (191+10+18+40)	20	5180	20	5180
1	New Upper Primary School	338 (270+10+18+40)	50	16900	50	16900
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School	9.2x12	20	1104	20	1104
3	Salary of Teacher in UPS (4 Nos.) in New School	7	200	8400	200	8400
4	HT of New UPS	75x12	50	2250	50	2250
5	Furniture / Fixture & Equipments					
	PS	15				
	UPS	50				
A2	Upgradation of Egs (TLE) to PS	10				
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200
	Intervention for Out of School Children					
	Cohart Study	200				
A3	Alternative Schools (EGS+AIE)					
	EGS					
	Updation of Micro Planning Data	50	1	50	1	25
	Primary - Including all models of DPEP	0.705 per Child	600	423	300	212
	Upper Primary	1.0 per Child				
A4	Back to School Campaign	1.50 per Child	50	75	25	38
	Innovation for EGS	50				

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET
CHANDAULI

31.07.2001 (Amount in Thousand)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
A5	Bridge / Remedial Courses	1.50 per Child				
A6	Strengthening / Maqtab / Madarsa					
	Sub Total (A)		**992**	**34582**	667	34308
(R)	RETENTION					
	Additional Classroom	70	50	3500	50	3500
	Additional Teachers Primary Schools	7.7				
	Additional Teachers Upper Primary Schools	6.5				
R1	Toilets	10				
	Rec. of UPS	270				
R2	Drinking Water	18				
	Repairs (PS+UPS)					
	Minor	20				
	Major	70				
	Rec. of PS	191				
R3	Repair & Maintenance of School	5 PA per School	318	1590	318	1590
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40				
R4	School Improvement Grant (PS)	2 PA per School				
	School Improvement Grant (UPS)	2 PA per School				
R5	Innovative Programmes (up to max Rs. 50 Lacs)	5000 per Districe				
	Promoting Girls Education					
	Summer Camps	10 per Camp	5	50	5	50
R6	MCDA including Gender Senitization	75 per Cluster	4	300	4	300

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET
CHANDAULI

31.07.2001 (Amount in Thousand)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
R7	Supw for Girls	25 per Schoo	20	500	20	500
R9	Opening of ECCE Centres in Non-ICDS Block	18 per Centre				
1	Strengthening CDs Centre					
2	Development and Distribution of ECCE Matemals (1 Yr.)	100 per district				
4	Civil Work (One Additional Room)	70				
5	TLM	5 Per Centre				
6	Additional Honorarium (Instructor + Worker)	0.375 per Centre				
7	Contingency / Recurrent Grant	1.50 per Centre				
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)					
	Induction	3				
	Recurring	12				
R10	Community Mobilisation					
1	MTA/PTA Training	0.007	300	2	300	2
2	Kala Jatha (VEC, Block Level & Dist. Level)	8 per NPRC	50	400	25	200
3	Development of Awareness Material	5 per Block	8	40	4	20
4	Bal Mela at NPRC	5 PA per NPRC	102	510	51	255
5	Production of Audio Tapes	10 per District	1	10	1	5
6	Production of Video Tapes	10 per District				
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per District				
R11	Award to Best VEC (2 Nos.)	25	2	50	2	50

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET
CHANDAULI

31.07.2001 (Amount in Thousand)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
R12	Award to Best Shikshak Mitras	5	3	15	3	15
R12a	Award to Best BRC	10 per Block	1	10	1	10
R12b	Award to Best NPRC	7 per Block	9	63	9	63
R12c	Award to Best Teacher	5 per Block	9	45	9	45
R13	Remedial Teaching of SC/ST Children	0.705 per Child	300	212	150	106
R14	Assistance to NGOs for SC/ST Education	0.705 per Child				
R15	provision for Disable Children	120 per child	310	372	155	186
1	Assistance to NGOs for Integrated / Inclusive Education	120 per child				
R16	Computer Education for UPS Composite School	100	10	1000	5	500
	School Health Check Up (UPS+PS)	0.500 per school	974	487	487	244
	Book Bank & School Library	5.0 per School	974	4870	487	2435
	Sub Total (B)		**3450**	**14026**	**2086**	**10075**
(Q)	**Quality Improvement**					
Q1	Training Programmes					
1	Induction Training for Shiksha Mitra - 30 days	0.07 per person per day				
2	Induction Training for Assistant Teacher - 6 days	0.07 per person per day				
3	Induction Training for Head Teacher PS - 6 days	0.07 per person per day	20	8	10	4
4	Induction Training for Head Teacher UPS - 6 days	0.07 per person per day	50	21	25	11

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET
CHANDAULI

31.07.2001 (Amount in Thousand)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
5	In-Service Teachers Training (PS+UPS) - 10 Days	0.07 per person per day	3691	2584	1846	1292
6	Refresher Training of Shiksha Mitra - 15 days	0.07 per person per day				
7	Induction Training for EGS/AIE Worker - 30 days	0.07 per person per day	20	42	10	21
9	Refresher Course for EGS/AIE Worker - 15 Days	0.07 per person per day				
10	Training of BRC Coordinators - 10 Days	0.07 per person per day	9	6	5	3
11	NPRC Coordinator Training - 10 Days	0.07 per person per day	102	71	51	36
12	Refresher Training for BRC Coordinators - 5 days	0.07 per person per day				
13	Refresher Training for NPRC Coordinators - 5 days	0.07 per person per day				
14	Training of Resources Person at DIET - 20 Days	0.07 per person per day	20	28	10	14
15	Staff Development Training for DIETs - 7 days	0.300 per person per day	25	53	13	26
16	BRC/NPRC Coordinator Management Training by SIEAT - 5 Days	0.300 per person per day	40	60	20	30
17	ABSA/SDI Training - 5 Days	0.07 per person per day	12	4	6	2
18	Training for AE/JE - 5 days	0.07 per person per day	9	3	5	2
19	Teacher Training in Computer UPS/DIET Faculty - 28 days	1.50 per person	15	23	8	12
20	Orientation of VECs/Ward Committee - 3 days	0.03 per person per day	1642	148	821	74

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET
CHANDAULI

31.07.2001 (Amount in Thousand)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
21	Training of RCI (IED)	70.00 (45 Days)	5	350	3	175
22	Teachers Orientation in IED (5 Days)	0.07	866	303	433	152
23	AWPB Review & Training for Core Planning Terms by SIEAT - 7 Days	0.500 per person per day	8	28	4	14
24	Training of EMIS by SIEMAT (5 Days)	0.500 per person per day	8	20	4	10
25	Teachers ABSA/BRC/ NPRC Staff Training for Gender Sensitization (3 Days)	0.07 per person per day	1200	252	600	126
Q2	Teaching Learning Material					
1	Teacher Grant (PT+SM)	5	3691	1846	3691	1846
2	Teacher Grant (UPS)	5	711	356	711	356
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS)	0.150 per child per year	148819	22323	148819	22323
	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (UPS)	0.150 per child per year	43178	6477	43178	6477
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	800	400	400	200
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	174	174	87	87
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS+UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000	1	500
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS+UPS)	160	1	160	1	80
8	Printing & Distribution of Trainers Guide (PS+UPS)	160	1	160	1	80
9	Developent, Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	5

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET
CHANDAULI

31.07.2001

(Amount in Thousand)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
10	Children Learning Evaluation (PS) 3 Times in 10 Years	400 each	1	400	1	400
11	Children Learning Evaluation (UPS) 3 Times in 10 Years	400 each	1	400	1	400
12	School Awards	25	9	225	9	225
	Sub Total (C)		**205130**	**37935**	**200770**	**34981**
C1	DIET					
	New DIET					
	Civil Work	5000				
1	Furniture	100				
2	Equipments (Including Audio Visual)	300				
3	Computer Work Station	600				
4	Vehicle (where applicable)	350				
5	Hiring	5				
6	POL	30				
7	Maintenance of Vehicle	20				
8	Research / Action Research	200				
	Seminars	200				
9	Faculty Development	30				
10	Exposure Visit	50				
	Publications	400				
11	Library	25				
	Contingency	100				
12	Salary of Computer Operator	7				
13	Salary of Driver (Where Applicable)	4				
14	Consumables / Computer Stationery	10				
	Total					

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET
CHANDAULI

31.07.2001 (Amount in Thousand)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
C2	Stock Resource Centre					
1	Civil Construction	800				
2	Salary Coordinator	6.5				
3	Asstt. Coordinator - 2 Nos.	5.5	54	297	54	297
4	Chowkidar	3				
5	Equipment Furniture	100				
6	Travelling Allowance	5	9	45	5	23
7	Maintenance of Equipments	1	9	9	5	5
8	Maintenance of Building	6	9	54	5	27
9	Books	10	9	90	5	45
10	Monitoring & Supervision	0.300 per School	974	292	487	146
11	Consumables	5	9	45	5	23
12	Contingency	12	9	108	5	54
13	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators	0.300 per meeting	108	32	54	16
	Total		1190	973	622	635
C3	School Complex (NPRC)					
1	Construction	200				
2	Salary Coordinator	65				
3	Equipment / Furniture	10				
4	Book for Library	5	102	510	51	255
5	Contingency	25	102	255	51	128
6	Monthly Review Meeting at CRC	0.200 per meeting	1224	245	612	122

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET
CHANDAULI

31.07.2001 (Amount in Thousand)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
7	Monitoring & Supervision	0.200 per School	974	195	487	97
	Total		2402	1205	1201	602
C4	District Project Office					
1	Staffing - Coordinators - 4 Consultants - 2 AAO Driver - 1 (if Vehicle is purchased)	71x12	1	426	1	426
2	Equipment	50	1	50	1	50
3	Furniture & Fixtures	50	1	50	1	50
4	Books	10		10		10
5	Purchase of Vehicle (only kanpur City Lucknow)	350				
6	Motorcycle	50	13	520	13	520
7	Travelling Allowances	20	1	20	1	20
8	Consumables	25	1	25	1	25
9	Telephone / Fax	30	1	30	1	30
10	Vehicle Maintenance & POL	50	1	50	1	50
11	Salary of Driver	4	6	24	6	24
12	Honorarium of AE/JE (for 3 years)	6 per Block	108	648	108	648
13	Maintenance of Equipment	10				
14	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5
15	Supervision and Monitoring	0.158 per School	974	154	974	154
16	Contingency	10	1	10	1	10

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET

CHANDAULI

31.07.2001 (Amount in Thousand)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
17	Research & Evaluation	0.300 per school	974	292	974	292
	Total		**2084**	**2314**	**2084**	**2314**
C4.1	**MIS**					
1	MIS Call Furnishing	50	1	50	1	50
2	Salary of Computer Operator - 3 Nos.	7 p.m. x 12	3	126	2	84
	Salary of MIS Officer	10x12	1	60	1	60
3	MIS Equipments (where applicable)	460	1	460	1	460
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20
5	Maintenance of Equipments	20	1	20	1	20
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25
	Total		**9**	**761**	**8**	**719**
	Sub Total (D)		**5685**	**5252**	**3915**	**4270**
	Grand Total		**215257**	**91795**	**207437**	**83634**

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-11497
Date 09-07-2002
178

परिशिष्ट

क्रम-संख्या—177

रजिस्टर्ड नं० एल०डब्लू०/एन०पी० 891

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

वैशाख 15, 1922 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1245/सत्रह-वि०-1—1 (क)-29-1999

लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 21 जून, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा; और—

(क) इस प्रकार से पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ड) में शब्द "जिला परिषद्, अन्तरिम जिला परिषद्, नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी" के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत या नगरपालिका" रख दिये जायेंगे;

(2) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(च) 'नगरपालिका' का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम से है।"

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उनके लिये दिये गये हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ख) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला पंचायतों" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ग) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित निगमों" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (घ) में शब्द और अंक "यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (ग) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों या नगरपालिकाओं" और शब्द "उनके प्रशासन पर पर्यवेक्षण रखना" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासन पर अधीक्षण रखना" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में शब्द "नार्मल स्कूलों" के स्थान पर शब्द "जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर शिक्षा समिति" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (च) में शब्द "और विशिष्टतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकार करना" निकाल दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (छ-1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ-1) राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या

नगरपालिकाओं को उनके कृत्यों के संपादन में ऐसे निदेश जारी करना, जो इस अधिनियम से असंगत न हो।"

(च) खण्ड (3-2) निकाल दिया जायगा।

धारा 8 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 10 में अभिदिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (क) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा।

नई धारा 9क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

बेसिक स्कूल के जंगमों और सम्पत्तियों का नियंत्रण

"9—क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक को और से,—

(क) बेसिक स्कूल का ऐसा प्रत्येक अध्यापक जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व परिषद् के अधीन सेवारत रहा हो, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका के, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित है, प्रशासनिक नियंत्रण में होगा;

(ख) किसी बेसिक स्कूल के संबंध में परिषद् के सभी भवन, सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित हो, अन्तरित और उसमें निहित हो जायगी।

(ग) जहां ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी भवन या उसके किसी भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए परिषद् किरायेदार के रूप में अध्यासित रहा हो वहां ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में किरायेदारी किसी संविदा, पट्टा या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति ग्राम पंचायत या नगरपालिका के पक्ष में अन्तरित हो जायगी;

(घ) धारा 18-क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भवन या उसके भाग के संबंध में परिषद्, लाइसेन्सधारी नहीं रह जायेगा और, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर ऐसा भवन अवस्थित हो, यदि वह पहले से उसका स्वामी न हो तो ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय, लाइसेन्सधारी समझा जायेगा।

(2) किसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को उपधारा (1) के अधीन अन्तरित या उसमें निहित किसी भवन, सम्पत्ति या आस्तियों को विक्रय, दान, विनिमय, बंधक, पट्टा द्वारा या अन्यथा अन्तरित करने की शक्ति नहीं होगी।"

धारा 10, 10-क और 11 का प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की धारा 10, 10-क और 11 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"10—उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन जिला पंचायतों के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक जिला पंचायत, परिषद् या राज्य सरकार के प्रशासन और निदेशन

जिला पंचायत के कृत्य

के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित सदस्य या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ख) जिले में बेसिक शिक्षा के संबंध में ग्राम पंचायतों के क्रियाकलाप का, सामान्यतया ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, पर्यवेक्षण करना;

(ग) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाय।

नगरपालिकाओं के कृत्य

10-क—यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन नगरपालिकाओं के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक नगरपालिका, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समुत्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, निदेशन और प्रबंध करना;

(ख) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(घ) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(ङ) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

ग्राम शिक्षा समिति और उसके कृत्य

11-(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन ग्राम पंचायत स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायेगी जो ग्राम शिक्षा समिति कहलायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) ग्राम पंचायत का प्रधान, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से, ज्येष्ठतम, जो सदस्य-सचिव होगा;

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और ग्राम पंचायत के अधीक्षण और निदेशन के अध्यधीन रहते हुए, गांव शिक्षा समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्धन करना;

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना;

(ङ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायं।"

8—मूल अधिनियम की धारा 12-क निकाल दी जायगी। धारा 12-क का निकाला जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :— नई धारा 13-क का बढ़ाया जाना

"13-क—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगर-पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।" (अध्यारोही प्रभाव)

10—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में शब्द "शक्ति" के स्थान पर शब्द "शक्ति, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय" रख दिये जायेंगे। धारा 14 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात्" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्" रख दिये जायेंगे। धारा 17 का संशोधन

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2000, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 1999, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 1999)

12—(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1999 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1245 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-29-1999

Dated Lucknow, May 5, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Basic Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. Act No. 18 of 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 21, 1999.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 34 of 1972

2. Section 2 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof and,

(a) in sub-section (1) as so renumbered,—

(i) in clause (*e*) *for* the words "Zila Parishad, Antarim Zila Parishad, Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee or Notified Area Committee" the words, "Zila Panchayat or Municipality" shall be *substituted*;

(ii) *after* clause (*e*) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*f*) "Municipality" means a Nagar Panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation, as the case may be."

(*b*) *after* sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meaning assigned to them in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, as the case may be."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) in clause (*b*) *for* the words and figures "Zila Parishads established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961," the words and figures "Zila Panchayats established under section 17 of the Utter Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961" shall be *substituted*;

(b) in clause (*c*) *for* the words and figures "Mahapalikas constituted under section 3 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959", the words and figures "Corporations constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959" shall be *substituted*;

(c) in clause (*d*) *for* the words and figures "Municipal Boards established under the U. P. Municipalities Act, 1916," the words and figures "Municipal Council and Nagar Panchayats established under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) in clause (*e*) *for* the words "Zila Basic Shiksha Samitis or Nagar Basic Shiksha Samitis and to superintend the said Samitis", the words, "the Gaon Shiksha Samitis, or Municipalities and to superintend Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats and Municipalities" shall be *substituted*;

(b) in clause (*g*) *for* the words "normal schools" the words "District Institute of Education and Training" shall be *substituted*;

(c) In clause (*e*) *for* the words "the Zila Basic Shiksha Samiti or the Nagar Shiksha Samiti", the words "Gaon Shiksha Samitis, Zila Panchyats or Municipalities" shall be *substituted* ;

(d) In clause (*f*) the words "and in particular, to ar[illegible] any [illegible] ment of any [illegible] such conditions as it thinks fit" shall be *omitted*;

(e) *for* clause (g-1) the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(g-1) subject to the general control of the State Government to issue directions not inconsistant with this Act, to Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats, Zila Panchayats or Municipalities in the performance of their functions under this Act;"

(*f*) clause (g-2) shall be *omitted*.

5. In section 5 of the principal Act,— Amendment of section 5

(*a*) in sub-section (1) the words and figures "each Zila Basic Shiksha Samiti referred to in section 10 and" shall be *omitted*,

(*b*) In sub-section (2),—

(*i*) In clause (*a*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

(*ii*) in clause (*d*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

6. *After* section 9 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:— Insertion of new section 9-A

9-A(1) Notwithstanding anything contained to the contrary in any other provisions of this Act, on and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000,— Control of teacher and properties of basic schools

(*a*) every teacher of the basic school serving under the Board immediately before such commencement shall be under the administrative control of the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated ;

(*b*) all buildings, properties and assets of the Board in respect of a basic School shall stand transferred to, and vest in, the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(*c*) where any building or part thereof is occupied as a tenant by the Board for the purpose of a basic school immediately before such commencement, the tenancy in respect of such building or part thereof shall, notwithstanding anything contained in any contract, lease or other instrument, stand transferred in favour of the Gram Panchayat, or the Municipality, as the case may be ;

(*d*) the Board shall cease to be the licensee in respect of the building or part thereof referred to in sub-section (1) of section 18-A and the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits such building is situated, shall, if it is not already owner thereof, be deemed to have become licensee in respect of such building or part thereof on such terms and conditions as may be determined by the State Government.

(2) No Gram Panchayat or Municipality shall have power to transfer by sale, gift, exchange, mortgage, lease or otherwise any building, property or assets transferred to, and vested in, such Gram Panchayat or Municipality, as the case may be, under sub-section (1).

Substitution of sections 10, 10-A and 11

7. *For* section 10, 10-A and 11 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :—

Functions of Zila Panchayats

"10. Without prejudice to the powers and functions of Zila Panchayats under the Uttar Pradesh Zila Panchayats and Kshettra Panchayats Adhiniyam, 1961, every Zila Panchayat shall, subject to superintendence and directions of the Board or the State Government perform all or any of the following functions, namely :—

(*a*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of basic schools in the rural areas of the district ;

(*b*) to supervise generally in such manner as may be prescribed the activities of Gram Panchayats in the district with regard to basic education ;

(*c*) to perform such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.

Functions of Municipalities

10-A Without prejudice to the powers and functions of Municipalities under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 or the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, as the case may be, every Municipality shall, subject to superintendence and control of the Board or the State Government, perform all or any of the following functions, namely:—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the Municipal area;

(*b*) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(*c*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(*d*) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the Municipal area;

(*e*) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within the limits of the municipal area.

Gaon Shiksha Samiti and its function

11. (1) For each village or group of villages for which a Gram Panchayat is established under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, there shall be established a committee to be known as Gaon Shiksha Samiti which shall consist of the following members, namely:—

(*a*) the Pradhan of the Gram Panchayat who shall be the Chairman;

(*b*) three guardians of students of basic schools (of whom one guardian must a woman) to be nominated by the Assistant Basic Education Officer;

(*c*) the head master of the basic school situated in the Gram Panchayat and if there are more than one such schools, the senior-most of the head masters thereof, who shall be the Member-Secretary;

(2) except as otherwise provided in any other provisions of this Act and subject to the supervision and control of the Gram Panchayat, the Gaon Shiksha Samiti shall perform the following functions, namely :—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the panchayat area;

(*b*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(c) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the panchayat area;

(d) to make suggestions to the Zila Panchayat for the improvement of basic schools, buildings and the equipment thereof;

(e) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(f) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within limits of the panchayat area.

(g) such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.".

8. Section 12-A of the principal Act shall be *omitted*. Omission of section 12-A

9. *After* section 12 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— Insertion of new section 13-A

"13-A. Over riding effect—Notwithstanding anything contained in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the provisions of this Act shall have effect."

10. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "powers" the words "powers, except the power to make rules" shall be *substituted*; Amendment of section 14

11. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words and figures "after December 31, 1977" the words and figures "after the expiration of the period of two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000" shall be *substituted*. Amendment of section 17

12. (1) The Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed. Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment), Ordinance, 1999, or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) (Second) Ordinance, 1999 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

संख्या: 2604/15-5-99-292/98

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र भौनवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक (बे0)
उ0प्र0 लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा (5) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 1999

विषय:- उ0प्र0 के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु "शिक्षा मित्र योजना" लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु राज्यपाल महोदय वर्तमान शिक्षा सत्र 1999-2000 से प्रदेश में संलग्न "शिक्षा मित्र योजना" लागू करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यतः निर्धारित अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है। शिक्षा सत्र 1999-2000 में पूरे प्रदेश में 10,000 की सीमा तक शिक्षा मित्रों को अनुबंधित किया जायेगा।

3- योजना के संचालनार्थ जिला स्तर पर एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1- जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
3- लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

....2...

4- जनपद में उपर्युक्त योजनान्तर्गत कार्यक्रम को संचालित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उपर्युक्त समिति का होगा।

5- योजनान्तर्गत " शिक्षा मित्रों " के चुनाव हेतु विस्तृत निर्देश संलग्न योजना में दिये गये हैं, जिनका अक्षरशः पालन किया जायेगा।

6- योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षा मित्र को प्रतिमाह रुपये 1450/- का मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त एक माह की प्रशिक्षण अवधि के लिए उन्हें रुपये 400/- की दर से मानदेय देय होगा। शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित दरों पर धनराशि देय होगी।

7- कृपया तदनुसार योजना के संचालनार्थ वित्तीय आवश्यकताओं का आंगणन कर प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र भौनवाल)
सचिव।

संख्या: व दिनांक: तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत उ0प्र0।
4- निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार चयनित शिक्षा मित्रों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आंगणन कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5- सचिव, उ0प्र0 शासन पंचायती राज विभाग।
6- निदेशक, पंचायती राज विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
7- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0
8- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9- शिक्षा निदेशक (मा0/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा / उर्दू एवं प्राच्य भाषायें) उ0प्र0 लखनऊ।
10- पंचायती राज अनुभाग-1
11- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव /कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
12- शिक्षा ~~xxxx~~ विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र शर्मा)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या: 2604/15-5-99-282/98 दिनांक 26 मई 1999 का संलग्नक।

शिक्षा मित्र योजना

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु कम लागत पर शिक्षण की व्यवस्था के लिए शिक्षा मित्र नामक योजना की रूप रेखा निम्नवत् है। यह योजना शैक्षिक सत्र 1999-2000 से लागू होगी।

शिक्षा मित्र परिकल्पना

1- स्थानीय आवश्यकता और मांग के संदर्भ में ग्राम सभा स्तर पर उपलब्ध इण्टरमीडिएट तक शिक्षित व्यक्तियों में से निश्चित मानदेय पर पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर आमंत्रित किये जाने वाला व्यक्ति "शिक्षा मित्र" होगा।

2- (i) शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यतः निर्धारित अध्यापक छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है।

(ii) ग्राम पंचायत की ग्राम शिक्षा समिति में "शिक्षा मित्र" की आवश्यकता का प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि शिक्षा समिति विद्यालय में "शिक्षा मित्र" की व्यवस्था हेतु सहमत एवं तैयार है।

शिक्षा मित्र की शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता

3- (i) शिक्षा मित्र (पुरुष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी।

(ii) उक्त ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव पारित कर निर्णय लेने से पूर्व जिस गाँव में विद्यालय स्थित है, उसमें निर्धारित अर्हताधारी महिला अथवा पुरुष अभ्यर्थी को चिन्हित करेगी। विशेष परिस्थिति में किसी गाँव में निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से जहाँ ऐसे अर्हताधारी महिला/पुरुष अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, अर्हताधारी महिला अथवा पुरुष को चिन्हित किया जायेगा।

.....2...

(iii) किसी भी विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा "शिक्षा मित्र" का अनुपात अधिकतम 3:2 होगा।

शिक्षा मित्र की संख्या का निर्धारण

4- निदेशक परियोजना द्वारा बी0एस0पी0/डी0पी0ई0पी0 परियोजना से आच्छादित जनपदों में तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक (बे0) द्वारा शिक्षा मित्रों की संख्या का निर्धारण सर्वेक्षण में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार तथा अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा निर्धारित संख्या के अन्तर्गत ही जनपदों में शिक्षा मित्र रखे जायेंगे।

आयु

5- शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षण कार्य करने योग्य सक्षम स्थानीय / निकटवर्ती गाँव के अर्ह व्यक्ति (महिला/पुरुष) का चयन किया जा रहा है।

शिक्षा मित्र का चयन

6- (क) ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र / मित्रों के चयन हेतु बैठक आहूत करेगी जिसमें समिति के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ख) समिति के द्वारा सदस्यों के सम्मुख उपलब्ध अर्ह व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की जायेगी। यह सूची उनके द्वारा हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर निर्मित की जायेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले का नाम पहले रखा जायेगा।

(ग) समिति आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की संख्या का आंकलन करेगी। यह संख्या 1:40 के आधार पर शिक्षकों की कुल संख्या में से कार्यरत शिक्षकों की संख्या को घटाकर निकाली जायेगी। तदनुसार (8) छात्र संख्या पर 3 तथा इसके उपरान्त 40 छात्रों की दूने संख्या पर एक अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता का आंकलन किया जायेगा।

(घ) विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50% महिलायें होंगी। इनका भी चयन बिन्दु (ख) में इंगित आधार पर किया जायेगा।

(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अन्य श्रेणियों के आरक्षण हेतु प्रचलित नियमों/ निर्देशों का पालन यथावत् सुनिश्चित किया जायेगा।

....3...

(घ) ग्राम शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट संबंधी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं किया जावेगा।

संविदा की अवधि

7- शिक्षा मित्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर चालू शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर रखा जावेगा जो मई माह के अन्तिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

संविदा अवधि का मानदेय।

8- शिक्षा मित्र को संविदा पर रुपया 1450/- प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर रखा जावेगा।

संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया

9- (1) किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में ग्राम शिक्षा समिति, समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर संविदा समाप्त कर सकती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(2) संबंधित शिक्षा मित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह में उसके विरुद्ध ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा समाप्त करने के आशय का प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जावेगा तथा इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुनः सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा।

शिक्षा मित्र के मानदेय की स्वीकृति

10- (1) उपर्युक्त अनुच्छेद-6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र का चयन करने के उपरान्त एतदर्थ अनुदान प्राप्त करने हेतु औपचारिक प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण सूचनाओं सहित संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जावेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपेक्षित सत्यापन एवं पुष्टि के उपरान्त प्रस्तावों पर शासन द्वारा नामित समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे एवं अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान की स्वीकृति अथवा अस्वीकृत करके निर्णय संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को सूचित करेंगे ।

(2) अनुदान स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम शिक्षा समिति संबंधित शिक्षा मित्र को इस आशय की सूचना देगी कि वह जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति दें। उनके द्वारा संतोषजनक ढंग से एक माह का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाने पर निर्धारित प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मित्र को अध्यापन कार्य हेतु मानदेय रुपया 1450/-

प्रतिमाह पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा। यह संविदा आगामी 31 मई को स्वत: समाप्त हो जायेगी।

प्रशिक्षण
=====

11- शिक्षा मित्र के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी :-

(i) प्रशिक्षण- प्रत्येक चयनित शिक्षा मित्र को जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। इसके बाद ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र कार्य आरम्भ करेगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक शिक्षा मित्र को रू0400/- का मानदेय देय होगा। संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति शिक्षा मित्र की दर से धनराशि प्रशिक्षण के आयोजन तथा प्रशिक्षण अवधि में भोजन, आवास आदि पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण- प्रत्येक वर्ष आगामी शिक्षा सत्र में पूर्व 15 दिन के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में प्रत्येक ऐसे शिक्षा मित्र को प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा, जो आगामी शैक्षिक सत्र में शिक्षा मित्र के दायित्व को निर्वहन करने को तैयार हो, किन्तु ऐसे शिक्षा मित्रों के लिए अप्रैल माह में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर इसकी सूचना संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं परियोजना जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को देनी अनिवार्य होगी। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षा मित्र को रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा। तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों की दर से आवास भोजन तथा प्रशिक्षण के आयोजन हेतु धनराशि दी जायेगी।

पर्यवेक्षण
=====

12- (i) शिक्षा मित्र को आकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/ विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी तथा उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण मुख्यत: इन केन्द्रों के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र / तत्समय स्कूल पर प्रत्येक माह आयोजित होने वाली एक द्वितीय कार्यशाला / बैठक में शिक्षा मित्र का प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। इस एक द्वितीय कार्यशाला में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा प्रत्येक शिक्षा मित्र से शिक्षण कार्य में उनके अनुभव, समस्याओं तथा आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर उनकी समस्याओं का समाधान

किया जायेगा तथा उसे पृथक पंजिका में अभिलिखित भी किया जायेगा। यदि कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान समन्वयक के स्तर से संभव नहीं हो तो उसकी जानकारी संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी एवं इस संबंध में वरीयता से कार्यवाही कर उसका निदान जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से कराया जायेगा।

(ii) शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा तथा वे इसके प्रति उत्तरदायी होंगे। किन्तु शिक्षा मित्र अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन विद्यालय के प्रधान अध्यापक /प्रभारी प्रधान अध्यापक के नियंत्रण एवं निर्देशन में करेंगे।

(iii) ग्राम शिक्षा समिति के पदाधिकारी / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्कूल के निरीक्षण / पर्यवेक्षण के समय स्कूल के अन्य अध्यापकों की भाँति "शिक्षा मित्र" भी पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

(iv) विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य के संबंध में पर्यवेक्षण टिप्पणी प्रस्तुत की जायेगी जिस पर ग्राम शिक्षा समिति विचार करेगी। यदि शिक्षा मित्र के विरुद्ध लगातार टिप्पणी आती है तब ग्राम शिक्षा समिति उक्त शिक्षा मित्र की निर्धारित प्रक्रियानुसार संविदा समाप्त सकती है और अन्य शिक्षा मित्र का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन कर सकती

अनुदान की व्यवस्था

13- (i) इस योजना के अधीन "शिक्षा मित्र" के मानदेय तथा प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की धनराशि को एक मुश्त संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निदेशक, सर्व के लिए शिक्षा परियोजना तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति के उपरान्त धनराशि का आगणन निर्धारित दर पर आगामी मई 31 तक के लिए किया जायेगा तथा एक किश्त स्वीकृत कर दिये जाने पर आगामी किश्त पूर्व स्वीकृत किश्त के उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृत की जायेगी। धनराशि दो समान किश्तों में संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध कराई जायेगी।

14- प्रस्तर -18 में उल्लिखित नामित समिति को यह अधिकार होगा कि किसी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा " शिक्षा मित्र " योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान की धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर अनुदान की दूसरी किश्त की धनराशि के हस्तान्तरण को रोक दें अथवा पूर्व में स्वीकृत धनराशि की नियमानुसार वसूली करायें।

15- उपरोक्त नियमों में प्रयुक्त ग्राम शिक्षा समिति का तात्पर्य ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति से है ।

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।

संख्या-129(1)/15-5-2000-282/98

प्रेषक,

श्री एन0 रविशंकर
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक(बे)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक;
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनंभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 1 जुलाई, 2000

विषय:- प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए शिक्षित युवाओं की सहभागिता हेतु शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या- 2604/15-5-99-282/98, दिनांक 26.5.1999 एवं शा0 सं0-4386/15-5-99-282/98 टीसी, दिनांक 11.08.1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के प्रयासों के अन्तर्गत शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवा पीढ़ी को शिक्षा के प्रसार में स्वेच्छा उनकी सहभागिता सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त करने के लिए शिक्षा मित्र योजना की रचना की है। वस्तुत: यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण शिक्षित युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा के आलोक को सामुदायिक सेवा के रूप में प्रज्वलित करने हेतु उन्हें उत्प्रेरित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भ की गयी है। यहां यह भी स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षा मित्र योजना सेवायोजन परक योजना नहीं है, प्रत्युत इसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सामुदायिक सेवा हेतु उत्प्रेरित करना मात्र है।

शासन ने उपर्युक्त योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों की आवश्यकता के आंकलन, चयन तथा योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में कार्यवाही निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है:-

1. शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन:

प्रदेश में विभिन्न जनपदों में शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन एवं संख्या का निर्धारण विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजनाओं से आच्छादित जनपदों में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा तथा

सभी जनपदों में शिक्षा निदेशक(बे) द्वारा शासन द्वारा पूरे प्रदेश के लिए निर्धारित संख्या के अंतर्गत किया जायेगा तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात 1:40 का अनुसरण हो।

प्रत्येक विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र का अनुपात अधिकतम 3:2 का होगा। शिक्षा मित्र की तैनाती उन्हीं विद्यालयों में होगी जहां पहले से न्यूनतम एक नियमित अध्यापक कार्यरत हो। दूसरा शिक्षा मित्र सम्बन्धित विद्यालय में तभी तैनात किया जा सकेगा जब विद्यालय में पहले से दो नियमित अध्यापक कार्यरत हों और अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपातिक आधार पर शिक्षा मित्र की आवश्यकता हो। दो से अधिक शिक्षा मित्रों को एक विद्यालय में नहीं रखा जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया एवं रोस्टर का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. <u>योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन:</u>

योजनान्तर्गत शिक्षा मित्रों की जनपदवार आवश्यकता का निर्धारण शिक्षा निदेशक(बे) एवं राज्य परियोजना निदेशक, बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा करा लिये जाने के उपरान्त विद्यालयों का चिन्हांकन शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करने हेतु शिक्षा निदेशक(बे)/परियोजना निदेशक द्वारा संबंधित जनपद के लिए निर्धारित शिक्षा मित्रों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों, जहां प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र की व्यवस्था अपेक्षित हो, का चिन्हांकन ऐसे एकल अध्यापकीय विद्यालयों जो जनपद के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हों और अध्यापकों की कमी के कारण जहां पठन-पाठन में समस्या रही हो, को वरीयता प्रदान करते हुए विद्यालयों के चयन हेतु संस्तुति की जायेगी।

3. <u>ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र के चिन्हांकन की प्रक्रिया:</u>

जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति अपनी ग्राम पंचायत की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत अवस्थित विद्यालय हेतु शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि समिति सम्बन्धित विद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु सहमत है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरान्त ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र की व्यवस्था के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सार्वजनिक सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्य उपयुक्त माध्यमों से प्रसारित करेगी।

सूचना के प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से 10 दिन की समयावधि में इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उस ग्राम पंचायत से जिसकी प्रादेशिक सीमा में विद्यालय अवस्थित है के निर्धारित अर्हता धारी अभ्यर्थियों के ही आवेदन पत्र आमंत्रित करेगी। विशेष परिस्थिति में यदि किसी गांव में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सम्बन्धित न्याय पंचायत में से अर्ह अभ्यर्थी चिन्हांकित किये जा सकेंगे।

4. **शिक्षा मित्र की अर्हतायें:**

शिक्षा मित्र (पुरूष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी किन्तु प्रतिबंध यह है कि देश में संचालित मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों/शिक्षण महाविद्यालयों से संस्थागत छात्र के रूप में बी०एड०/एल०टी० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष होगी।

5. **शिक्षा मित्र का कार्यकाल:**

शिक्षा मित्र का कार्यकाल सामान्यतया किसी शिक्षा सत्र में माह मई के अंतिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जायेगा। शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य एवं आचरण से संतुष्ट होने की स्थिति में समिति द्वारा अगले शिक्षा सत्र के लिए भी उसे चिन्हित किया जा सकता है।

किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य व आचरण असंतोषजनक न होने की दशा में शिक्षा समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर सत्र के मध्य में भी समिति शिक्षा मित्र को किसी भी समय हटा सकती है। इस संबंध में शिक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुनः इस रूप में कार्य करने का अवसर नही दिया जायेगा।

6. **शिक्षा मित्र का मानदेय:**

शिक्षा मित्र को रू0 2250/- प्रति माह का नियत मानदेय ग्राम शिक्षा समिति द्वारा भुगतान किया जायेगा। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा निधि के माध्यम से किया जायेगा। मानदेय की धनराशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में रखी जायेगी। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त मानदेय हेतु अपेक्षित धनराशि हस्तांतरित होगी।

शिक्षा सत्र के मध्य में हटाये जाने वाले शिक्षामित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह उसके विरूद्ध शिक्षा समिति द्वाराउसे हटाये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

7. **शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण:**

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित एवं जिला समिति द्वारा अनुमोदित शिक्षा मित्र को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रशिक्षण प्रदान कियाजायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्र को सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र को शिक्षा कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस प्रशिक्षण अवधि के लिए उसे रू0 2250/- के स्थान पर रू0 500/- का मानदेय देय होगा।

यदि शिक्षा मित्र का अगले शिक्षा सत्र के लिये चयन शिक्षा समिति द्वारा कर लिया जाता है तो उसे आगामी सत्र में 15 दिन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण अवधि में उसे रू0 500/- का मानदेय दिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रशिक्षण अवधियों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उन्हें निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा दी जायेगी।

निर्दिष्ट अर्हता/अभिमानी अर्हता एवं आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में शिक्षण से सम्बन्धित सामाजिक कार्य के लिए अपनी सेवायें सुलभ कराये जाने हेतु निर्दिष्ट-प्रारूप एक में आवेदन पत्र अपनी शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता, आयु एवं जाति सम्बन्धी स्वघोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ उनके द्वारा हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा की अंक तालिकायें तथा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट समयावधि पूरी हो जाने के 10 दिन) तुरन्त बाद आवेदन पत्रों का सम्यक रूप से परीक्षण एवं उन पर विचार हेतु अपनी बैठक आहूत की जायेगी। शिक्षा समिति सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों से उनकी अर्हता/अभिमानी अर्हता तथा आयु के संबंध में सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

शिक्षा मित्र को चिन्हित करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की दो तिहाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।

समिति हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर शिक्षा मित्र के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले क्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा।

विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50 प्रतिशत महिला होंगी। ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो ग्राम पंचायत शिक्षा मित्र के चिन्हांकन के समय परिसीमन के अनुसार जिस रूप में वर्गीकृत हो अर्थात- सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, उस पंचायत की प्रादेशिक सीमा में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय में 'शिक्षा मित्र' के रूप में प्रथम रिक्ति पर परिसीमन के अनुसार यथास्थिति उसी वर्ग के अभ्यर्थी अर्थात सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होगी। निर्दिष्ट मानके के अनुसार सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय में यदि शिक्षा मित्र के रूप में दो अभ्यर्थी चिन्हित होते है तो दूसरी रिक्ति अनारक्षित होगी।

शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट सम्बन्धी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं कियाजायेगा। सम्बन्धियों का तात्पर्य पिता, दादा, स्वसुर (पिता एवं मातृ सम्बन्धी) पुत्र, पौत्र,दामाद, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्री तथा माँ से है।

ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मित्र के रूप में नहीं रखा जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायतित है, की सेवा से पृथक अथवा सेवाच्युत करने का दण्ड दिया गया हो अथवा किसी अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका हो।

शिक्षा समिति उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में अपना समाधान करने एवं संबंधित अभ्यर्थी जिसे शिक्षा मित्र के रूप में समिति द्वारा रखा जाना प्रस्तावित हो, के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन सुनिश्चित करेगी।

शिक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए चिन्हित शिक्षा मित्र को सम्बन्धित विद्यालय में प्राथमिकता के अनुसार उनकी सहमति प्राप्त कर शिक्षण कार्य की अनुमति प्रदान की जायेगी।

प्रारूप-एक

शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा का अवसर दिये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
ग्राम शिक्षा समिति,
ग्राम पंचायत -.....
जिला -.....

महोदय,

ग्राम पंचायत-.....द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षित युवाओं की सामुदायिक सेवा में सहभागिता के लिए शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु दिनांक.....को प्रसारित विज्ञापन के संदर्भ में मै शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा किये जाने हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

मेरे अभ्यर्थन के संबंध में वांछित सूचनायें निम्नवत् है:-

1. नाम
2. पिता/पति का नाम
3. निवास स्थान, ग्राम- ग्राम पंचायत जिला
4. शैक्षिक योग्यता -
   (क) हाई स्कूल - श्रेणी प्राप्तांक
   (ख) इण्टरमीडिएट श्रेणी प्राप्तांक
   (ग) अधिमानी अर्हता-बी0एड0/एल0टी0 श्रेणी प्राप्तांक
5. जन्म तिथि

[(क)(ख)(ग) तथा 5. के संबंध में प्रमाण पत्र/अंक तालिकायें संलग्न है।]

6. जाति-(यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का हो) प्रमाण पत्र सहित उल्लेख।

शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत सामुदायिक सेवा करने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया जाता है तो मुझे योजना के सभी नियम व शर्ते मान्य होगी।

दिनांक-

भवदीय,

नाम/पता:

8. <u>शिक्षा मित्र के कर्तव्य व दायित्व:</u>

शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा और वह समिति के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होगा। किन्तु वह अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक के नियंत्रण एवं मार्ग निर्देशन में करेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय शिक्षा मित्र अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे।

शिक्षा मित्र को अकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी और उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखत: इन केन्द्रों के प्रभारी/समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में अन्य व्यवस्थायें शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 से संलग्न शिक्षा मित्र योजना के अनुरूप प्रभावी होंगी। संदर्भगत शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 को उक्त सीमा तक संशोधित/परिवर्तित समझा जाय।

कृपया तदनुसार शिक्षा मित्र योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

N. Ravi Shanker

(एन0 रविशंकर)
सचिव।

<u>संख्या: व दिनांक तदैव:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उ0प्र0।
4. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 निशातगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार आचार्यो के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आगणन कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. सचिव, उ0प्र0 शासन पंचायती राज विभाग।
6. निदेशक, पंचायत राज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा/उर्दू एवं प्राच्य भाषायें, उ0प्र0, लखनऊ।
10. पंचायती राज अनुभाग-1
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
12. शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से,

(ओ0 डी0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

शिक्षा मित्र द्वारा दिया जाने वाला सहमति पत्र ।

मैं.....आत्मज/पत्नि.....

ग्राम.....पंचायत समिति.....

जिला.....स्वेच्छा से समाजसेवी की हैसियत से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के आधार पर निम्नलिखित शर्तें स्वीकार करता/करती हूँ:

1. मै गांव के विद्यालय मे एक समाज सेवी की हैसियत से शिक्षण कार्य करूँगा/करूँगी। मै एक स्वेच्छिक कार्यकर्ता हूँ एवं अपने आपको राजकीय/परिषदीय कर्मचारी नहीं समझूंगा/समझूंगी। मै इस समाज सेवा के लिए कोई वेतन नही लूंगा/लूंगी, केवल इस निमित्त नियमानुसार देय मानदेय ही प्रतिमाह ग्रहण करूँगा/करूँगी।
2. यदि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत की अपेक्षाओ के अनुसार कार्य नहीं किया जावे अथवा योजना के निर्धारित मानदण्डो पर मै खरा न उतरूँ तो मेरी कार्य करने की दी गयी स्वीकृति रद्द कर दी जावे।
3. मेरा यह समाधान है कि शिक्षा मित्र के रूप मे मेरा यह चयन केवल प्रशिक्षण के लिए किया गया है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद मुझे सर्वथा योग्य पाये जाने पर मुझे शिक्षा मित्र के रूप मे सामुदायिक सेवा करने का अवसर मिल सकेगा।
4. मै ग्राम पंचायत शिक्षा समिति को यह अधिकार देता हूँ कि शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण के दौरान या बाद मेरे विरुद्ध कोई शिकायत या प्रतिकूल तथ्य प्रमाणित होते है तो मै शिक्षा मित्र के रूप मे कार्य करने के लिए अयोग्य समझा जाऊँगा।
5. योजना नियमांतर्गत अथवा जनहित मे पंचायत द्वारा दिये गये निर्णयों का सम्मान करूँगा/करूँगी और स्वार्थवश कोई उज्रदारी नहीं करूँगा/करूँगी।
6. मेरे द्वारा दी गयी सूचना/सूचनाये तथ्यहीन या असत्य पायी जायें तो उनकी तथ्यता प्रकाश मे आने के तुरन्त बाद बिना नोटिस के शिक्षा मित्र के रूप मे कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा रद्द कर दी जावे।
7. यदि मेरे प्रति ग्राम समुदाय मे विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो मुझे हटा दिया जावे।
8. शिक्षा सत्र के मध्य अथवा अंत मे मेरे कार्य के मूल्यांकन मे यदि मै सफल नहीं हुआ/हुई तो मुझे कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा निरस्त कर दी जावे।

दिनांक

हस्ताक्षर शिक्षा मित्र

हस्ताक्षर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यगण।

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक:रा0प0नि0/ 539 /2001-2002

लखनऊ, दिनांक 7 जून, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन उच्चाधिकार प्राप्त समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है :-

(1)	प्रमुख सचिव, शिक्षा	अध्यक्ष
(2)	सचिव, बेसिक शिक्षा	उपाध्यक्ष
(3)	प्रमुख सचिव, नियोजन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(5)	राज्य परियोजना निदेशक	सदस्य
(6)	निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा	सदस्य-सचिव
(7)	निदेशक, बेसिक शिक्षा	सदस्य
(8)	निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0	सदस्य
(9)	भारत सरकार द्वारा नामित एक सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(10)	भारत सरकार द्वारा नामित एक गैर सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(11)	सचिव, श्रम विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(12)	राज्य नगरीय विकास अभिकरण का निदेशक	सदस्य
(13)	सचिव, स्वास्थ्य विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(14)	निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना	सदस्य
(15)	निदेशक, साइमेट, इलाहाबाद	सदस्य
(16)	निदेशक, एस0आई0ई0टी0, लखनऊ	सदस्य

(17)	निदेशक, महिला समाख्या	सदस्य
(18)	सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम के न हो।	सदस्य
(19)	प्रमुख सचिव (शिक्षा) द्वारा नामांकित चार गैर सरकारी प्रतिनिधि, जिसमें से एक महिला, एक अनुसूचित जाति, एक पिछड़ी जाति तथा एक अल्प संख्यक वर्ग का प्रतिनिधि अवश्य हो।	सदस्य

शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उक्त समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों का वहन करेगी :-

- शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों की क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति यथापेक्षा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य व्यक्तियों को समिति के सदस्य के रूप में नामित करने के लिए अधिकृत होगी।
- इस समिति को अपने सदस्यों के मध्य में समितियों/उपसमितियों के गठन तथा किसी व्यक्ति विशेष को समितियों/उपसमितियों पर कार्य करने के लिए "कोआप्ट" करने के लिए अधिकृत होगी।
- यह समिति ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तर पर चिन्हित स्टेट सोसाइटी– "सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद" के लिए प्रदेश में योजना बनाने और उसे लागू करने प्रबन्धकीय और वित्तीय दृष्टिकोण से प्रदेश में योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- इस समिति में "शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों" के उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रगति और कार्यक्रमों को सुदृढ करने हेतु आवश्यक एवं समीचीन कार्यों के निष्पादन की शक्ति निहित होगी और समिति इन कार्यों को करेगी अथवा सदस्यों के माध्यम से करायेगी।
- योजना से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मियों की व्यवस्था नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति या सेकेन्डमेन्ट के आधार पर "स्टेट सोसाइटी" के निर्देशन में व्यवस्था करायेगी।
- राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से यह समिति योजना से सम्बन्धित नियमों/विनियमों तथा यथासंभव उसके आवश्यक संशोधन प्रस्तावित कर सकेगी।
- स्टेट सोसाइटी के लिए योजना के कुल व्यय का 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार से तथा 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार से प्राप्त करेगी तथा उसे सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा एजेन्सियों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगी।
- समिति का अलग से लेखा होगा और बैंक में अलग से खाता खोला जायेगा, जिसके लेखे का प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण कराया जायेगा।

.....3/-

- योजना की शुरूआत में प्रदेश के जनपदों में स्कूल मैपिंग/माइक्रो-प्लानिंग/कैपेसिटी बिल्डिंग के अभ्यास के बाद योजना से सम्बन्धित प्रस्तावों को जनपदों से प्राप्त करेगी। इन प्रस्तावों को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी।
- वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिज कोर्स के संचालन सम्बन्धी संकलित प्रस्तावों को साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त करेगी।
- समिति शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा से सम्बन्धित उन्हीं प्रस्तावों को विचार-विमर्श हेतु स्वीकार करेगी, जिन प्रस्तावों के साथ समुदाय की ओर से मांग की स्पष्ट अभिव्यक्ति परिलक्षित हो रही हो।
- स्वैच्छिक संगठनों का योजना में सहयोग प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त करने और उन आवेदन पत्रों का वास्तविक मूल्यांकन कर उपयुक्त स्वयं सेवी संगठनों का अनुदान जारी करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करेगी तथा अनुदान स्वीकृति प्रदान करेगी।।
- समिति प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लागू किये गये शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों हेतु एक मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित कर कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करेगी।
- कार्यक्रमों के अनुश्रवण में विभिन्न समितियों के साथ-साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से भी सहयोग प्राप्त करेगी।।
- अपेक्षित स्तर तक कार्य करने में स्वयं सेवी संगठन यदि चेतावनी के बाद भी अपने कार्य में सुधार नहीं लाते हैं, तो उन्हें "काली सूची" में दर्ज करते हुये ऐसे संगठनों के विरूद्ध समिति विस्तृत अनुसंशाएं प्रस्तावित करेगी।
- समिति योजनान्तर्गत कार्यक्रमों के संचालन हेत अनुदेशक मनोनयन, उनके प्रशिक्षण, केन्द्र/कोर्स हेतु पाठ्य-पुस्तक की व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करेगी।
- इस योजना में विभिन्न स्तरों पर संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों/कार्यकर्ताओं के लिए समय-समय पर अभिनवीकरण प्रशिक्षण/कार्यशालाएं भी आयोजित करायेगी।
- यह समिति विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं (बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा) का ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कनवर्जेन्स एवं कोऑर्डिनेशन का लगातार अनुश्रवण करेगी।

.....4/-

* यह समिति प्रदेश में संचालन किये जाने वाले शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार करायेगी। समिति वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान करेगी तथा उसके बजट को भी अनुमोदित करेगी।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 539 /2001-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(6) शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ।
(7) निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(8) संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
(9) सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
(11) निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना, लखनऊ।
(12) निदेशक, साइमेट, एलेनगंज, इलाहाबाद।
(13) निदेशक, एस0आई0ई0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(14) निदेशक, महिला समाख्या, पत्रकारपुरम, गोमतीनगर, लखनऊ।
(15) सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक:-रा0प0नि0/ 466 /2001-2002

लखनऊ, दिनांक: 15 जून, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। जनपद सतर पर एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन का कार्य उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन कार्यालय ज्ञाप सं0:542/1996-97 दिनांक 17.06.96 द्वारा पूर्व से गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत है :

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	अध्यक्ष, जिला परिषद का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	अनु0 जाति/अनु0जनजाति के दो ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
5.	दो महिला ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
6.	महापालिका अध्यक्ष का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7.	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो शिक्षाविद्	सदस्य
8.	शिक्षण संस्थाओं से एक सदस्य	सदस्य
9.	एक शिक्षक प्रतिनिधि	सदस्य
10.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
11.	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य
12.	जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0)	सदस्य
13.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
14.	लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
14.	समन्वयक महिला समाख्या	सदस्य
15.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

.....2/-

परियोजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त एजूकेशन गारण्टी स्कीम/वैकल्पिक एवं नावचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन के सम्बन्ध में जिला शिक्षा परियोजना समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों को वहन करेंगी :-

(1) जनपद में संचालित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, मार्गदर्शन एवं समीक्षा का कार्य यह समिति करेगी।

(2) योजना हेतु माइक्रोप्लानिंग के आधार पर तैयार किये गये प्रस्तावों को प्राप्त करेगी। उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों से भी प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे।

(3) शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिजकोर्स से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर उसे साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति को विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

(4) राज्य स्तरीय समिति/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करायेगी।

(5) यह समिति जनपद के लिए प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करते हुए वार्षिक कार्ययोजना बजट प्रस्तावों के साथ तैयार करेगी और उसे राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुमोदन समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति जनपद स्तर पर सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ कनवर्जेन्स कर कार्यक्रमों को संचालित करेगी।

(7) समिति जनपद से निम्न स्तरों (विकास खण्ड स्तर/ग्राम स्तर) पर विभिन्न विभागों के साथ-साथ ही स्वयं सेवी संगठनों के साथ समन्वयन सुनिश्चित करेगी।

(8) समिति सभी स्तरों पर गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के आयोजन की व्यवस्था करायेगी।

(9) समिति शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एक अलग से लेखा रखेगी, जिसका राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से खाता रखा जायेगा, जिसका प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराया जायेगा।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

.....3/-

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 466 /2001-2002 तद्दिनांक

<u>प्रतिलिपि:-</u>

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(4) जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, उत्तर प्रदेश।
(5) मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) अध्यक्ष, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश।
(7) अध्यक्ष, महापालिका, उत्तर प्रदेश।
(8) जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(9) जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) जिला कार्यक्रमअधिकारी, आई0सी0डी0एस0, उत्तर प्रदेश।
(11) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
(12) अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
(13) समन्वयक, महिला समाख्या।
(14) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(15) शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक) एवं निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियाजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज,
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश शासन

[illegible] अनुभाग-2

संख्या-2000/[illegible]-2-2000-2/13191/93

लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2000

कार्यालय ज्ञाप

राज्य सहायतित परियोजना की सहायता से संचालित "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) के द्वारा अर्ली चाईल्ड केयर एण्ड एजुकेशन (ई०सी०सी०ई०) केन्द्रों को बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित करने के उद्देश्य से प्रदेश में, अनुलग्नक-1 में उल्लिखित जनपदों में एक प्रशासनिक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

(1)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई०सी०डी०एस०	सदस्य
(3)	सम्बन्धित विकास खण्ड के प्रति उपविद्यालय निरीक्षक	सदस्य
(4)	सम्बन्धित विकासखण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई०सी०डी०एस०	सदस्य/सचिव
(5)	सम्बन्धित न्याय पंचायत केन्द्रों के प्रभारी	सदस्य
(6)	जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा	सदस्य

2. उपरोक्त योजना का मूल उद्देश्य यह है कि अपने घर पर छोटे भाई/बहनों की देखभाल करने के कारण स्कूल शिक्षा से वंचित रहने वाली बालिकाओं को स्कूल शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसी बालिकाएं समीपवर्ती स्कूलों में दाखिला लें तथा उनके छोटे भाई/बहनों की देखरेख, स्थापित किए जाने वाले, ई०सी०सी०ई० केन्द्रों में की जाए। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में यह योजना संचालित की जायेगी, उनके खुलने तथा बन्द होने का समय वही होगा जो वहां के स्कूल खुलने और बन्द होने का समय होगा।

3. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ई०सी०सी०ई० केन्द्र का संचालन करेगी और उसकी केन्द्र सहायिका, ई०सी०सी०ई० केन्द्र में भी सहायिका का कार्य करेगी। अर्थात् दोनों केन्द्र समन्वित रूप से संचालित होंगे। चूंकि उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त समय तक कार्य करना पड़ेगा अतः उनके इस बढ़े हुए कार्य के सम्पादन हेतु निम्नवत् अतिरिक्त मानदेय के रूप में स्वीकृत की जायेगी :-

1- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रु0 250/-

2- [illegible] रु0 125/-

जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम [illegible]

(डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत चलाये जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन होगा, वहाँ भी कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जायेगी । उपरोक्तवत् आवंटित मानदेय धनराशि ग्राम पंचायत के ग्राम शिक्षा निधि में हस्तान्तरित की जायेगी । प्रस्तर-1 में गठित समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिमाह मानदेय नियमित रूप से ग्राम निधि के माध्यम से ई०सी०सी०ई० कार्यकत्रियों को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं ।

5- परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को रु०5000/- की धनराशि अनावर्तक अनुदान के रूप में तथा रु०1500/- की धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी । जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण प्रस्तावित / निर्माणाधीन है, वहाँ यदि शैक्षिक उपकरण पूर्व में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो अनावर्तक अनुदान के रूप में प्राप्त रु०5000/= की धनराशि बच्चों हेतु स्थानीय रूप से निर्माण में व्यय की जा सकती है । शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के अनावर्तक अनुदान से क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार दरी, बच्चों के खिलौने, शैक्षिक उपकरण व साज-सज्जा आदि पर प्रस्तर-1 में गठित समिति के अनुमोदन से व्यय की जायेगी । आवर्तक अनुदान का व्यय स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सामग्री ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदन से क्रय की जायेगी । अतः रु०5000/= की धनराशि अनावर्तक अनुदान भी ग्राम निधि में स्थानान्तरण की जायेगी ।

6- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का यह दायित्व होगा कि उनके आंगनबाड़ी केन्द्र पर संचालित किए जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन समुचित तरीके से हो तथा ई०सी०सी०ई० केन्द्र में आने वाले बच्चों का नाम से लेखा-जोखा रखा जाए ।

7- प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर फलदार पेड़ जैसे केला, नीबू, अमरूद तथा पपीता के पेड़ लगाना अनिवार्य होगा । इन पेड़ों की देखभाल करने पर आने वाला व्यय प्रस्तर-5 में वर्णित अनुदान से वहन किया जायेगा । प्रत्येक का यह दायित्व होगा कि वह आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी केन्द्र के आकार पर अधिक से अधिक इन पेड़ों को लगाए क्योंकि इन पेड़ों के फलों से लाभार्थियों को प्राकृतिक रूप में अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध हो सकेगा ।

.........3

8- उपरोक्त निर्दिष्ट [illegible] अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जिले में इस योजना के संचालन हेतु समुचित पर्यवेक्षण करें और अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। योजना के पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित जिला [illegible] तथा जिला परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

ललित श्रीवास्तव
सचिव।

संख्या-2000(1)/60-2-2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, निशातगंज, लखनऊ।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4- सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी।
5- सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक।

आज्ञा से,

(राम बहादुर सिंह)
उपसचिव।

क्र०सं०	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम संख्या	
1	2	3	4	5
1-	देवरिया	दरहृ	35	तलरही, टीता, मंझिल, सकुरा गरिम, बैरा, रामपुर, हाकाल, हथावार, करसहाँ, सुसरहा, असरदार, हरकोटा, कोटवा, परसिया, समोहर, शीहई, इनावरवा, स्वामल उपरवार, तवकली गंभी, हरकही, गंगावल, करावनहुसल, कहेसर, अबनगर, दरिजिरा, इस्स, मिर्जापुर, मकुनापरा, कोरी, महेश, नारित ।।।, पयोहा, देवपार, कोहुआ, कारिया बुजुर्ग, इसरामोहा, मिर्जापुर, लक्ष्मीपुर, ईश्वर नवकरी ।
		रुद्रपुर	18	महुआ, पकड़ियार, गविलरपुर, बहुआगर, रामपाल, कहोली, केलाटिया, सरोलिया, कुमरिहा, गछिया, तिवारी, वनकट, जगताराग, गडियारी, सरायकुई, रमईपुर, शीतलमाझा, तारापारा, मुरहा ।
		सलेमपुर	10	बेरा।।।, अवलपुर, गौरीपुर, देवरिया रामपुर, हरफकौर, अतरौली, वभरा गोपाई, शांदवलिया, रिव डावमाली, गलकोली ।
		बैतालपुर	12	सुन्दरपुर, जगदीशपुर, पैकड़िया, गोविन्दपुर, पाण्डेयपुर, करमेल पजरही, बहोरिपुर, सरारी।परपारा, जोकहाडीह, बेलई, प्रतवा, गहराजगंज, ईटवा ।
2-	सोनभद्र	घोरावल	67	कनहारी, परसौना, करसोता, पुरवा, मयफा, सौगई, रमवा, देवगढ़, माधिकडा, शिवद्वार, कोडर, पिपरैड़ी -।, खिरौली, पटपलिया, मरपहा, कुरेड, अटरौरा, मोरिठार, रछोली, पिपरवार, घोरावल, पिपरहरी -।, कसोठी-।, गौरी, देवरी, सिरसाई, ससरदेवा, ओनिश, रामगोकर, दुरहनी, मिलहार, दुरगहल-।, मिसीरो, मकरवारा, सुगोमाग, कुसारी, सिहि, बेलवा, महुआ, पाण्डेय, कोनशिक, सिरौली, प्रोटार, बरसोता, पिडरिया, शीलगढ़ार, कोनरिया, बैठा-।, कुलारमा-।, पाण्डेयपोर, कुआ, धरसोल, [illegible]

	दुद्धी	44	डोडर, रजखड़, कुम्हडार, महुअरया, गुलालझरिया, धौरा, झारोकला, कटौली, झारोखुर्द, पिपराही, महुली, रजनी, मरहेवा, पटना, जुगरी, देहा, दोहर, हथवां, झखवार, सिलियाडीह, पिपरडीह, नादहुर, हरनरा, महली, दारिहा, मडोरागर, सलैयाडीह, टरती, कोलदा, कुस्वेलवा, चौलिकहवा, जालापुरा, देवास रज रजखड़-।।, कुम्हडार-।।, हथनाली, बराट धौर । चपला, कटौली, धौरा, महुआरिया, कुमरडीहा, अंपर, दोहर । कुमरडीहा ।
3- ललितपुर	मड़ावरा	16	रनगांव, गुरयाना, बेरपारा, मड़ावरा, अर्जुनखिरिया, गोना, भोना, रजपारा, झकोना, अलंदर, पहाड़ीआ, टोलदा, चौरीसागर, पमराया, उत्पनाखुर्द, डोमरा
	बिरधा	04	पालाबेहट, बुजाइरा, पटोबरा, चौरी ।
	बार	25	पारोज, टोडी, बेतगवां, बरावली, गोगाद, बार, बजर, देपरान, पिंगझाआ, नानपुर, डगरासा, कारीटोरन, कैलीतोप, जैदोरा, ब्लवारा, दबबा, भड़रारा, भारोली, बनारा, हीरापुर, सिलवा, करवई, खिरारा, देवारा, सावली ।
	जखौरा	03	चितरा, सिवनीखुर्द, बमराना ।
	महरौनी	03	पठा, कम्हेड़ी, बेसारा ।
	तालबेहट	24	करेला, पजंगबस्ता, सिजरोठा, गोलाइ, रूपांव, मऊ, कोटरा, उदगुंदा, सिजवांपुरा, पुराकला, पुरावली, झरेरा, कडेसराला, तेरवालकला, सिजरोठा, सिहारीपुरा, राजीपुरा, भावनी, बड़ेसरा, इस्टोरा, ककड़ारी, रमपुरा, बनारी, चांसा, रजावन ।
4- बदायूं	वजीरगंज	25	रोठा, बोमिलता, ग्वोई-भोटा, चलिता-दानपुर, सिखड़वा, पेंपल, परेव, जागी हरनाथपुर, सईमुर, सिहौली गंज, रहोडिया, उरैना, हरनाटपुर, दोरमपुर, हड़पुरा, भीरापुर, चिकजरी, नाकरपुर, कौर, ह लाटा, अववारी, इतरा, मसिलबोटिया, सिंहरा, बलोटा महरमपुर ।

	[illegible]	25	गुरुदत्तनगर, कुंवराली, सिकोली, तैसपुर, अलीहपुर, नैसर-[illegible] [illegible] अजलपुर, [illegible]-नरेश, हरारी, पुरा [illegible], [illegible] पूरा, मदोई, नरेहा, रघुनाथपुर, रामपुर, [illegible] धनरपुरा, सागीपुर, भीमरपुर नहरोली, सिकरपुरा, उदयपुर, करियागई, अगमीपरी ।
5- महराजगंज	पचिहरा	11	डोभरा, पचिहरा-2, अजलपुर, भिकोरा, मड़िहा धातरी, नोहरा, देवीपुर, मधुबना, वोरहा, सोहरनाथ तिवारी, हंसौरी ।
	महराजगंज	15	रामपुरवा, इुलवारिया, मरवा मस्जिद, तुलसीपुर, सपहा, मधुबना, लालगार, गैसौली, मटिहा सिपाहीहरी, लोहारखड़ा, सिमरा बसीम, देवीपुरा, पुषिना तिवारी, ललगारिया, कुरहा, संगमपरपड़री ।
	सिसवा तिं	10	पिपुराहरा, महुआ रसूला, नगला, देवरिया, लक्ष्मीपुर, पिपरा भारी, भैंसहिया, सुरहिया, गाढी, हरगांवा
	फरेन्दा	40	अमहट, तेवार-महुलेवा, बाना रोड, गहूर, डोडपुर, बिरनाथनगर, महुराजनगर, सेमरी, महुलेवा मुसी, तोहरसिया, भैरमपुर, कुई, महुआदमहुई, फरेन्दा कुर्रा, जंगलसो सिपाहीरी, गोपालपुर पिपरा पिपरफरसपुर, कन्हौरिया डुई, टेटसिया पंचेहीत, बेसरा महराज, कटपारहुरी, सिसवनिया, पोखर भिंडा, भधिकोरा, तारही, पिपरीगुलो, रसलपुरकुई, परसपेसी, गढ़हरा कहह, भूभाहसागर, परसिया, अवितपुर, बजरही, मुरझरपुर, महरेवा पड़हरा देवीपाटन, वरागहवागुरुई, डडवारगुरुई । पंचरुखी, हरपुर, फरेन्दागुरुई, रामनगर, दरसियाहुई।
6- शाहजहाँपुर दुदायाँ		2I	बाखिल, बगोड़ा, हरदयालपुरा, ऐवा, श्री गणेशपुर, मझारपुर, मेहटा, अठेवा, रतनपुरखण्डा, डड़िया बेरम, डुंबरपुर, मझी हितीय, मझीग्राम, बखेरा, सिसहरपुर, एंडा, मुबीनपुर, बरखेड़ा, रूपपुरयादव, बारा, मनीरापुर, बंजीसिया, फतेपुर भिलोरा ।
	शायलखेड़ा	2I	अजुण, हरदयाँ, कटिया, कम्भु, बादशाहनगर, कुतबपुर, बुढ़ौ, देवराम, हमीड़ा, सिहरा, करेम, पतियाही, ददऊ, रोशरकोठी, बखेरा, शायलखेड़ा, हेटोरिया, अऊ कासदा, नखतारा, मझौली, इनमिटारा, सिलाहापुर अहदर ।

…….4

7-	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	49	[illegible], रसूलपुर, नगला [illegible], सिरसगंज, [illegible], हरोली, हटौली, [illegible]पुर, मोहम्मदाबाद, डाढ़ियी, [illegible], [illegible], हरगनपुर, [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], चितावली, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible]।
		टूण्डला	41	[illegible]पुर, टूण्डला [illegible], टूण्डला [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], टूण्डली, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुरा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], देवखेड़ा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible]।
8-	[illegible]	[illegible]	26	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]।
		[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-1, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible],

				[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], पुरी, ओसिया, असहिता । अमेठी ।
–	मुरादाबाद	मुरादाबाद	16	मनोहरपुर, [illegible], पाकबाड़ा, [illegible], [illegible], होलीपुर, रामपुर, सिकन्दर, देवापुर, [illegible], ढेरवा लालपुर, [illegible], रघुपुर, [illegible], दौलतपुर, [illegible], जिलानीपुर, [illegible], रामपुर, [illegible], पाकबाड़ा ।
		बिलारी	09	मकूला, रतनपुर, [illegible], [illegible], [illegible], काजी, राजा का सहसपुर, [illegible], गैहरा, [illegible] ।
		कुन्दरकी	15	पितपुर, [illegible], [illegible], हाजीपुर [illegible], चांदपुर [illegible], [illegible], हरियाना, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
10–	गोण्डा	पण्डरी कृपाल	25	पटकी ठाकुर, [illegible], [illegible], [illegible], रामपुर [illegible], [illegible] द्वितीय, शेखपुर, बिबरा, [illegible], [illegible], [illegible], मिश्रपुर, [illegible], [illegible], बिशिसा, [illegible] द्वितीय, [illegible], बिलगांव, [illegible], [illegible], [illegible], वीरपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], गलारी ।
11–	हरदोई	बावन	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]–।।, [illegible], [illegible]–।, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]–।, [illegible], [illegible]–।, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]–।, [illegible], [illegible] ।
		कोथावां	22	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], देव, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]–।।, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।

12- बरेली बरेली शहर 124 [illegible], [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-III, [illegible], [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-III, [illegible]-III, [illegible]-III, [illegible]-III, [illegible]-III, [illegible]-III, [illegible]-III, [illegible]-II, [illegible], [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-6, [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-6, [illegible]-7, [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-6, [illegible]-7, [illegible]-4, [illegible]-II, [illegible]-III, [illegible]-4, [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-4 ।

13- पीलीभीत [illegible] 25 [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।

....

	[illegible]पुर	25	[illegible], [illegible] ।
	[illegible]	25	[illegible], [illegible] ।
14-	सि[illegible]नगर	[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर-[illegible]नगर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible]-1, [illegible]-2, [illegible], [illegible] ।
	डुमरियागंज	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, रेहरा, [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible] ।
	[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible]पुर ।
15-	[illegible]नगर	[illegible]	22	[illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible] ।

......

डी0पी0ई0पी0-III जनपदों की सूची

क्रमांक	जनपद का नाम
1.	उन्नाव
2.	रायबरेली
3.	कानपुर देहात
4.	फर्रुखाबाद
5.	कन्नौज
6.	मैनपुरी
7.	एटा
8.	आगरा
9.	मथुरा
10.	मेरठ
11.	बागपत
12.	बुलन्दशहर
13.	गाजियाबाद
14.	गौतमबुद्ध नगर
15.	कुशीनगर
16.	झांसी
16.	जालौन
18.	फैजाबाद
19.	अम्बेडकर नगर
20.	सुल्तानपुर
21.	आजमगढ़
22.	बलिया
23.	मऊ
24.	जौनपुर
25.	गाजीपुर
26.	मिर्जापुर
27.	प्रतापगढ़
28.	फतेहपुर
29.	हमीरपुर
30.	महोबा
31.	मुजफ्फरनगर
32.	हरिद्वार
33.	बिजनौर
34.	बागेश्वर
35.	पिथौरागढ़
36.	चम्पावत
37.	उत्तरकाशी
38.	टिहरी
39.	रामपुर
40.	बाराबंकी
41.	बहराइच
42.	श्रावस्ती
43.	बलरामपुर

उ0प्र0 राज्य के लिए शिक्षा परियोजना [बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद]

1. वाराणसी
2. भदोही
3. गोरखपुर
4. इलाहाबाद
5. बांदा
6. इटावा
7. सीतापुर
8. अलीगढ़
9. सहारनपुर
10. पौड़ी
11. नैनीताल
12. ऊधम सिंह नगर
13. कौशाम्बी
14. औरैया
15. हाथरस
16. चन्दौली
17. चित्रकूट

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम [डी0पी0ई0पी0 जनपद]

1. महाराजगंज
2. सिद्धार्थनगर
3. गोण्डा
4. बदायूं
5. लखीमपुर खीरी
6. ललितपुर
7. पीलीभीत
8. बस्ती
9. मुरादाबाद
10. शाहजहाँपुर
11. सोनभद्र
12. देवरिया
13. हरदोई
14. बरेली
15. फिरोजाबाद
16. बलरामपुर
17. ज्योतिबाफुले नगर
18. संत कबीर नगर

विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट

जनपद का नाम:............ रिपोर्टिंग माह ....

क्र0 सं0	संबंधित स्वा0 केन्द्र का नाम	विद्यालय का नाम	स्वास्थ्य परीक्षण की तिथि	कुल छात्रों की संख्या जिनका परीक्षण किया गया	छात्रों की संख्या जिनको विद्यालय में ही उपचार दिया गया	छात्रों की संख्या जिन्हें संदर्भित किया गया			सा0स्वा0 केन्द्रों में विकलांगों की परीक्षण तिथि	प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्रों की संख्या			अन्य विवरण
						गंभीर	कम गंभीर	साधारण		मूक	चक्षु दोष	बुद्धिदोष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

विद्यालय गुणवत्ता निष्पादन (परफारमेन्स) के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण हेतु

चेक बिन्दु

कुल अंक – 50

विद्यालय एवं कक्षा–कक्षों का भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण

भाग – एक

कुल अंक – 9

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
1	विद्यालय भवन / कक्षा–कक्षों की रंगाई, पुताई, सफाई	1	• वर्षवार प्राप्त विद्यालय अनुदान का प्रयोग – रंगाई, पुताई, टाट पट्टियाँ, प्लास्टिक की चटाई, अध्यापक की कुर्सियाँ, सनमाइका टाप टेबल, विकलांग बच्चों के लिए रेम्प, खेल--कूद का सामान तथा अन्य कार्य
2	शौचालय का रखरखाव / प्रयोग	1	• क्या शौचालय का प्रयोग हो रहा है? • क्या शौचालय स्वच्छ हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
3	पीने के पानी की व्यवस्था / हैण्ड पम्प का रखरखाव	1	• क्या हैण्ड पम्प सही स्थिति में है? • हैण्ड पम्प प्रयोग हो रहा है? • उसके चारों ओर स्वच्छता है? सीमेन्ट का चबूतरा बना है? पानी निकास की व्यवस्था है?
4	विद्यालय अभिलेख का रखरखाव	1	• बालगणना पंजिका • उपस्थिति पंजिका • पुस्तक वितरण / बुक बैंक पंजिका • अन्य प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, खाद्यान्न वितरण • ग्राम शिक्षा योजना अद्यतन स्थिति • स्वास्थ्य कार्ड एवं स्वास्थ्य परीक्षण की अद्यतन स्थिति • छात्रों के मूल्यांकन कार्ड एवं अद्यतन स्थिति • ग्राम शिक्षा समिति बैठक / कार्यवाही पंजिका • माता शिक्षक / अभिभावक शिक्षक बैठक / कार्यवाही पंजिका

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
5	विद्यालय–वाह्य भीति की साज–सज्जा	1	• सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ों की तालिका • शैक्षिक मानचित्रण • विद्यालयों को प्राप्त अनुदान / धनराशि एवं व्यय का वर्षवार विवरण, (भवन निर्माण, मरम्मत, टी०एल०एम० अनुदान, विद्यालय सुधार अनुदान) • विद्यालय सूचना पट्ट • खुले प्रांगणीय कक्षा हेतु श्यामपट्ट (बाह्य दीवार पर)
6	कक्षा–कक्षों में श्यामपट्ट एवं छात्रों के प्रयोगार्थ तीन फीट की पट्टी की उपलब्धता	1	• क्या प्रत्येक कक्षा कक्ष में दो कक्षाओं के लिए दो दीवारों पर दो श्यामपट्ट उपलब्ध हैं? • छात्रों के प्रयोगार्थ कक्षा के चारों ओर तीन फीट की हरी पट्टी उपलब्ध है? बच्चों के द्वारा उसे प्रयोग में लाया जाता है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
7	कक्षा–कक्षों में लर्निंग कार्नर की स्थापना	1	• शिक्षण अधिगम सामग्री • अनुपूरक शिक्षण सामग्री • मानचित्र / ग्लोब इत्यादि
8	छात्रों के बैठने की व्यवस्था	1	• पर्याप्त प्लास्टिक चटाइयों / टाट पट्टियों की व्यवस्था है या नहीं • बालिकाओं एवं बालकों की मिश्रित बैठने की व्यवस्था • क्या बच्चे पंक्तिबद्धए अर्धचन्द्राकार, गोले में या अन्य अन्य किसी गैर परम्परागत विन्यास में बैठकर कार्य करते हैं? • क्या सभी बच्चों के पास अभ्यास / गतिविधियां करने के लिए पर्याप्त स्थान है? • पर्याप्त प्रकाश / व्यवस्था है या नहीं?
9	बच्चों की स्वच्छता	1	• क्या बच्चे साफ–सुथरे हैं? उनके बाल कढ़े हुए हैं? • क्या उनके कपड़े साफ–सुथरे हैं?

शिक्षक एवं शिक्षण / अधिगम संबधी

भाग – दो

कुल अंक – 29

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
9	शिक्षक का व्यक्तित्व	1	• वेशभूषा, साफ सुथरी • संयत एवं मुस्कुराहट • प्रसन्नचित्त, मृदुस्वभाव, सगयबद्धता • शिष्ट एवं अनुशासित आचरण
10	शिक्षक की भाषा एवं सम्प्रेषण क्षमता	3	• स्थानीय भाषा का प्रयोग करता है। • शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करता है। • उसकी बात / भाषा, कक्षा के सभी बच्चों को समझ में आती है। • बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से सम्बोधित करता है।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
11	अध्यापक का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण	1	• मित्रवत् – स्नेहपूर्ण • सकारात्मक • बालिकाओं एवं बालकों के प्रति समान भाव रखता हो। • अध्यापकों का व्यवहार छात्रों को प्रोत्साहन देता है या नकारात्मक शब्दों से उन्हें हतोत्साहित करता है। • बच्चों की शैक्षिक प्रगति के प्रति सचेत/प्रयासरत रहता है या नहीं।
12	सभी बच्चों तथा शिक्षक के पास अपनी पाठ्य पुस्तकें तथा अनुपूरक साहित्य उपलब्ध हैं?	1	• शिक्षक के द्वारा T.L.M. अनुदान से स्वयं के लिए पुस्तकें क्रय की गई है या नहीं। • बालिकाओं एवं अनु०जाति के लड़कों को पुस्तक समय से उपलब्ध हुई या नहीं। • अन्य आर्थिक रुप से कमजोर बच्चों को बुक बैंक से पुस्तकें उपलब्ध करायी गई या नही।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
13	विद्यालय अनुशासन	1	• क्या विद्यालय समय से खुलता है? • बच्चों की एसेम्बली (प्रार्थना सभा) होती है? • बच्चे विद्यालय तथा कक्षाओं में अनुशासित हैं?
14	• कक्षावार समय सारिणी की उपलब्धता • पाठ्यक्रत की उपलब्धता • समयबद्ध शैक्षिक इकाईयों के अनुसार पढ़ाई की जा रही है या नहीं?	3	• समय सारिणी का अनुपालन करना • समयबद्ध रूप से शैक्षिक इकाईयों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। • पूर्व में पढ़ाई गई इकाईयों पर पुनरावृत्ति करायी जाती है या नहीं।
15	शिक्षक संदर्शिका के आधार पर शिक्षक के द्वारा T.L.M. एवं वतिविधियों की अन्य आवश्यक तैयारी की है या नहीं।	3	• नवीन इकाई/विषय वस्तु के लिए पाठ योजना बनाकर तैयारी करता है या नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
16	क्या शिक्षक बच्चे पाठ / विषय के अनुसार शिक्षक अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग करते हैं।	2	• क्या विषय वार, पाठ वार शिक्षण अधिगम सामग्री की समझ अध्याापक को है? एवं इसका आवश्यकतानुसार विकास किया जा रहा है? • स्थानीय सामग्री का प्रयोग शिक्षक अधिगम सामग्री के रूप में तथा इसके निर्माण में किया जाता है?
17	क्या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में गतिविधियाँ कराई जा रही हैं?	1	• बच्चों को करके सीखने में अध्यापक मदद करता है? • क्या बच्चे स्वयं गतिविधियाँ करते हैं?
18	क्या अध्यापक कक्षा गतिविधियों में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराता है।	3	• क्या बालिकाओं और कमजोर बच्चों को अभिव्यक्ति एवं गतिविधि करने का समान अवसर दे रहा है। • कुछ बच्चे गतिविधि करें तथा कुछ निष्क्रिय, उपेक्षित हों ऐसा तो नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
19	कक्षा के समस्त बच्चे क्रियाशील हैं?	3	• क्या बच्चों से वाचन/लेखन कार्य कराया जाता है? • क्या बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं? • क्या बच्चे गतिविधि करके सीख रहे हैं? • क्या बच्चे समूह में एक दूसरे से सीख रहे हैं। • क्या बच्चे एकाग्रचित्त हो कर अपना अभ्यास कार्य कर रहे हैं? • क्या अध्यापक के द्वारा विभिन्न प्रत्ययों के स्पष्टीकरण के समय बच्चे सचेत होकर ध्यान दे रहें हैं? • क्या बच्चे गणित के प्रश्न अथवा अन्य लेखन कार्य एकाग्रता से कर रहे हैं? • क्या बच्चे श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
20	पाठ्य पुस्तक में दिये गये अभ्यास कार्य नियमित रूप से पूर्ण किये जा रहे है या नहीं।	3	• पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के उपरान्त दिए अभ्यास कार्यों को किया जा रहा है? • प्रत्येक इकाई के उपरान्त दिए गए अभ्यास एवं मुल्यांकन • कक्षा कार्यों की जांच एवं उसके सुधार का अवसर दिया गया?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
21	क्या अध्यापक पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराता है?	1	• पाठ्य सहगामी क्रियाओं में लड़कियों की सहभागिता है या नहीं? • क्या बच्चे स्वतंत्र रूप से पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों, क्रियाओं, अनुशासन, पुस्तकालय आदि का संचालन करते हैं तथा इसके लिए उनकी समितियाँ बनी हैं? • ड्राइंग, क्राफ्ट को सप्ताह में कितने दिन तथा कितने घण्टे समय दिया? • खेल–कूद/पी०टी० को सप्ताह में कितना समय मिलता है? • स्कूल में 3 माह में कितनी बार तथा किस प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई? • पुस्तकालय की पुस्तकों को पढ़ने के लिए कितना समय दिया गया है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
22	क्या विद्यालय में विद्यालयी सरकार बनी है।	1	• क्या बालिकाओं को उक्त समितियों में बराबर का भागीदार बनाया गया है? • क्या बच्चों की सरकार विद्यालय संचालन में सहयोग करती है? (पुस्तक वितरण, पर्व–उत्सव, बाल मेले, प्रतियोगिताएं, मूल्यांकन, शिक्षण, उपस्थिति सुनिश्चित कराना, दीवार समाचार–पत्र बच्चों के द्वारा तैयार किया गया तथा कब बनाकर लगाया गया? इत्यादि)
23	अध्यापक के द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग / कार्य	2	

छात्रों के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन/अनुश्रवण सम्बन्धी

भाग – तीन

कुल अंक – 12

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
24	पाठ्य पुस्तक में 'कितना सीखा' के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है या नहीं?	1	इकाई आधारित
25	शिक्षक के द्वारा गृह कार्य दिया जा रहा है/उसकी जाँच की जा रही है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
26	छात्रों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति	3	पर्यवेक्षण कर्ता स्वयं पर्यवेक्षण के समय कम से कम दो विषय भाषा एवं गणित का मूल्यांकन उस समय तक पढ़ाई जा चुकी इकाइयों में से 5–5 प्रश्न/अभ्यास कराके जाँच करें।
27	क्या अध्यापक बच्चों का वर्षवार/छमाही संचयी मूल्यांकन अभिलेखन करता है एवं उसका प्रयोग करता है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
28	मासिक परीक्षण/इकाई परीक्षण के उपरान्त उभरे कठिन स्थलों/बिन्दुओं पर शिक्षक के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण किया गया अथवा नहीं।	3	• कमजोर, पिछड़े बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयास • (गिफ्टेड) अतिमेधावी बच्चों के लिए संसाधन जुटाना। उन्हें नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दिलाना।
29	क्या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन भी किया जा रहा है।	1	प्रतियोगिताओं में अच्छे कार्यों का विवरण मूल्यांकन कार्ड
30	क्या बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराता है?	2	• छमाही पर बच्चों के उपलब्धि स्तर उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं कमजोरियों के सम्बंध में अभिभावकों के साथ विचार विमर्श किया जाता है?

कुल अंक	:	**50**
श्रेणीकरण	:	

अंक	श्रेणी
41-50	अ (A)
26-40	ब (B)
16-25	स (C)
0-15	द (D)

Health risk categories provided to the school

	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May
NPRC-C											
BRC-C											
SDI, ABSA											
BSA											
DIET											
Others											
Total											

NIEPA DC
D11497